46th Annual Report

BOOK-POST

राज सीड्स

46 वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781
Tel-0141-2227665, 2227514, www-rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN- U75132RJ1978SGC001781
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड़, जयपुर–302005
Tel- 0141-2227665, 2227514, Fax No. 0141-2227944, www.rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड्स का निदेशक मण्डलः–

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद	**DIN/PAN** (निदेशक पहचान संख्या / **PAN**)
01	श्री राजन विशाल	अध्यक्ष	05195419
02	श्रीमती निमिषा गुप्ता	प्रबन्ध निदेशक	10565348
03	सुश्री चिन्मयी गोपाल	निदेशक	08411651
04	श्री सुरेश कुमार ओला	निदेशक	08180242
05	श्री टीकमचन्द बोहरा	निदेशक	10585510
06	श्री कैलाश चन्द्र मीणा	निदेशक	10580082
07	श्री पी. के. पटनायक	निदेशक	08999583
08	श्री मुकेश कुमार जाट	निदेशक	08226422
09	डॉ0 अरविन्द वर्मा	निदेशक	10271849
10	डॉ0 विजय प्रकाश	निदेशक	09603437
11	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	निदेशक	07018765
12	श्री फतेह सिंह गुर्जर	निदेशक	10538566
13	श्री करण सिंह यादव	निदेशक	05247430

महाप्रबन्धक डॉ0 रामलाल मीणा
कम्पनी सचिव श्री राकेश मामनानी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) श्री मनमोहन मीणा
1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेशन रोड़, जयपुर
अंकेक्षक मै. धूत एण्ड एसोसिऐट, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर।

–: पंजीकृत कार्यालय :–

CIN- U75132RJ1978SGC001781
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड़, जयपुर–302005
Tel- 0141-2227665, 2227514, Fax No. 0141-2227944, www.rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या	
		हिन्दी	अंग्रेजी
1.	सूचना व टिप्पणियां	3-6	
2.	निदेशकों का प्रतिवेदन एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन तथा साचिविक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर निदेशक का प्रत्युत्तर	7-26	
3.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन पर निदेशकों का प्रत्युत्तर	27-28	108-109
4.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन,	29-49	88-107
5.	तुलन-पत्र	50	110
6.	लाभ हानि खाता	51	111
7.	नकद प्रवाह विवरण पत्र	52	112
8.	अनुसूची (तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता)	53-65	113-125
9.	लेखा-नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां	66-87	126-146
10.	महालेखा परीक्षक की टिप्पणी		

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ,जयपुर –302005
CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.org

46वीं वार्षिक साधारण सभा की अल्पकालीन सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की छियालिसवीं (46वीं) वार्षिक साधारण सभा, सोमवार दिनाँक 30 दिसम्बर 2024 को मध्यान्ह 12:15 बजे सभागार, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, टोंक रोड़, दुर्गापुरा जयपुर में निम्नलिखित कार्यो के सम्पादन के उद्देश्य से होनी निश्चित की गई है:–

साधारण कार्य:–

01. 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के निदेशकों का प्रतिवेदन, अंकेक्षको की रिपोर्ट, अंकेक्षित तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता तथा उस पर भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।

02. साम्य अंशों पर वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश की घोषणा के निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:–

    ''पारित किया जाता है कि निगम के निदेशक मण्डल की 239वीं बैठक दिनाँक 17.12.2024 के निर्णयानुसार 23.12.2024 (रिकॉर्ड डेट) को निगम के लेखों में उल्लेखित प्रदत्त साम्य अंश पूँजी पर 10 प्रतिशत की दर से वर्ष 2023–24 के लिए अंशधारियों को लाभांश दिये जाने का अनुमोदन किया जाता है''

03. वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं फीस का निर्धारण करने हेतु निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करे:–

    ''पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम के वर्ष 2023–24 के लेखों के अंकेक्षण कार्य हेतु वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स धूत एण्ड एसोसिऐट, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर की वैधानिक अंकेक्षण फीस एवम् कर–अंकेक्षण फीस सहित रूपये 1,95,000/– प्रति वर्ष पर नियुक्ति की जाती है।''

04. डॉ0 अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे है एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते है।

05. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122(बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे है एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते है।

06. श्री फतेह सिंह गुर्जर, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122(बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे है एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते है।

07. श्री करण सिंह यादव, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122(बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे है एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते है।

08. श्री गोपाल सिंह का इस वर्ष जुलाई माह स्वर्गवास हो गया था अतः अतः वे निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे है एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता नहीं रखते है।

विशेष कार्य (साधारण प्रस्ताव):–

09. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:–

''पारित किया जाता है कि सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त कृषि विभाग को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

10. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:–

''पारित किया जाता है कि श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

11. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:–

''पारित किया जाता है कि श्री कैलाश चन्द्र मीणा निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

12. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:–

''पारित किया जाता है कि डॉ0 विजय प्रकाश की निदेशक रिसर्च, एस0के0आर0ए0यू0, बीकानेर को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

स्थान : जयपुर
दिनाँक : 17 दिसम्बर, 2024

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
Sd/-
(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव

टिप्पणियॉ

1. जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी है, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रतिपुरूष कर सकते है। प्रतिपुरूष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिनिधी परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
2. अंशधारियों से आग्रह है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।
3. सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से आग्रह है कि अपनी प्रश्नावली मीटिंग की तिथि से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी मीटिंग के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

स्थान : जयपुर
दिनाँक : 17 दिसम्बर, 2024

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
Sd/-
(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव

सूचना का परिशिष्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण

विषय वस्तुः— 09

सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त कृषि विभाग को निदेशक मण्डल की 238वीं बैठक जो दिनांक 27.09.2024 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में श्री कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त कृषि राजस्थान के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त कृषि विभाग का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तुः— 10

श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार को निदेशक मण्डल की 236वीं बैठक जो दिनांक 15.03.2024 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तुः— 11

श्री कैलाश चन्द्र मीणा निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर को निदेशक मण्डल की 236वीं बैठक जो दिनांक 15.03.2024 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में श्री रामावतार शर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री कैलाश चन्द्र मीणा निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तुः— 12

डॉ0 विजय प्रकाश की निदेशक रिसर्च, एस0के0आर0ए0यू0, बीकानेर को निदेशक मण्डल की 238वीं बैठक जो दिनांक 27.09.2024 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में डॉ0 पी0 एस0 शेखावत, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। डॉ0 विजय प्रकाश की निदेशक रिसर्च, एस0के0आर0ए0यू0, बीकानेर का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक का हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं है।

स्थान : जयपुर
दिनाँक : 17 दिसम्बर, 2024

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
Sd/-
(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव

निदेशकों का प्रतिवेदन

माननीय सदस्यगण,

निगम के निदेशकगण को छियालिसवा (46वाँ) वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंकेक्षित लेखों का विवरण, वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, एवम् अंकेक्षकों द्वारा दर्शाये गये विभिन्न बिन्दुओं के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

01. वर्ष के वित्तीय समीक्षाः–

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय परिणाम	2023–24	2022–23
बिक्री	23024.89	22902.39
अन्य आय	380.12	333.01
कुल आय	23405.01	23235.40
कुल व्यय	21214.25	21956.20
लाभ/हानि/(+)/(–) कर से पूर्व	(+) 2190.76	(+) 1279.20
घटाइयेः आयकर हेतु प्रावधान	601.55	330.03
कर पश्चात् लाभ(+)/हानि (–)	(+) 1606.49	(+) 986.28

वर्ष 2023–24 में आयकर प्रावधान पश्चात् 1606.49 लाख रुपये का लाभ रहा जो गत वर्ष के लाभ 986.28 लाख रुपये से 620.21 लाख रुपये अधिक है तथा संचित लाभ गत वर्ष तक के संचित लाभ 16,688.95 लाख रुपये से बढ़कर 18,219.51 लाख रुपये हो गये है, जो गत वर्ष से संचित लाभ से 1530.56 लाख रुपये अधिक है।

02. लाभांश

आपके निदेशक निगम की चुकता पूँजी रुपये 759.29 लाख पर 10 प्रतिशत की दर से 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये 10 प्रतिशत की दर से रूपये 75,92,891/– रुपये जिस पर लाभांश कर शून्य रुपये बनता है, पर लाभांश दिये जाने की घोषणा करते है। निगम द्वारा उक्त लाभांश हेतु रुपये 75,92,891/– एवं लाभांश कर हेतु शून्य रूपये के भुगतान का समायोजन वर्ष 2023–24 के लेखों में किया गया है।

03. वित्तीय स्त्रोत

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में निगम की पूँजी का संगठन निम्न प्रकार हैः–

	(रुपये लाखों में)
राजस्थान सरकार	633.00
राष्ट्रीय बीज निगम	113.93
अन्य	12.35
कुल योग	759.28

04. अंकेक्षण समिति

निगम की अंकेक्षण समिति का गठन निदेशक मण्डल की 137वीं बैठक जो दिनाँक 29 मार्च, 2001 को हुई, में किया गया था। अंकेक्षण समिति की बैठक का समय–समय पर पुनर्गठन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशकों की ओर से संचरण द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये अंकेक्षण समिति के पुर्नगठन किया गया, जिसकी निदेशक मण्डल की 236वीं बैठक, जो दिनाँक 15 मार्च, 2024 को हुई, मे सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी। वर्तमान में अंकेक्षण समिति के निम्नलिखित सदस्य हैः–

1. सुश्री चिन्मयी गोपाल, कृषि विभाग — अध्यक्ष
2. श्रीमति निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक — सदस्य
3. श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) — सदस्य
4. श्री फतेह सिंह गुर्जर, निदेशक — सदस्य

अंकेक्षण समिति की सभा वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनाँक 01.12.2023 तथा 28.03.2024 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सदस्यों द्वारा अंकेक्षण समिति की उपस्थिति इस प्रकार है–

अंकेक्षण समिति के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त, कृषि विभाग (07.10.2023 से 12.09.2024 तक)	2	2
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक, (30.01.2019 से 06.02.2024 तक)	1	1
श्रीमति निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक (23.02.2024 से निरन्तर)	1	1
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार (08.04.2021 से 15.03.2024 तक)	1	1
श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार (15.03.2024 से निरन्तर)	1	1
श्री भँवरलाल गुर्जर (27.12.2022 से 29.12.2023 तक)	1	1
श्री चर्मेश शर्मा (27.12.2022 से 29.12.2023 तक)	1	1
श्री गोपाल सिंह (29.12.2023 से 09.07.2024 तक)	1	1
श्री फतेह सिंह गुर्जर (29.12.2023 से निरन्तर)	1	1

05. सी0एस0आर0 समिति

निगम की Corporate Social Responsibility Committee का गठन निदेशक मण्डल की 192वीं बैठक जो दिनाँक 23.12.2014 को हुई, में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मण्डल की 236वीं बैठक जो दिनाँक 15 मार्च, 2024 को हुई, मे Corporate Social Responsibility Committee का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में Corporate Social Responsibility Committee के निम्नलिखित सदस्य हैः–

1. राजन विशाल, सचिव कृषि एवं उद्यानिकी तथा पशुपालन(कृषि)विभाग — अध्यक्ष
2. श्रीमति निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक — सदस्य
3. श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) — सदस्य
4. श्री करण सिंह यादव, निदेशक — सदस्य

Corporate Social Responsibility Committee की बैठक वित्तीय वर्ष 2023–24 में तीन बैठक की गई थी, जो दिनाँक 28.06.2023, 06.10.2023 तथा 29.12.2023 को रखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सदस्यों द्वारा Corporate Social Responsibility Committee की उपस्थिति इस प्रकार है–

Corporate Social Reasonability Committee के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
माननीय श्री धीरज गुर्जर (01.03.2022 से 03.11.2023 तक)	2	2
डॉ0 पृथ्वी सिंह (14.12.2023 से 10.01.2024 तक)	1	1
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक, (30.01.2019 से 06.02.2024 तक)	3	3
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, (08.04.2021 से 15.03.2024 तक)	3	2
श्री भँवरलाल गुर्जर (27.12.2022 से 29.12.2023 तक)	3	3
श्री चर्मेश शर्मा (27.12.2022 से 29.12.2023 तक)	3	3

06. Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee

निगम की Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का गठन निदेशक मण्डल की 196वीं बैठक जो दिनाँक 22.09.2015 को हुई, में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मण्डल की 236वीं बैठक जो दिनाँक 15 मार्च, 2024 को हुई, मे Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee के निम्नलिखित सदस्य हैः–

1. सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त, कृषि विभाग — अध्यक्ष
2. श्री निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक — सदस्य
3. श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) — सदस्य
4. श्री फतेह सिंह गुर्जर, निदेशक — सदस्य
5. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, निदेशक — सदस्य

वित्तीय वर्ष 2023–24 में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee की एक भी बैठक अपरहार्य कारणों द्वारा नहीं की जा सकी। आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त कमेटी की बैठक कर दी जावेगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत अन्य सूचना शून्य है।

07. निदेशक मण्डलः–

वर्तमान में निदेशक मण्डल में माननीय श्री राजन विशाल (28.09.2024 से निरन्तर) अध्यक्ष पद पर आसीन है तथा श्रीमति निमिषा गुप्ता (23.02.2024 से निरन्तर) प्रबन्ध निदेशक के पद पर आसीन है। सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त, कृषि विभाग (12.09.2024 से निरन्तर), श्री सुरेश कुमार ओला, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (09.09.2024 से निरन्तर), श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार (15.03.2024 से निरन्तर), श्री कैलाश

चन्द्र मीणा निदेशक, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (15.03.2024 से निरन्तर), श्री पी0के0 पटनायक, ए0डी0जी0एम0 (विपणन), नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (07.10.2023 से निरन्तर), श्री मुकेश कुमार जाट, क्षैत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (31.08.2022 से निरन्तर), डॉ0 अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (28.06.2023 से निरन्तर), डॉ0 विजय प्रकाश निदेशक रिसर्च, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (12.05.2020 से निरन्तर) तथा इनके अलावा अशासकीय निदेशक श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (29.12.2023 से निरन्तर), श्री फतेह सिंह गुर्जर (29.12.2023 से निरन्तर) तथा श्री करण सिंह यादव (29.12.2023 से निरन्तर) निदेशक के पद पर आसीन है।

गत वर्ष में निदेशक मण्डल में माननीय श्री धीरज गुर्जर (01.03.2022 से 03.11.2023 तक), डॉ0 पृथ्वी सिंह (14.12.2023 से 10.01.2024 तक) तथा श्री वैभव गालरिया (25.01.2024 से 30.09.2024 तक) अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्री जसवन्त सिंह (30.01.2019 से 06.02.2024 तक) तथा श्री ललित कुमार (12.02.2024 से 23.02.2024 तक) प्रबन्ध निदेशक के पद पर आसीन रहे। श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, कृषि विभाग (28.06.2023 से 07.10.2023 तक), श्री कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त, कृषि विभाग (07.10.2023 से 12.09.2024 तक), श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार (08.04.2021 से 15.03.2024 तक), श्रीमती, शुभम चौधरी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (25.04.2023 से 28.06.2023 तक), श्री लक्ष्मण सिंह कूड़ी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (28.06.2023 से 30.06.2024 तक), श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (03.01.2022 से 28.06.2023 तक), श्री रामअवतार शर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (28.06.2023 से 15.03.2024 तक), श्री कुलदीप सिंह, महाप्रबंधक (विपणन), नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (23.11.2022 से 07.10.2023 तक), डॉ0 पी. एस. शेखावत, निदेशक रिसर्च, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (12.05.2020 से 27.09.2024 तक), डॉ0 शान्ति कुमार शर्मा वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (25.03.2021 से 28.06.2023 तक), श्री राजेश कुमार पूनियाँ (28.12.2020 से 29.12.2023 तक) तथा श्री सुवा लाल यादव (28.12.2020 से 29.12.2023 तक) श्री भँवर लाल गुर्जर (27.12.2022 से 29.12.2023 तक), श्री चर्मेश शर्मा (27.12.2022 से 29.12.2023 तक) तथा श्री गोपाल सिंह (29.12.2023 से 09.07.2024 तक), निदेशक पद पर आसीन रहे।

अतः निदेशकों के कार्यकाल में उनके द्वारा दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद तथा प्रशंसा अभिलिखित करते है।

08. निदेशक मण्डल की बैठके

निदेशक मण्डल की वित्तीय वर्ष 2023–24 में छः बैठकें की गई, जो दिनाँक 25.04.2023, 28.06.2023, 07.10.2023, 01.12.2023, 29.12.2023 तथा 15.03.2024 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सदस्यों द्वारा निदेशक मण्डल की उपस्थिति इस प्रकार हैः–

निदेशकों के नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
माननीय श्री धीरज गुर्जर, अध्यक्ष (01.03.2022 से 03.11.2023 तक)	3	3
डॉ0 पृथ्वी सिंह, अध्यक्ष (14.12.2023 से 10.01.2024 तक)	1	1
श्री वैभव गालरिया, अध्यक्ष (25.01.2024 से 28.09.2024 तक)	1	1
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक (02.01.2019 से 06.02.2024 तक)	5	5
श्रीमति निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक (23.02.2024 से निरन्तर)	1	1
श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग (18.04.2022 से 28.06.2023 तक)	1	1
श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, कृषि विभाग (28.06.2023 से 07.10.2023 तक)	1	0
श्री कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त, कृषि विभाग (07.10.2023 से 12.09.2024 तक)	4	1
श्रीमती, शुभम चौधरी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (25.04.2023 से 28.06.2023 तक)	1	1
श्री लक्ष्मण सिंह कूड़ी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (28.06.2023 से 30.06.2024 तक)	5	3
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार (08.04.2021 से 15.03.2024 तक)	5	2
श्री टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1), राजस्थान सरकार (15.03.2024 से निरन्तर)	1	1
श्री रामअवतार शर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (28.06.2023 से 15.03.2024 तक)	4	4
श्री कैलाश चन्द्र मीणा निदेशक, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (15.03.2024 से निरन्तर)	1	1
श्री कुलदीप सिंह, महाप्रबंधक (विपणन), नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (23.11. 2022 से 07.10.2023 तक)	2	1
श्री पी0के0 पटनायक, ए0डी0जी0एम0 (विपणन), नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (07.10.2023 से निरन्तर)	4	1
श्री मुकेश कुमार जाट, क्षैत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड (31.08. 2022 से निरन्तर)	6	4
डॉ0 पी0 एस0 शेखावत, निदेशक (12.05.2020 से 27.09.2024 तक)	6	5
डॉ0 शान्ति कुमार शर्मा, निदेशक (25.03.2021 से 28.06.2023 तक)	1	0
डॉ0 अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (28.06.2023 से निरन्तर)	5	4
श्री राजेश कुमार पूनियाँ, अशासकीय निदेशक (28.12.2020 से 29.12.2023 तक)	5	4
श्री सुवा लाल यादव, अशासकीय निदेशक (28.12.2020 से 29.12.2023 तक)	5	1
श्री भँवर लाल गुर्जर, अशासकीय निदेशक (27.12.2022 से 29.12.2023 तक)	5	5
श्री चर्मेश शर्मा, अशासकीय निदेशक (28.12.2020 से 29.12.2023 तक)	5	5
श्री गोपाल सिंह, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से 09.07.2024 तक)	1	1
श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से निरन्तर)	1	1
श्री फतेह सिंह गुर्जर, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से निरन्तर)	1	1
श्री करण सिंह यादव, अशासकीय निदेशक (29.12.2023 से निरन्तर)	1	1

09. Directors' Responsibility Statement:-

In term of Section 134 of the Companies Act, 2013, the Directors would like to state that:

1. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
2. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company for the year at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for the period;
3. The directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities of the company.
4. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
5. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

10. ANNUAL RETURN

Pursuant to section 134(3)(a) and section 92(3) of the Act read with companies (Management and Administration) Rules 2014, the link of annual return of the company in Form MGT-7 is:- http://

11. SECRETARIAL STANDARD

The applicable Secretarial Statndards, i.e. SS-1 and SS-2, relating to Meetings of the Board of Directors and General Meetings respectively, have been duly followed by the company.

12. निगम का संचालनः–

- **आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादनः–**

  वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत खरीफ 2023, रबी 2023–24 एवं जायद–23 में विभिन्न फसलों का आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन अन्तर्गत प्रमाणित क्षेत्र क्रमशः 26002 एवं 3922 हैक्टेयर रहा हैं। खरीफ 2023 में 63324 क्विटंल प्रमाणित एवं 7470 क्विटंल आधार बीज का उत्पादन किया गया। रबी 2023–24 में लगभग 213078 क्विटंल प्रमाणित बीज व 32543 क्विटंल आधार बीज उत्पादन किया गया। जायद–23 में 486 क्विटंल बीज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 2023–24 में लगभग 316901 क्विटंल बीज उत्पादन किया गया हैं।

- **बीज गांव योजना प्रगतिः–**

  एस.एम.एस.पी. – बीज गांव योजना के तहत वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत खरीफ 2023 में 2052.68 क्विटंल सोयाबीन, उड़द, मूंग व मोठ बीज एवं रबी 2023–24 में 22489.64 क्विटंल गेहूं, सरसों, जौ व चना बीज

वितरित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2023–24 में एस.एम.एस.पी.– बीज गॉव योजना अन्तर्गत कुल 24542.32 क्वि. बीज वितरित कर लाभान्वित किया गया।

- **फार्म ठेकों से आयः–**

राजसीड्स के अधीन 07 फार्मो के ठेके से वर्ष 2023–24 में राशि रू. 226.84 लाख की आय हुई हैं।

संकर बाजरा उत्पादन कार्यक्रम :– जायद 2024 में दूनी इकाई द्वारा टोंक जिले में 26 हैक्टेयर क्षेत्र में संकर बाजरा किस्म MPMH-17 का बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे 447.68 क्विं. रॉ बीज कृषकों द्वारा जमा करवाया गया है।

राज्य के बाहर बीज उत्पादन कार्यक्रमः– वर्ष 2023–24 में ढैंचा, ज्वार, संकर बाजरा व मक्का फसल के उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य के बाहर यथा आंध्रप्रदेश व तेलगाना राज्यो से अनुबन्ध के आधार पर बीजोत्पादन कार्यक्रम आयोजित कर ढैंचा, डीएच–1 तथा ज्वार एसएसजी का क्रमशः 19020.40 क्विं., 4499.95 क्विं. सत्यचिन्हित बीज उत्पादित कराया गया एवं संकर बाजरा, मक्का फसलो के प्रमाणित बीजोत्पादन कार्यक्रम आयोजित कर क्रमशः 8691.65 क्विं., 20165.65 क्विं. प्रमाणित बीज उत्पादित कराया गया। इस प्रकार कुल 52377.00 क्विं. बीज उत्पादित कराया गया है।

- **उत्पादन में निगम की भावी योजनाएँ :**

01. राजस्थान में बीज उत्पादन एवं विपणन क्षेत्र में राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. का महत्वपूर्ण स्थान हैं। निगम गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं। राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने व बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्वि हेतु निगम द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

02. प्रमाणित बीजो की गुणवत्ता सुधार हेतु निगम द्वारा खरीफ एवं रबी में उत्पादित प्रमाणित बीजो का जी.ओ. टी. परीक्षण करवाया जाता।

- **विधायन एवं भण्डारण :**

01. वर्तमान में निगम की 22 इकाईयां एवं पांच बीज विस्तार केन्द्र है। बीजों के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु सुल्तानपुर एवं गुढामालानी में बीज विधायन संयंत्र स्थापित कर दिये गये है। बानसूर, बूंदी, भवानीमण्डी (झालावाड़) में बीज विधायन संयंत्र स्थापित किये जा रहे है। वर्तमान में राजसीड्स की कुल संशोधित विधायन क्षमता 12.584 लाख क्विं. एवं कुल भण्डारण क्षमता 10.21 लाख क्विं. प्रतिवर्ष है।

नोटः–

बीज विधायन मशीनें जो 5 वर्ष अथवा अधिक पुरानी है उनकी व्यावहारिक विधायन क्षमता मूल विधायन क्षमता की 80 प्रतिशत मानते हुए संशोधित किया गया है। एवं जो मशीनें 10 वर्ष अथवा अधिक पुरानी है उनकी व्यावहारिक विधायन क्षमता मूल विधायन क्षमता की 60 प्रतिशत मानते हुए संशोधित किया गया है।

- **विपणनः**

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो लि. द्वारा जायद एवं खरीफ 2023 में 50029क्विं. एवं रबी 2023–24 में 206946

क्विं. बीजो का विक्रय किया गया है। इस प्रकार कुल 256975 क्विं. बीजों का विक्रय किया गया है। खरीफ 2024 में 146095क्विं. बीज का विक्रय गया है। रबी 2024–25 में लगभग 216356 क्विं. बीजो के विक्रय किया जा चुका है। विक्रय जारी है।

खरीफ 2023 में मिनिकिट वितरण हेतु कृषि विभाग को बाजरा के 11093.525 क्विं., मक्का 11292.20 क्विं., मोठ 4000 क्विं. एवं जनजाति विभाग को मक्का के 9241.95 क्विं. बीज की आपूर्ति की गई। भूमि की उर्वरकता बढाने के लिये हरी खाद हेतु ढैंचा मिनिकिट वितरण हेतु 5103.80 क्विं. बीज की आपूर्ति कृषि विभाग को की गई। रबी 2023–24 में कृषि विभाग को मिनिकिट वितरण हेतु सरसो के 7061.22 क्विं. बीज आपूर्ती किया गया। अटल भू–जल योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों सरसों (89.40 क्विं), मसूर (64.00 क्विं), चना (6027.68 क्विं) एवं तारामीरा (20.00 क्विं) के मिनिकिट वितरण हेतु कुल 6201.08 क्विंटल बीज आपूर्ती किया गया।

खरीफ सीजन 2024 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में कृषकों को निःशुल्क मिनिकिट वितरण हेतु कृषि विभाग को मक्का 38066.50 क्विं., मूंग 16000.00 क्विं., बाजरा 10830.01 क्विं., ज्वार 3309.28 क्विं. एवं मोठ 4000.00 क्विं. बीज आपूर्ती किया गया। ढैंचा बीज के मिनिकिट वितरण हेतु 23078.80 क्विं. बीज आपूर्ती किया गया।

रबी 2024–2025 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में कृषकों को सरसों प्रमाणित बीज के निःशुल्क मिनिकिट वितरण हेतु 14000.00 क्विं बीज आपूर्ती किया गया।

अटल भू–जल योनान्तर्गत खरीफ 2024 में विभिन्न फसलों बाजरा (711.75 क्विं.), मूंग (956.00 क्विं.), ज्वार (440.00 क्विं.), ग्वार (879.64 क्विं.), उड़द (324.04 क्विं.), मोठ (300.00 क्विं.), सोयाबीन (496.00 क्विं.) एवं मक्का (50.00 क्विं.) के मिनिकिट वितरण हेतु कुल 4157.43 क्विंटल बीज आपूर्ती किया गया। इसी क्रम में रबी 2024–25 में चना (7983.20 क्विं.), सरसों (396.94 क्विं.), तारामीरा (179.78 क्विं.) एवं मसूर (68.00 क्विं) कुल बीज मात्रा 8627.92 क्विं. बीज की मिनिकिट वितरण हेतु कृषि विभाग को आपूर्ती की गयी।

13. भावी योजनाऐं :

- **विपणनः**

(अ) निजी क्षेत्रः

राजसीड्स के बीजों की उपलब्धता किसानो को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बीज अधिनियम 1966 के तहत् सभी बीज अनुज्ञापन धारक विक्रेताओं के अधिकृत/प्रतिबद्ध विक्रेताओं के रूप में नियुक्ति को प्रावधान किये हुये है। राजस्थान के किसानों को प्रमाणित बीज दूर दराज के गॉव में सुगमता से प्राप्त होने के मामले में निजी विक्रेताओं एवं सहकारी संस्थाओं को राजसीड्स के विक्रेता के रूप में शामिल किया गया है। इससे राजसीड्स का विपणन तंत्र बीज व्यवसाय से संबंधित अन्य संस्थाओं से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सशक्त एवं सुदृढ है।

(ब) सहकारी क्षेत्रः

केवीएसएस/जीएसएस सहकारिता विभाग के अधीन कार्य करती है। सहकारी विपणन तंत्र (के.वी.एस.एस.) का भी अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों जिनके पास वैध बीज अनुज्ञा पत्र है उन समितियों को राजसीड्स से जोडने के प्रयास किये गये। साथ ही सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के साथ बैठक/समन्वय स्थापित कर जिन सहकारी समितियो (केवीएसएस/जीएसएस) के पास बीज अनुज्ञा पत्र नही है, उन सहकारी समितियों को बीज अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर, राजसीड्स से जुडकर बीज विक्रय किये जाने के प्रयास किये गये है । सहकारी संस्थाओं द्वारा भविष्य में इसे और बढाने के निगम द्वारा प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर बीज सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

(स) राजसीड्स बीज विक्रय केन्द्र :–

बजट घोषणा वर्ष 2020–21 अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बीज वितरण आउटलेट स्थापना हेतु कृषि विपणन विभाग द्वारा निःशुल्क 200 भूखण्ड चरणबद्ध रूप से आवंटित किये जाने की घोषणा हुई। इसकी अनुपालना में कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 24 निर्मित परिसम्पतियां एवं 144 भूखण्डों का आवंटन प्राप्त किया जा चुका है। राजसीड्स को आवंटित 24 निर्मित परिसम्पतियों का नाम राजसीड्स बीज विक्रय केन्द्र रखते हुये विक्रय केन्द्रों से बीजो का विक्रय प्रारम्भ कर दिया गया है। जिससे अनुदानित तथा गैर अनुदानित बीजो का विक्रय किया जा रहा है।

14. ऑडिटर द्वारा प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी :–

- **वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन :–**

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में उठाई गई आपतियों पर निदेशक मण्डल का प्रत्युत्तर परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार।

- **Secretarial Audit Report:-**
- कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में Secretarial Audit करवाना अनिवार्य नहीं है, इस कारण इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में निगम द्वारा Secretarial Audit नहीं करवाई गई।

15. Independent Directors

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023–24 में Independent Directors की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस संदर्भ में दो स्वतंत्र निदेशको की नियुक्ति की कार्यवाही करने के लिये आवेदन प्राप्त करने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बैठक से प्राप्त हो चुका है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

16. Corporate Social Responsibility Policy

गत वित्तीय वर्षो में CSR Policy पर खर्च की जाने वाली कुल राशि रुपये 42,61,694/- शेष रही तथा वित्तीय वर्ष

2023–24 में प्रावधान की गई CSR Policy पर व्यय की जाने वाली राशि रु0 34,51,409/– को जोड़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में निगम के पास CSR Policy पर व्यय की जाने वाली कुल योग राशि रुपये 77,13,103/– उपलब्ध थी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2023–24 में निगम को CSR Policy पर व्यय करने के निम्नलिखित प्रस्तावों पर व्यय किये गये:–

01. राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर, भीलवाड़ा को छात्रों के बैठने हेतु 200 टेबल कुर्सीयों तथा 2 कम्प्यूटर सैट की वास्तविक लागत राशि रुपये 4,60,000/– सी0एस0आर0 फण्ड से उपलब्ध बीज निगम के सी0एस0आर0 फण्ड से उपलब्ध करवाई गई। उक्त संस्था द्वारा उक्त सामग्रिया क्रय करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवातें हुये उक्त सामग्री हेतु कुल व्यय राशि रू0 4,21,821/– होने की जानकारी दी गई तथा दी गई अग्रिम राशि में से राशि रू0 32,179/– पुनः लौटा दी है, जिसे निगम के सी0एस0आर0 फण्ड में जमा कर दिया गया है।

02. जनार्दन राय नागर राजस्थान विधापीठ (डीम्ड विश्वविद्यालय) प्रताप नगर उदयपुर की ओर से उनके विश्वविद्यालय के अकादमिक में असाधारण प्रर्दशन देने वाले विद्यार्थीयो को प्रोत्साहित करने के लिये वरियता सूची में आने वाले प्रथम स्थान पर आने वाले छात्र को एक लेपटॉप की वास्तविक लागत तथा अन्य 31 छात्रों को रू0 2100/– प्रतिछात्र की प्रोत्साहन राशि अथवा उक्त दोनो को मिलाकर कुल राशि रुपये 1,05,900/– की राशि दी गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लड सेन्टर, राजकीय सामान्य चिकित्सा, बून्दी के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुये उक्त प्रस्ताव मे बताये उपकरण एक डाई इलेक्ट्रीकल ब्लड बैंग ट्यूब सीलर–2 तथा एक डॉनर कोच की वास्तविक लागत राशि रुपये 2,28,310/– राशि, उक्त जो भी कम हो, को बीज निगम के सी0एस0आर0 फण्ड से उपलब्ध करवाई गई।

03. इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो को भी स्वच्छता के प्रति जागृत भी किये जाने के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में ग्राम पंचायत पारोली, कोटड़ी, भीलवाड़ा को कचरा निस्तारण के लिये एवं स्वच्छता बनाये रखने के लिये एक ओटोकीपर की वास्तविक लागत अथवा रुपये 10 लाख तक की राशि, उक्त जो भी कम हो, को सी0एस0आर0 फण्ड से उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव की सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई। इसके लिये ग्राम पंचायत पारोली, कोटड़ी, भीलवाड़ा को सी0एस0आर0 फण्ड से राशि रुपये 10,00,000/– अग्रिम दी गई। इसके साथ ही कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर की ओर से इस क्षेत्र के मरीजों के उपचार एवम् चिकित्सा हेतु उपकरण एवम् सामुदायिक केन्द्र में मरीजो के बैठने के लिये टिन शेड की व्यवस्थाओं के समुचित इन्तजाम के लिये उक्त सम्पूर्ण कार्य के लिये इसकी वास्तविक लागत अथवा रुपये 10 लाख तक की राशि, उक्त जो भी कम हो, को बीज निगम के सी0एस0आर0 फण्ड से उपलब्ध करवाने पर सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई। इसके लिये चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर को सी0एस0आर0 फण्ड से राशि रुपये 10,00,000/– अग्रिम दी गई।

04. इन्टरनेशनल हॉर्टिकल्चर इन्नोवेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (IHITC) के सुदृढीकरण को किसानो को उद्यानिकी नवाचार एवं उद्यानिकी प्रशिक्षण आयोजित किए जाने एवं हाइटेक उद्यानिकी के प्रायोगिक प्रदर्शन आयोजित

कर उन्नत बीज/पौध/तकनीक भी किसानों को उपलब्ध करवानें के साथ किसानों को लाभान्वित करने के उदेश्य से भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राज्य योजना आदि के तहत विभिन्न प्रकार के उद्यानिकी प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु उक्त संस्थान पर किसानों को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु हॉस्टल, केन्टीन, क्लासरूम एवं सेमीनार हॉल आदि भवन की मरम्मत कार्य करवाने तथा इन भवनों में लगे हुए विद्युत उपकरण, सेनेट्री आईटम, कुलिंग सिस्टम, कम्प्यूटर सिस्टम, फर्नीचर आदि लगवाने हेतु बीज निगम के सी0एस0आर0 फण्ड से रुपये 50 लाख की राशि उपलब्ध करवाये गये ताकि राज्य के किसानों को उत्तम गुणवता के प्रशिक्षणो एवं प्रदर्शनो से लाभान्वित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रावधान की गई CSR Policy पर व्यय की जाने वाली राशि रु0 34,51,409/- तथा गत वर्षों CSR Policy में प्रावधान की गई समस्त राशि का इस वित्तीय वर्ष में व्यय किया जा चुका है और इस वर्ष अब निगम के पास CSR Policy पर व्यय की जाने वाली कोई भी राशि शेष नहीं बची है।

17. TRANSFER TO RESERVES IN TERMS OF SECTION 134 (3) (J) OF THE COMPANIES ACT, 2013

The board does not propose any amount to carry to any specific reserves.

18. CHANGES IN NATURE OF BUSINESS

There are no significant changes had been made in the nature of the company during the financial year.

19. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURRED BETWEEN THE DATE OF BALANCE SHEET AND THE DATE OF AUDIT REPORT

No significant material changes and commitments have occurred between the date of the balance sheet and the date of the audit report.

20. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS/ COURTS/ TRIBUNALS

The significant and material orders passed by Regulators/Court/Tribunals against the company are as explained in the further sections of this annual report.

21. ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company has in place proper and adequate internal control systems commensurate with the nature of its business, size and complexity of its operations. Internal control systems comprising of policies and procedures are designed to ensure liability of financial reporting, timely feedback on achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedure, applicable laws and regulations, and that all assets and resources are acquired economically, used.

22. SUBSIDIARY/ JOINT VENTURES/ ASSOCIATE COMPANIES AND THEIR PERFORMANCE

There is no Subsidiary company or Joint Venture or Associate Companies of the Company.

23. DEPOSITS

During the financial year, Company has not accepted any type of deposits. Neither, any type of deposits of previous year is Unpaid or Unclaimed during the financial year.

24. SHARE CAPITAL

During the financial year, the Company had not issued any Equity Shares with Differential rights, any Sweat Equity Shares and any Employee Stock Options.

25. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION, AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

A) Conservation of Energy: Nil

B) Technology Absorption: Nil

C) Foreign Exchange earnings and outgo:

The company has no foreign exchange earnings and outgo transactions during the current financial year.

26. LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:-

The Company has made following loans and Investments and has given following guarantees in compliance of section 186 of the Companies Act, 2013 during the financial year:- NIL

27. CONTRACTS OR ARRAGNEMENTS WITH RELATED PARTIES: -

Details in Form No AOC-2 for transaction entered with the related parties at on arm length or non-arm length basis are NIL.

28. RISK MANAGEMENT POLICY

Risks are event, situation or circumstances which may lead to negative consequences on the company's businesses. Risk management is a structured approach to manage uncertainty. A formal enterprise wide approach to Risk Management is being adopted by the company and key risks will now managed within unitary framework. As a formal roll-out, all business divisions and corporate function will embrace risk management policy and guidelines, and make use of these in their decisions making. Key business risks and their mitigation are considered in the annual/strategic business plans and in periodic management reviews. The risk management process in our multi-business, multi-site operations, over the period of time will become

embedded into the company's business systems and processes, such that our responses to risks remain current and dynamic.

29. KEY MANAGERIAL PERSONNEL

As of March 31, 2024, the following are the Key Managerial Personnel (KMP) of the Company as per Section 2(51) and 203 of the Act: -

Name of the person	Designation
Smt. Nimisha Gupta	Managing Director
Sh. Rakesh mamnani	Company Secretary

During the year under review, there is no change in the Key Managerial Personnel of the Company.

30. POLICY ON NOMINATION & REMUNERATION

Pursuant to Section 134(3)(e) and Section 178(3) of the Companies Act, 2013, the policy on the appointment of Board members including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and the policy on remuneration of directors, KMP and other employees is available on the website of the Company at http://www.rajseeds.org/.

31. INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND –

Rs. 1,19,948/- was transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year for the financial year 2015-16.

32.REPORTING OF FRAUDS:

There was no instance of fraud during the year under review, which required the Statutory Auditors to report to the Audit Committee and/or Board under Section 143(12) of the Act and Rules framed thereunder.

33. VIGIL MECHANISM/WHISTLE BLOWER POLICY

The Company has a Whistle Blower Policy and has established the necessary vigil mechanism for directors and employees in conformation with Section 177(9) of the Act, to report concerns about unethical behaviour. The link of the Policy is http://www.rajseeds.org/.

34. Details of Remuneration to all the Directors:

Details of remuneration paid to Directors for the year ended 31st March, 2024:

Name of the Director	Salary, allowance, perquisites and other benefits	Commission	Stock Option	Pension	Sitting Fees Paid	Notice period and severance fees
Smt. Nimisha Gupta (23-02-2024 to 31-03-2024)	2,80,881	-	-	-	-	-
Sh. Lalit Kumar (12-02-2024 to 22-02-2024)	1.03,405	-	-	-	-	-
Sh. Jaswant Singh (01-04-2023 to 06-02-2024)	27,28,803	-	-	-	-	-
Sh. Dheeraj Gujar (01-04-2023 to 03-11-2024)	11,76,000	-	-	-	-	-
Sh. Rakesh Mamnani	15,29,108	-	-	-	-	-
Sh. Bhanwar Lal Gurjar	-	-	-	-	10,000	-
Sh. Charmesh Sharma	-	-	-	-	18,000	-
Sh. Rajesh Kumar Poonia	-	-	-	-	8,000	-
Sh. Suwa Lal Yadav	-	-	-	-	2,000	-
Sh. Gopal Singh	-	-	-	-	2,000	-
Sh. Kailash Chandra Sharma	-	-	-	-	2,000	-
Sh. Karan Singh Yadav	-	-	-	-	2,000	-
Sh. Fateh Singh Gurjar	-	-	-	-	2,000	-

35. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

During the year 2023-24, the Company had a duly constituted Internal Complaints Committee in place as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case

of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]. The information required under Section 21 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 is provided below:

a)	Committee formed as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]	Yes
b)	No. of complaints received during the year	NIL
c)	No. of complaints disposed of during the year	NIL
d)	No. of cases pending for more than 90 days	NIL
e)	No. of workshops or awareness programmes against sexual harassment carried out	NIL

36. PARTICULARS OF EMPLOYEES

There is no employee in the Company whose particulars are required to be given under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

37. OTHER DISCLOSURES

- There was no revision of financial statements and Board's Report of the Company during the year under review;
- There has been no change in the nature of business of the Company as on the date of this report;
- No application has been made under the Insolvency and Bankruptcy Code; hence the requirement to disclose the details of application made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year along with their status as at the end of the financial year is not applicable;
- The details of difference between amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof. NIL

आभार प्रदर्शनः

भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम एवं जैविक उत्पादन संस्था, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, केन्द्रीय भण्डारण व्यवस्था निगम, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजफैड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ऐक्सिस बैंक लि. आदि के प्रति उनके सतत् सहयोग एवं परामर्श के लिये आपके निदेशक आभारी है। बीज उत्पादन कृषको अधिकृत बीज विक्रेताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा निगम को सतत् प्रश्रेय प्राप्त हुआ, के लिए भी निदेशकगण आभार प्रदर्शित करते है। और अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगन एवं कठिन परिश्रम से किये गये कार्यों की सराहना करते है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर
दिनाँक : 17 दिसम्बर, 2024

(निमिषा गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 10565348

(फतेह सिंह गुर्जर)
निदेशक
DIN 10538566

टिप्पणियांः–

1. जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी है, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने लिये किसी व्यक्ति को प्रति पुरुष नियुक्त कर सकते है। प्रतिपुरुष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।
2. प्रतिनिधि परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम 48 घण्टे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
3. अंशधारियों से निवेदन है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।
4. सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से गुजारिश है कि अपनी प्रश्नावली बैठक की दिन से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी बैठक के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर
दिनाँक : 17 दिसम्बर, 2024

(निमिषा गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 10565348

(फतेह सिंह गुर्जर)
निदेशक
DIN 10538566

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITIES 2023-24

[Pursuant to Section 134(3) (o) of the Companies Act, 2013 and Rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014]

1. A brief outline of the CSR Policy of the Company-

RSSCL's CSR policy shall be to ensure that CSR activities are not performed in isolation but that it be skilfully and tied woven into the fabric of the company's business strategy for overall value creation for all stakeholders. RSSCL believes that profitability must be complemented by a sense of responsibility towards all stakeholders with a view to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of the people, preferably in the immediate vicinity of the company's offices but at the same time ensure widespread distribution of its CSR activities befitting its status as a conscientious corporate citizen. The projects proposed to be undertaken may be in the area of Education, Health care, Sustainable livelihood, Infrastructure development, espousing social causes and Environmental protection etc.

2. Composition of the CSR Committee, number of meetings held on 28-06-2023, 06-10-2023 and 29-12-2023 during the year;

Name of Director	Designation	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
Shri Deeraj Gujar (01-03-2022 to 03-11-2023)	Chairman	02	02
Shri Prathvi Singh (14-12-2023 to 10-01-2024)	Chairman	01	01
Sh. Jaswant Singh	Managing Director	03	03
Smt. Hem Pushpa Sharma	Director	03	02
Sh. Bhanwarlal Gurjar	Director	03	03
Sh. Charmesh Sharma	Director	03	03

Note:

1. He is eligible to attend the 2 meetings of CSR Committee as he was resigned from the company on 03-11-2023 so he is eligible to attend the meeting which was held on 28-06-2023 and 06-10-2023 during the year.
2. He is eligible to attend the 1 meetings of CSR Committee as he was appointed as a director of the company on 14-12-2023 so he is eligible to attend the meeting which was held on 29-12-2023 during the year.

3. Provide the web link where the Composition of the CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company- http://www.rajseeds.org/CSRPolicy.pdf

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8- not applicable.

5.

a) Average net profits for the three immediately preceding years: Rs. 17,25,70,439/-

b) Two percent of the average net profit of the company as per section 135(5)- Rs.34,51,409/-

c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years. - Nil

d) Amount required to be set off for the financial year if any. Nil

e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] Rs. 34,51,409-

6.

a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)- Rs. 77,94,210/-

b) Amount spent in Administrative Overheads: N.A.

c) Amount spent on Impact Assessment: Not applicable

d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. Rs. 77,94,210/-

e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
77,94,210/-	-	-	-		

f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(1)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	34,51,409/-
(2)	Total amount spent for the Financial Year	77,94,210/-
(3)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	43,42,801
(4)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	0/-
(5)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	43,42,801

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	**Preceding Financial Year(s)**	**Amount transferred to unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	**Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any**		**Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)**	**Deficiency, if any**
					Amount (in Rs)	**Date of Transfer**		
1.	FY-1 (2020-21)	-	-	63,95,000	-	-	8,99,909	-
2.	FY-2 (2021-22)	-	-	35,00,000	-	-	0	-
3.	FY-3 (2022-23)	-	-	-	-	-	42,61,694	

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if any	Name	Residential Address
N.A.							

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135:

There was no suitable proposal for Corporate Social Responsibility for the Financial Year 2023-24.

Sd/-
(Managing Director).

Sd/-
(Chairman CSR Committee)

Date: 17-12-2024

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

परिशिष्ट ''अ''

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 का प्रत्युत्तर

योग्य राय का आधार

1. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या 1 संबंधित पक्षों से शेष राशि की पुष्टि मांगी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पार्टियां ज्यादातर सरकारी विभाग/पीएसयू/सहकारी समितियां आदि हैं। इसके अलावा, हम सभी पार्टियों/विक्रेता/आपूर्तिकर्ता आदि के साथ शेष की पुष्टि/समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। विविध देनदारों के जमा शेष को मिलान करते हुये सम्बन्धित के खाते में समायोजन कर दिया जावेगा।
2. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या–2 अधिकांश एमएसएमई ने इस संबंध में खुलासा प्रस्तुत नहीं किया है। कंपनी ने अगले साल से यह जानकारी बरकरार रखने का आश्वासन दिया।
3. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या–3 हम आपको मिलान के बाद अगले वर्ष सभी बकाया दायित्व प्रदान करने का ध्यान रखने का आश्वासन देते हैं।
4. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या–4 यह एक लेखांकन त्रुटि है जिसे मिलान के बाद अगले वर्ष में सुधारा जाएगा।
5. अनुलग्नक 1 का पैरा संख्या–5 यह एक लेखांकन त्रुटि है जिसे मिलान के बाद अगले वर्ष में सुधारा जाएगा।
6. परिशिष्ट 1 का पैरा क्रमांक–6 राशि रु. 1.29 लाख को अगले वित्त वर्ष में मिलान कर समायोजित किया जाएगा।
7. अनुलग्नक 1 के पैरा संख्या–7 नोट संख्या में रखी गई लेखांकन नीतियों के अनुसार। खातों के नोट्स के क्रम संख्या 10 उत्पादन की सब्सिडी को उस वर्ष में समायोजित किया गया है जिसमें विवाद का निपटारा हुआ था क्योंकि यह चालू वर्ष में क्रिस्टलीकृत हो गया था, तदनुसार, इसे समायोजित किया गया था।

ध्यानाकृषण मामले

1. रिवोलविंग फण्ड राशि रु. 2.60 करोड़ अकालग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कम्पनी को वर्ष 1995 में उपलब्ध करवाया गया था। उक्त राशि नोट नं.–3 में चालू दायित्व के अन्तर्गत दर्शा रखी है, जो कि सरकार के द्वारा मांग किये जाने पर वापस लौटा दी जावेगी।
2. लेखा मानक 28 के अनुसार 31.03.2024 को कोई स्थायी सम्पति ईम्पयेरऐबल नही हैं। भविष्य में यदि कोई सम्पत्ति ईम्पयेरऐबल होने पर लेखा मानक 28 के अनुसार का अनुसरण कर लिया जायेगा।
3. यह लगातार चालू/चल रहे खाते हैं, जिनके लिए हम पुष्टि प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है।

अन्य मामले

1. कम्पनी के द्वारा प्रारम्भ से ही लेखा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। लेखानीति एवं कार्य प्रणाली के अनुसार निगम द्वारा इकाईयों का वार्षिक रिर्पोट/आर्थिक विवरण का भाग लाभ हानि खाता विवरण

इकाईवार तैयार नहीं किया गया है। स्कन्ध स्थानान्तरण का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। आंतरिक रिर्पोटिंग के लिए लाभ हानि तथा/या/कि गणना की जा सकती है लेकिन यह निगम के लेखों का हिस्सा नहीं है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के निगम के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

– अन्य मामलों के संबंध में तथ्यात्मक विवरण पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में–

(अ) (अ) निगम ने मुख्य रूप से मुख्यालय और इकाइयों में पुराने प्रारूप में पीपीई के रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हम इसे नए प्रारूप के अनुसार अपडेट कर रहे हैं।

(ब) पीवी रिपोर्ट के अनुसार निगम की अनुपयोगी संपत्ति और अन्य वस्तुओं को चिह्नित किया गया है और पीवी रिपोर्ट में उचित खुलासा किया गया है। मूल्य में समायोजन संपत्ति की नीलामी और बिक्री के अधीन है।

(स) (द) उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई है। कंपनी को तदर्थ आधार पर मूल्यांकित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरित की गई है। सह करने के लिए का मूल्य शून्य है।

(ई) (एफ) तथ्यात्मक विवरण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

(ii) से (vi) तथ्यात्मक विवरण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है

(vii) (v) कृषि कल्याण उपकर और मंडी कर से संबंधित सभी देनदारियां विधिवत जमा कर दी गई हैं।

(viii) से (XX) तथ्यात्मक विवरण किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

अंकेक्षण रिपोर्ट

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने **राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (यहां बाद में निगम के रूप में संदर्भित)** के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है। वर्ष समाप्त हो गया, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को निगम के मामलों की स्थिति, उसके लाभ और समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें। उस तारीख पर।

योग्य राय का आधार

हम नीचे वर्णित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर गलत बयानों के प्रभाव और अज्ञात गलत बयानों के संभावित प्रभाव, जो भौतिक हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से व्यापक नहीं हैं।

(i) जैसा कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक I के पैरा 1 में बताया गया है, शेष राशि की पुष्टि नहीं करने और व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम और अन्य देनदारियों आदि के समाधान की प्रक्रिया का पालन नहीं करने के संबंध में।

(ii) जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 22 द्वारा अपेक्षित विवरणों की गैर–पहचान और प्रकटीकरण के संबंध में इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध I के पैरा 2 में बताया गया है।

(iii) जैसा कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक I के पैरा 3 में बकाया देयता की शॉर्ट बुकिंग/लेखांकन के संबंध में बताया गया है।

(iv) जैसा कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक I के पैरा 4 में परिचालन–बिक्री से राजस्व से अप्राप्य देनदारों के समायोजन के संबंध में बताया गया है।

(v) जैसा कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध I के पैरा 5 में व्यापार में स्टॉक की खरीद से देय देयता के समायोजन के संबंध में बताया गया है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(vi) जैसा कि बैंक शेष के संबंध में इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध I के पैरा 6 में बताया गया है

(vii) जैसा कि पूर्व अवधि की आय व व्यय के संबंध में इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध I के पैरा 7 में बताया गया है

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हमारी रिपोर्ट. हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

ध्यानाकर्षण मामले

हम वित्तीय विवरणों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

1. अन्य दीर्घकालिक देनदारियों के संबंध में बैलेंस शीट के नोट नंबर 3 को देखें, जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए 260 लाख रुपये का रिवॉल्विंग फंड शामिल है, कंपनी ने उनके उपयोग के लिए अलग खाता नहीं रखा है। इसलिए, हम इसके उपयोग पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि कंपनी के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
2. कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट्सष के नोट नंबर–ए के पैरा नंबर 14 में कहा है कि प्रबंधन ने लेखांकन मानक – 28 के अनुसार परिसंपत्तियों की हानि के बारे में बैलेंस शीट की तारीख की समीक्षा की है। हालांकि, कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की क्षति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और मूल्यांकन के अभाव में, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई क्षति हानि बिना मूल्यांकन के रह गई है या इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। लेखांकन मानक – 28 संपत्ति की हानि के अनुसार।
3. नोट 41 देखें। विविध देनदारों, लेनदारों, ऋण और अग्रिम, सुरक्षा जमा, वर्तमान देनदारियों, बकाया देनदारियों, कृषि विभाग के पास जमा और बीज बैंकों के साथ परिक्रामी निधि के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट्स के नोट संख्या–सी के 41 विषय हैं सुलह पर पुष्टि और आवश्यक समायोजन के लिए कंपनी ने एसए 505 (संशोधित)–बाहरी की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है पुष्टिकरण, इसके अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामला

1. एक इकाई से दूसरी इकाई (आईयूटी) में इन्वेंटरी के हस्तांतरण के लिए लेखांकन प्रविष्टियां ऐसे हस्तांतरण के लिए मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखे बिना केवल मात्रा के लिए की जा रही हैं। यह प्रथा पिछले वर्षों से चली आ

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

रही है। इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों की लाभप्रदता निर्धारित नहीं की जा सकी।

इन अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी।

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है। या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि उसे भौतिक रूप से गलत बताया गया है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों में लागू कार्यों का वर्णन करना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में निगम की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त होते हैं। गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन निगम की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने या करने का इरादा नहीं रखता है। कार्रवाई बंद कर दें, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

निदेशक मंडल निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रणकी समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकता है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं। और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम देते हैं अनुलग्नक (अ), आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि

अ) हमने इस ऑडिट रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में बताए गए मामलों को छोड़कर, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं।

ब) हमारी राय में, नियम 11(जी)।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

स) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों से मेल खाते हैं।

द) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जैसा कि संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है। वर्णित मामले के प्रभावों और संभावित प्रभावों को छोड़कर योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर, –5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुएं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन), –10 (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण), एएस–29 (प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति) जैसा कि ऊपर और इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध 1 में बताया गया है।

य) एक सरकारी निगम होने के नाते, अधिसूचना संख्या के अनुसार। भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं हैं।

र) निगम के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक (डी) में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ल) एक सरकारी निगम होने के नाते, अधिसूचना संख्या के अनुसार। भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

व) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में बताई गई हैं। खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3)(बी) के तहत रिपोर्टिंग पर उपरोक्त पैराग्राफ (बी) और नियम 11 के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ (एफ) VI में बताए गए हैं। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014।

ट) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार।

अ) निगम को डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि नहीं हुई।

ब) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

स) (i) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए अनुसार के अलावा, कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी से) निगम द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाईयों को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ को अन्य स्रोत या प्रकार के फंड मिलेंगे, क्या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देना या निवेश करना या निगम द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

गई संस्थाएँ (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करती हैं।

(ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए अनुसार के अलावा, निगम को किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि निगम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। फंडिंग पार्टी (''अंतिम लाभार्थी'') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें। और

(iv) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिस से हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (अ) और (ब) के तहत दिया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

द) वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए निगम द्वारा 72,92,891 / – रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया गया है।

य) हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच और हमें दी गई जानकारी शामिल है, निगम के पास संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष ऑडिटट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। निगम ने कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम 2014 के नियम 11 (जी) के तहत ऑडिट ट्रेल और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत ऑडिटट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-002145C

ह0
अमित शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या–400774
स्थान–जयपुर
तारीख – 17.12.2024
UDIN – 24400774BKFULH5750

नोट : सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष पर लेखा परीक्षा के रिपोर्ट अनुसूची–अ के अनुसार

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में

(अ) (अ) निगम ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए नहीं रखे हैं।

(ब) निगम ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।

(ब) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का हर साल सभी संपत्तियों को कवर करने के लिए डिजाइन किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम में प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में, निगम के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हालाँकि हमारी राय के अनुसार उनके द्वारा अपनाया गया तरीका विश्वसनीय नहीं है। विभिन्न इकाइयों से प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की सूची के अनुसार – संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की कुछ वस्तुओं को अनुपयोगी के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन निगम ने ऐसे अनुपयोगी के संबंध में न तो कोई खुलासा किया है और न ही मूल्य में कोई समायोजन किया है। अचल संपत्तियां।

(स) अलवर को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां निगम पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के शीर्षक विलेख निगम के नाम पर रखे गए हैं और दुर्गापुरा इकाइयों के दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं हैं इसलिए हम इनके संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। जयपुर में स्थित प्रशासनिक भवन की अचल संपत्तियों के अन्य शीर्षक विलेख, जैसा कि खातों के नोट्स पैरा संख्या में बताया गया है। (21 ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों के नोट्स के नोट नंबर–सी को निगम के नाम पर नहीं रखा गया है, विवरण निम्नानुसार है :–

(द)

तुलन पत्र में दिखाया गया	सम्पति का विवरण	सकल मूल्य	टाइटल किसके नाम से है	टाइटल डीड प्रमोटर/निदेशक या कर्मचारी है क्या	सम्पति कब है उसकी तिथि	कम्पनी के नाम से नही होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	भूमि व भवन प्रशासनिक भवन	रू. 53.54 लाख	राज्य सरकार कृषि विभाग	एजेसी को प्रमोटर राज्य सरकार	वित्तीय वर्ष 1989–90	राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

(य) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(डी) के तहत रिपोर्टिंग निगम पर लागू नहीं है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(र) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए निगम के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। 1988 (45 व 1988) और उसके तहत बनाए गए नियम।

(iii) इन्वेंटरी के संबंध में

(अ) निगम इन्वेंट्री का उचित रिकॉर्ड बनाए रख रहा हैय प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है और हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संयंत्र एवं मशीनरी की संपार्श्विक सुरक्षा। परीक्षण जांच के आधार पर सत्यापन के लिए हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण कंपनी के खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

(iii) दिए गए ऋण के संबंध में

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने न तो कोई निवेश किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। , वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को। तदनुसार, खंड 3(iii)(ए), 3(iii)(बी), 3(iii)(सी), 3(iii)(डी), 3(iii)(ई) और 3(iii)(के प्रावधान च) आदेश निगम पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(v) सार्वजनिक जमा के संबंध में

निगम ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के तहत कवर की गई जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (अ) लागू नहीं होता है।

(vi) लागत रिकॉर्ड के संबंध में

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए निर्धारित नहीं किया है।

(vii)वैधानिक बकाया के संबंध में

(अ) निगम माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। उपयुक्त प्राधिकारियों को देय कोई अन्य वैधानिक। हालाँकि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कृषि कल्याण उपकर और मंडी कर से संबंधित वैधानिक बकाया 31 मार्च 2024 तक छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया है, जिसकी राशि 14.93 लाख रुपये है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, उप–खंड (ए) में उल्लिखित कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो। निम्नलिखित को छोड़कर

क्र.सं.	नाम	अवधि	जहॉ बकाया है	सकल मांग राशि	मांग के अधीन जमा राशि / आयकर विभाग द्वारा समायोजित राशि	राशि जमा नही करवाई गई
1.	आयकर	2017–18	CIT Appeals –I Jaipur	146.12	146.12	NIL
2.	आयकर	2017–18	CIT Appeals –I Jaipur & High Court of Rajasthan	18.59	NIL	18.58
3.	आयकर	2020–21	CIT Appeals –I Jaipur	2.27	2.27	NIL

(viii) अघोषित आय के संबंध में

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने आय के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेनदेन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं था। वर्ष के दौरान आय के रूप में कर अधिनियम, 1961।

(ix) ऋण की अदायगी के संबंध में

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(द) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम की बैलेंस शीट की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई कोई भी धनराशि निगम द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई है।

(य) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित है) में कोई निवेश नहीं रखता है। तदनुसार, खंड 3(ix)(e) लागू नहीं है।

(र) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम किसी भी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित है) में कोई निवेश नहीं रखता है। तदनुसार, खंड ंड 3(ix)(f) लागू नहीं है।

(x) आईपीओ / ईपीओ / ऋण वित्त के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के संबंध में

(अ) निगम ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, निगम ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। साल के दौरान। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) लागू नहीं होता है।

(xi) धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के संबंध में

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान निगम द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा निगम पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (ऑडिट और) के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में लेखा परीक्षकों द्वारा दायर नहीं की गई है। केंद्र सरकार के साथ लेखापरीक्षक) नियम, 2014।

(स) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) निधि कंपनी के संबंध में

निगम कोई निधि कंपनी नहीं है. तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii)(ए),3(xii)(बी) और 3(xii)(सी) लागू नहीं होता है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(xiii) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है, जैसा कि आवश्यक है। लागू लेखांकन मानक।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संबंध में

(अ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, निगम के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।

(ब) हमने ऑडिट अवधि के लिए आज तक जारी निगम की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) गैर नकद लेनदेन के संबंध में

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं। .

(xvi) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 451ए के अनुपालन के संबंध में

(अ) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, निगम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं होता है।

(ब) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। 1934. तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(बी) लागू नहीं होता है।

(स) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, निगम एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) लागू नहीं होता है।

(द) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

(xvii) हमारी जांच के आधार पर, निगम को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(xviii) वैधानिक लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के संबंध में

वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) दायित्व को पूरा करने में किसी भी भौतिक अनिश्चितता के संबंध में

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और हमारी जांच के आधार पर धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि निगम बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एक अवधि के भीतर गिरना बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की. हालाँकि, हम कहते हैं कि यह निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। निगम जब भी उनका बकाया होगा।

(xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत अव्ययित राशि के संबंध में

हमारी जांच के आधार पर निगम पर धारा 135 का प्रावधान लागू है।

(अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, निगम ने कंपनियों को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में खर्च न की गई राशि हस्तांतरित कर दी है। निम्नलिखित को छोड़कर, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कार्य करेंय

Financial year*	Amount unspent on CSR activities "other than Ongoing Projects" Rs.	Amount Transferred to Fund specified in Sch. VII within 6 months from the end of the Financial Year	Amount Transferred after the due date (specify the date of deposit)
2022-23	1700	NIL	NIL

('चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए, जिसके लिए राशि खर्च नहीं की गई है)

(ब) निगम के पास कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत चालू परियोजनाएं नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xx)(बी) लागू नहीं होते हैं।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(स) निगम को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-002145C

ह0
अमित शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या–400774
स्थान–जयपुर
तारीख – 17.12.2024
UDIN – 24400774BKFULH5750

नोट : सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

अनुलग्नक – I – 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड जयपुर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संदर्भित

1. नोट संख्या 3 (अन्य दीर्घकालिक देनदारियां) नोट संख्या 6 (व्यापार देय), नोट संख्या 7 (अन्य वर्तमान देनदारियां), 23 (अन्य गैर–वर्तमान संपत्ति) नोट संख्या 11 (व्यापार प्राप्य) नोट के संदर्भ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संख्या 13 (अल्पकालिक ऋण और अग्रिम), निगम ने उनके शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है खातों की पुस्तकों में एक विशेष दिन और इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले शेषों के समाधान से लेकर अन्य दीर्घकालिक देनदारियां, व्यापार देय, अन्य वर्तमान देनदारियां, अन्य गैर–वर्तमान संपत्ति, व्यापार प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम की कोई प्रक्रिया नहीं की गई। आदि, जिनकी अंतिम पुष्टि समाधान हमारे प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकता है, इसलिए, अनिश्चितता के कारण हम ऐसे अग्रिमोंध्बकाया की वसूली की सीमा के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। शामिल।

2. हम वित्तीय विवरण के नोट नंबर 6 का संदर्भ लेते हैं जहां निगम ने एमएसएमई पर प्रकटीकरण के संबंध में कहा है कि ष्सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आपूर्तिकर्ताओं की पहचान आधारित है। प्रबंधन को उनकी स्थिति का ज्ञान। 31 मार्च, 2023 या 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कोई बकाया नहीं है। हालाँकि, निगम ने सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की पहचान के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं। इकाई द्वारा सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की पहचान न करने और एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत देय ब्याज के लिए प्रावधान न करने और वर्तमान रिपोर्टिंग में एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 22 के अनुसार आवश्यक विवरणों का खुलासा न करने के कारण वर्ष के साथ–साथ पिछले रिपोर्टिंग वर्ष में लाभ को अधिक बताने और व्यापार देयध्चालू देनदारियों को कम बताने का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।

3. हम नोट संख्या 7 अन्य वर्तमान देनदारियों – बकाया देनदारियों रु. 696.80 लाख वित्तीय विवरणों का अभाव देखते हैं। निगम ने रुपये की बकाया देनदारियों का हिसाब नहीं दिया है। रु. 4.28 लाख कमी इसलिए व्यय और अन्य वर्तमान देनदारियों को कम करके आंका गया है और वर्ष के लिए लाभ और आरक्षित और अधिशेष को क्रमशः रु. 4.28 लाख से अधिक बताया गया है

4. हम नोट संख्या 15 का उल्लेख करते हैं परिचालन से राजस्व रु. 23,024.89 लाख वित्तीय विवरणों का अभाव। निगम ने गैर–वसूली योग्य देनदारों के रूप में रु. 47.24 लाख की राशि को बिक्री रिटर्न के रूप में दर्ज किया है और इसे परिचालन से राजस्व से समायोजित किया है। इससे संबंधित सामग्री/स्टॉक भी संबंधित देनदारों से वापस नहीं मिलता है। तदनुसार परिचालन–बिक्री और व्यापार प्राप्य से राजस्व रु. 47.24 लाख से कम बताया गया है

5. हम नोट संख्या 17 का उल्लेख करते हैं, व्यापार में स्टॉक की खरीद रु. 16232.36 लाख वित्तीय विवरणों का अभाव। निगम ने खरीद रिटर्न के रूप में देनदारी के बिना देय होने वाली रु. 32.46 लाख की राशि का हिसाब

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

लगाया है और इसे व्यापार में स्टॉक की खरीद से समायोजित किया है। इससे संबंधित सामग्री/स्टॉक भी संबंधित आपूर्तिकर्ता को वापस नहीं लौटाया जाता है। तदनुसार, व्यापार में स्टॉक की खरीद और अन्य आय को रु. 32.46 लाख से कम आंका गया है

6. हम नोट संख्या 12 नकद और नकद समकक्ष रुपये का उल्लेख करते हैं। रु. 1442.90 लाख वित्तीय विवरणों का अभाव। इस शेष में निगम ने रु. 1.29 लाख के बैंक शेष (क्रेडिट बैलेंस) को शामिल किया है, जिसके लिए बैंक विवरण रिकॉर्ड में नहीं रखे गए हैं, इसलिए हम इसके बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

7. हम नोट संख्या 17 व्यापार में स्टॉक की खरीद रु. 16232.36 लाख वित्तीय विवरणों की कमी का उल्लेख करते हैं। इस शेष में वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित उत्पादन के लिए रु. 6.76 लाख की सब्सिडी को समायोजित (कम) किया गया है, जो एएस –5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुओं और परिवर्तन) के अनुसार नहीं है। लेखांकन नीतियां) जो निर्धारित करती हैं कि किसी अवधि में पहचानी जाने वाली आय और व्यय की सभी वस्तुओं को उस अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार चालू वर्ष में व्यापार में स्टॉक की खरीद कम बताई गई है और वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध लाभ रु. 6.76 लाख से अधिक बताया गया है।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-002145C

ह0
अमित शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या–400774
स्थान–जयपुर
तारीख – 17.12.2024
UDIN – 24400774BKFULH5750

नोट : सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश
अनुसूची बी

क्र.सं.	सामान्य निर्देश	रिमार्कस
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में खातों की किताबें बनाए रखी जाती हैं, हालांकि स्टॉक रजिस्टर मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है। इसके अलावा, जैसा कि हमें बताया गया है, रिकॉर्ड के लिए बैक अप सिस्टम मौजूद नहीं है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब–किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	ऋणदाता द्वारा ऋणों का कोई पुनर्गठन और माफी/बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि (अनुदान/ सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्य है। या इसकी एजेंसियों का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	निगम राज्य सरकार से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) के लिए अलग–अलग खाता बही बनाए रखता है। या इसकी एजेंसियाँ। हालाँकि, निगम ने उत्पादन और विपणन सब्सिडी को छोड़कर नियम और शर्तें/योजना विवरण उपलब्ध/प्रदान नहीं किया था, इसलिए हम उचित लेखांकन या धन (अनुदान/सब्सिडी आदि) के उपयोग के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-002145C

ह0
अमित शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या–400774
स्थान–जयपुर
तारीख – 17.12.2024
UDIN – 24400774BKFULH5750

नोट : सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश अनुसूची–सी

क्र.सं.	कंपनी / सेक्टर विशिष्ट दिशा–निर्देश (उप–दिशा–निर्देश)	टिप्पणी
1.	क्या वित्तीय वर्ष के अंत में मानक उद्योग प्रथाओं के अनुसार खड़ी फसलों / पेड़ों का भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन किया गया था?	निगम के पास कोई खड़ी फसल / पेड़ नहीं है। जैसा कि हमें बताया गया है, उत्पादन योजना के अनुसार अपेक्षित पैदावार के लिए खेतों / बीज उत्पादकों पर खेती के तहत फसल का भौतिक सत्यापन किया जाता है। खड़ी फसलों के मूल्यांकन के लिए निगम के पास कोई नीति नहीं है।
2.	क्या भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी / अधिकता के समायोजन के बाद स्टॉक रिकॉर्ड के आधार पर बीज, पैकिंग / प्रमाणीकरण सामग्री और अन्य वस्तुओं का स्टॉक उपलब्ध है और क्या पुराने स्टॉक की गुणवत्ता में गिरावट पर उचित विचार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ओवरवैल्यूएशन हो सकता है। भंडार?	निगम मैन्युअल रूप से स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रख रहा है। जैसा कि बताया गया है, निगम में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने की प्रथा है और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए फिट / अनफिट स्टॉक पर विचार किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार कम / खराब स्टॉक, यदि कोई हो, को खातों की पुस्तकों में समायोजित कर दिया जाता है।
3.	क्या कंपनी के पास लाभार्थियों को ऋण / सब्सिडी / कृषि इनपुट और कृषि मशीनरी के वितरण और लाभार्थियों से ब्याज, यदि कोई हो, सहित उसकी (ऋण) वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र है?	जैसा कि हमें बताया गया है कि बीजों से संबंधित सब्सिडी सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार वितरित की गई है।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-002145C

ह0
अमित शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या–400774
स्थान–जयपुर
तारीख – 17.12.2024
UDIN – 24400774BKFULH5750

नोट : सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट
अनुलग्नक डी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक **राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड** (निगम) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट के. इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो निगम की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोटष) और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। , 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है।
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैंय और
3. निगम की उन संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जिनमें कोई सामग्री हो सकती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण अपर्याप्त हो सकता है। खराब हो सकता है.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

राय

हमारी राय में, निगम के पास योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31,2024, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

धूत एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-002145C

ह0
अमित शर्मा
साझेदार
सदस्यता संख्या–400774
स्थान–जयपुर
तारीख – 17.12.2024
UDIN – 24400774BKFULH5750



नोट : सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ,जयपुर –302005
CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.org

स्टैंडअलोन बैंलेश सीट 31 मार्च 2024

राशि ₹ लाखों में

	विवरण	नोट न.	वर्ष 2023–2024 को	वर्ष 2022–2023 को
I.	साम्य और दायित्व			
1	अंशधारियों की निधि			
	(अ) अंश पूँजी	1	759.29	759.29
	(ब) आरक्षित निधी एवम् अधिकोषे	2	18,219.51	16,688.95
	(स) अंश वारन्ट के विरूध प्राप्त रूपये		-	-
			18,978.80	17,448.25
2	अंश पूँजी के विरूद बकाया आवटंन राशि		-	-
3	नॉन चालू दायित्व			
	(अ) रक्षित लम्बी अवधि की		-	-
	(ब) डैफर्ड कर दायित्व (नेट)		-	-
	(स) अन्य लम्बी अवधि के दायित्व	3	1,912.12	1,912.12
	(द) लम्बी अवधि के प्रावधान	4	0.35	53.74
			1,912.47	1,965.86
4	चालू दायित्व			
	(अ) रक्षित छोटी अवधि की	5	-	-
	(ब) व्यापारिक देयताएँ			
	(अ) कुल बकाया राशि सूक्ष्म एवं लघू उद्यमों के			
	(ब) कुल बकाया देयता लेनदारों की सूक्ष्म एवं लघू उद्यमों के अलावा	6	1,658.51	2,109.11
	(स) अन्य चालू दायित्व	7	6,960.56	6,223.02
	(द) छोंटी अवधि के प्रावधान	8	996.28	452.64
			9,615.35	8,784.77
	योग		30,506.62	28,198.87
II	सम्पतियाँ			
1	नान–चालू सम्पतियाँ			
	(अ) सम्पत्ति प्लांटस एवं औजार			
	(i) टेनजिबल सम्पत्तियाँ प्लांटस एवं औजार	9अ	2,809.11	2,983.33
	(ii) इनटेनजिबल सम्पत्तियाँ			
	(iii) पूँजीगत कार्य प्रगतिअधीन	9ब	76.96	76.96
	(ब) नान–चालू विनियोग		-	-
	(स) स्थगित (डैफर्ड) कर सम्पतियाँ (शुद्ध)	22	245.18	261.73
	(द) लम्बि अवधि के ऋण एवं अग्रिम			
	(ई) अन्य नान–चालू सम्पत्तियाँ	23	19.85	19.87
			3,151.10	3,341.89
2	चालू सम्पतियाँ			
	(अ) चालू विनियोग		-	-
	(ब) अन्तिम रहतियाँ	10	7,243.82	6,415.44
	(स) व्यापारिक प्राप्तियॉ	11	6,978.70	4,943.14
	(द) नकद और नकद तुल्य	12	1,442.90	5,126.79
	(य) ऋण और अग्रिम छोटी अवधि की	13	11,569.75	8,286.09
	(र) अन्य चालू सम्पतियाँ	14	120.35	85.52
			27,355.52	24,856.98
	योग		30,506.62	28,198.87
	वित्तीय प्रपत्र को महत्वपर्ण लेखा नितियों का सारांश नोट नं. 24 के अनुसार जो कि इन वित्तिय प्रपत्रों के आधार पर बनाये गये है उनका हिस्सा है।	24		

ह0
राकेश मामनानी
कम्पनी सचिव
M.No. F8834

ह0
मन मोहन मीणा
वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

ह0
रामलाल मीणा
महा प्रबन्धक

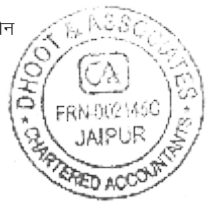
ह0
फतेह सिंह गुर्जर
निदेशक
DIN No.10538566

ह0
निमिषा गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
DIN No.10565348

ह0
राजन विशाल
अध्यक्ष
DIN No.05195419

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टेड अकाउन्टेन्टस
FRN No. 002145C
ह0
सीए अमित शर्मा
(भागीदार)
M.No. 400774

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.12.2024
UDIN : 24400774BKFULH5750



राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ,जयपुर –302005
CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.org

स्टैंडअलोन लाभ–हानि खाता सीट 31 मार्च 2024

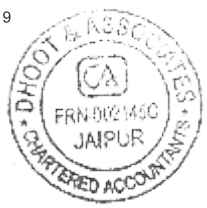
राशि ₹ लाखों में

	विवरण	नोट न.	वर्ष 2023–2024 को	वर्ष 2022–2023 को
अ 1.	क्रियाओं से रेवन्यू (नेट)	15	23,024.89	22,902.39
II	अन्य आय	16	380.12	333.01
III	कुल आय (I+II)		23,405.01	23,235.40
IV	खर्चे			
	(अ) मैटरियल खपत की लागत		-	-
	(ब) स्टॉक ट्रेड की क्रय	17अ	16,232.36	16,831.28
	(स) पूर्ण माल, कार्य प्रगतिधीन ओर व्यापार के स्टॉक में बदलाव	17ब	-1,419.02	-168.18
	(द) कर्मचारी बेनीफिट खर्चे	18	1,522.09	1,582.30
	(य) वित्तीय लागत	19	316.71	92.18
	(र) सीएसआर खर्चे	20	34.51	31.83
	(ल) ह्रास और परिशोधन खर्चे	9B	210.26	227.84
	(व) अन्य खर्चे	21	4,317.33	3,358.95
	कुल व्यय		21,214.25	21,956.20
V	कमाई परिशेधन मदे, अन्य विशिष्ट मद, ब्याज, टेक्स से पूर्व (ई.बी.आई.टी.) (3–4)		2,190.76	1,279.20
VI	असाधारण मदे		-	-
VII	लाभ/(हानि) अन्य विशिष्ट मद और कर से पूर्व (5–6)		2,190.76	1,279.20
VIII	अन्य विशिष्ट मदे		-	-
IX	लाभ/(हानि) कर से पूर्व (7–8)		2,190.76	1,279.20
X	पिछले वर्ष की आय/(व्यय)	19 (iii)	17.29	37.11
XI	लाभ/(हानि) चालू क्रियाओं से (09–10)		2,208.04	1,316.31
XII	कर खर्च			
	(अ) चालू वर्ष का कर		585.00	332.00
	(ब) पिछले वर्ष का कर		-	-
	(स) डैफर्ड कर	21	16.55	-1.97
XIII	लाभ/(हानि) चालू क्रियाओं से (**11-12**)		1,606.49	986.28
ब14	अचालू क्रियाऐं			
(i)	लाभ/(हानि) अचालू क्रियाओं से (कर पूर्व)		-	-
(ii)	बचत/(हानि) सम्पत्तियों के निस्तारण से/अचालू क्रियों के दायित्वों का सेटलमेन्ट		-	-
(iii)	जोडिये/(घटाये) कर खर्चे अचालू क्रियाओं से		-	-
	(अ) सामान्य गतिविधियों अचालू क्रियाओं से		-	-
	(ब) लाभ/(हानि) सम्पत्तियों के विक्रय से दायित्वों का सेटलमेन्ट		-	-
XV	लाभ/(हानि) अचालू क्रियाऐं स ` (14(i) ± 14(ii) ± 14(iii))		-	-
	कुल क्रियाऐं		-	-
XVI	लाभ/(हानि) वर्ष के लिये (13–15)		1,606.49	986.28
स	कमाई प्रतिअंश (रु. 211.39 प्रत्येक)			
	(अ) मूल			
	चालू क्रियाऐं		211.39	129.78
	कुल क्रियाऐं		211.39	129.78
	(ब) डाईल्युटेड			
	चालू क्रियाऐं		211.39	129.78
	कुल क्रियाऐं		211.39	129.78
XVII	कमाई प्रतिअंश (अन्य विशिष्ट मदों को छोडते हुऐ) रु. 211.39 प्रत्येक			
	(अ) मूल			
	चालू क्रियाऐं		211.39	129.78
	कुल क्रियाऐं		211.39	129.78
	(ब) डाईल्युटेड			
	चालू क्रियाऐं		211.39	129.78
	कुल क्रियाऐं		211.39	129.78
	वित्तीय प्रपत्र को महत्वपर्ण लेखा नितियों का सारांश नोट नं. 24 के अनुसार जो कि इन वित्तीय प्रपत्रों के आधार पर बनाये गये है उनका हिस्सा है।	24		

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
राकेश मामनानी	मन मोहन मीणा	रामलाल मीणा	**फतेह सिंह गुर्जर**	निमिषा गुप्ता	राजन विशाल
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	महा प्रबन्धक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
M.No. F8834			DIN No.10538566	DIN No.10565348	DIN No.05195419

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टेड अकाउन्टेन्टस
FRN No. 002145C
ह0
सीए अमित शर्मा
(भागीदार)
M.No. 400774

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.12.2024
UDIN : 24400774BKFULH5750



राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ,जयपुर –302005
CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.org

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण पत्र

राशि ₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(अ).(अ) परिचालन प्रक्रिया से नकद प्रवाह		
शुद्ध लाभ कर एवं असाधारण मद के पूर्व समायोजन :	2,208.04	1,316.31
समायोजन :	210.26	227.84
अधिक आयकर प्रावधान/मांग राशि पिछले वर्ष की	-	-
ह्रास/अमोरटाईजेशन समायोजन पिछले वर्ष के	-	-
ब्याज आय	-25.38	-27.59
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	316.71	92.18
डूबत ऋण अपलिखित	60.57	86.24
पूर्व वर्ष से सम्बन्धित आय		
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	**2,770.21**	**1,694.99**
विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/घटोतरी	-2,093.49	-1,395.11
स्टॉक में (बढ़ोतरी)/घटोतरी	-828.39	-1,663.94
ऋण एवं अग्रिम में (बढ़ोतरी)/घटोतरी	-3,321.14	1,068.99
व्यापार एवं अन्य देयताएं में बढ़ोतरी/(घटोतरी)	246.76	981.03
परिचालन से नकद उत्पन्नता	**-3,226.05**	**685.96**
करों का भुगतान	-	726.00
परिचालन प्रक्रिया से शुद्ध नकद	**-3,226.05**	**-40.04**
(ब) (ब)विनियोजन प्रक्रिया से नकद प्रवाह		
स्थाई परिसम्पत्तियों का क्रय	-36.05	-118.13
पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन क्रय	0.03	0.39
स्थाई परिसम्पत्तियों के विक्रय से	-53.39	-36.12
ब्याज प्राप्ति	25.38	27.59
विनियोजन प्रक्रिया से शुद्ध नकद	**-64.03**	**-126.26**
(स) (स) वित्तीय प्रक्रिया में शुद्ध नकद का उपयोग		
अंश पूँजी की प्राप्ति	-	-
लाभांश भुगतान	-77.10	-74.71
ब्याज का भुगतान	-316.71	-92.18
नकद एवं नकद के समान में शुद्ध बढ़ोतरी/(घटोती)	**-393.81**	**-166.89**
नकद एवं नकद के समान में शुद्ध बढ़ोतरी/(घटोती) (अ+ब+स)	**-3,683.89**	**-333.18**
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद के समान नकद एवं बैंक शेष	**5,126.79**	**5,459.94**
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद के समान नकद एवं बैंक शेष	**1,442.90**	**5,126.79**

नोट– नकद एवं नकद के समान में भुगतान नहीं हुआ रू. 7.89/– लाख (पूर्व वर्षो में 9.06/– लाख) लाभांश की राशि भी और रू. 0.99/– लाख (पूर्व वर्ष मं राशि रु. 0.99/– लाख) संग्रहण खातें में सम्मिलित है जो कि कम्पनी के पास उपयोग के लिये उपलब्ध नही है।

नकद प्रवाह प्रपत्र के नोट

विवरण	राशि ₹ yk[kksa esa
1. नकद एवं नकद तुल्य के घटक	
हस्तगत रोकड	0.34
परिवहनाधीन अन्तरण (रेमीटेन्स)	450.00
शेष बैंकों के साथ	
चालू एवं नकद साख सीमा खाता में	392.56
संग्रह खातें में	600.00
व्यक्तिगत जमा खातें में	-
आर्थिक चिठे के अनुसार	**1,442.90**

2. नकद प्रवाह चालू एवं अचालू क्रियाओं से	चालू क्रियाएँ		अचालू क्रियाएँ	
	2023-2024	**2022-2023**	**2023-2024**	**2022-2023**
परिचालन प्रक्रिया से शुद्व नकद	(3,226.05)	(40.04)	-	-
विनयोजन प्रक्रिया से शुद्व नकद	(64.03)	(126.26)	-	-
वित्तीय प्रक्रिया से शुद्व नगद	-393.81	-166.89	-	-
कोष्टक की राशि घटोती प्रस्तुत करती है	(3,683.89)	(333.19)	-	-

वित्तीय प्रपत्र को महत्वपर्ण लेखा नितियों का सारांश नोट नं. 24 के अनुसार जो कि इन वित्तीय प्रपत्रों के आधार पर बनाये गये है उनका हिस्सा है।

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
राकेश मामनानी	मन मोहन मीणा	रामलाल मीणा	**फतेह सिंह गुर्जर**	निमिषा गुप्ता	राजन विशाल
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	महा प्रबन्धक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
M.No. F8834			DIN No.10538566	DIN No.10565348	DIN No.05195419

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन

कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टेड अकाउन्टेन्टस
FRN No. 002145C
ह0
सीए अमित शर्मा
(भागीदार)
M.No. 400774

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.12.2024
UDIN : 24400774BKFULH5750



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 1 अंशपूँजी

₹ लाखों में

	विवरण	प्रारम्भिक शेष	जोडिये	घटाये	अन्तिम शेष
	अधिकृत पूँजीः				
	3900000 साम्य अंश प्रत्येक 100 रूपये	3900.00	-	-	3900.00
	100000 अधिमान अंश प्रत्येक 100 रूपये	100.00	-	-	100.00
	निर्गमित पूँजीः		-	-	-
	849543 साम्य अंश प्रत्येक 100 रूपये	849.54	-	-	849.54
	अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त पूँजी		-	-	-
	759976 साम्य अंश प्रत्येक 100 रूपये	759.98	-	-	759.98
घटाइए	बकाया मॉग राशि	0.69	-	-	0.69
घटाइए	जब्त अंश	-	-	-	-
	योग	759.29	-	-	759.29

* बकाया मॉग राशि 870 (पूर्व वर्ष के 875) साम्य अंशों पर

(A) अंशों का मिलान

	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
अंशों की संख्या	अंशों की संख्या	₹ लाखों में	अंशों की संख्या	₹ लाखों में
साम्य अंश				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-	-	
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
अधिमान अंश				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	-	-	-	-
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	-	-	-	-

(B) 5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों की सूची

5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों के नाम जो कि तुलन पत्र में नीचे दिखाई गई है।

		31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
क्र.सं.	अंश धारियों के नाम	अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की	अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की
1	राजस्थान राज्य सरकार के पास	6,33,000.00	83.37%	6,33,000.00	83.37%
2	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली	1,13,930.00	15.00%	1,13,930.00	15.00%
	योग	7,46,930.00	98.37%	7,46,930.00	98.37%

(III) साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध

क्र.सं.	अंश धारियों के नाम		अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की	प्रतिशत में बदलाव वर्ष के दौरान
1	राजस्थान राज्य सरकार के पास		6,33,000.00	83.37%	-
2	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली		1,13,930.00	15.00%	-
	Total		746930.00	98.37%	-

(IV) साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध

साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध कम्पनी के पास साम्य अंश श्रेणी के अंश अंकित मूल्य 100 रू. प्रति अंश जो कि निर्गमित एवं अभिदत्त है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश के लिए एक वोट के लिये योग्य है। साम्य अंशों के धारक संचालक मण्डल के द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के अनुमोदन के तहत, अन्तरिम लाभांश के अलावा, कम्पनी के बन्द होने की स्थिति में शेष सम्पत्तियों में से उनके पास धारित साम्य अंशों की संख्या एवं चुकायी गयी राशि के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य है।



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 2 आरक्षित निधि एवं अधिकोष

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) पूँजी आरक्षित निधि		
प्रारम्भिक शेष	0.45	0.45
जोडिऐः अतिरिक्त वर्ष के दौरान	-	-
घटायेः उपयोग/स्थानन्तरण वर्ष के दौरान	-	-
अन्तिम शेष	0.45	0.45
(ब) सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारम्भिक शेष	0.17	0.17
जोडियेः लाभ/हानि की बचत का स्थानन्तरण	-	-
घटायेः उपयोग/स्थानन्तरण वर्ष के दौरान	-	-
बोनस अंश जारी	-	-
अन्य	-	-
अन्तिम शेष	0.17	0.17
(स) बचत/(कमी) लाभ एवं हानि प्रपत्रों में		
प्रारम्भिक शेष	16,688.33	15,777.98
जोडिऐः लाभ/(हानि) वर्ष के लिये	1,606.49	986.28
घटाये : आयकर मांग पूर्व वर्षो की	-	-
जाडियेः आयकर रिफण्ड/अधिक प्रावधान रिटर्न बैंक पिछले वर्षो का	-	-
घटाये : सामान्य अंशधारियों को लाभांश बटाने के लिये प्रस्तावित	75.93	75.93
अन्तिम शेष	18,218.89	16,688.33
योग	18,219.51	16,688.95

नोट 3 अन्य दीर्घकालीन दायित्व

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) कृषि विभाग के जमा	18.14	18.14
(ii) सुखा ग्रस्त क्षेत्र हेतु रिवोलविंग फण्ड	260.00	260.00
(iii) सीड् बैक हेतु रिवोलविंग फण्ड	8.62	8.62
(iv) माल के लिए लेनदार (लिटिगेशन में)	1,613.85	1,613.85
(v) ए. जी पैरा के विरूद देय ब्याज	10.97	10.97
(vi) विविध लेनदार अन्य के लिए	0.54	0.54
योग	1,912.12	1,912.12

FRN 002483C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 4 दीर्घकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) कर्मचारी के बेनेफिट के लिए प्रावधान		
(i) ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम हेतू प्रावधान	0.35	22.92
(ii) अवकाश नकदी करण हेतू प्रावधान	-	30.82
योग	0.35	53.74

नोट 5 अल्पकालीन ऋण

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) नकद साख प्राथमिक सुरक्षाः वर्तमान और भविष्य सहित संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक। संपार्श्विक सुरक्षाः— संयंत्र और मशीनरी का दृष्टिबंधक रु. 5.25 करोड़.	-	-
योग	-	-

नोट 6 व्यापारिक देयतायें

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(ए) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कारण व्यय/खरीद के लिए देय		
व्यापारिक देयतायें		
व्यापार देय (विविध लेनदार)	1,658.51	2,109.11
योग	1,658.51	2,109.11

Refer Ageing at Note No. (41)B



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 7 अन्य चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) भुगतान नहीं हुआ लाभांश	7.89	9.06
(ii) अन्य भुगतान योग्य	-	-
(i) खर्चो के लिए विविध लेनदार	512.82	925.33
(ii) अन्य के लिए विविध लेनदार	738.44	770.14
(iii) पूँजीगत माल के लिए विविध लेनदार	21.41	21.49
(iv) अदत्त दायित्व	696.80	534.42
(v) अनुदान अग्रिम	249.67	249.67
(vi) सरकार को वापसी योग्य अनुदान	1,067.10	1,065.34
(vii) केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत अनुदान	-	-
(viii) ग्रहकों से बीज एवं अन्य के विरूद्ध	14.79	14.79
(ix) बीज उत्पादकों का जमा शेष	369.92	330.66
(x) विविध देनदारों का जमा शेष	754.58	832.58
(xi) डीलर्स आपूर्तिकत्ताओं, कान्ट्रक्टर्स एवं थोक विक्रेताओं की जमा अमानत	824.13	767.34
(xii) अमानत राशि एवं सिक्योरिटी राशि का प्रावधान	-	0.34
(xiii) ढाचागत विकास अनुदान (केन्द्रीय अनुदान)	1,694.25	694.25
(xiv) स्टाफ को अग्रिम	-	-
आरक्षित अच्छे माने गये	8.76	7.61
योग	6,960.56	6,223.02

नोट 8 अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रावधान		
(i) आयकर हेतु प्रावधान	917.00	332.00
(ii) साम्य लाभांश एवं कर हेतु प्रस्तावित प्रावधान	75.93	75.93
(iii) सी.एस.आर. हेतु प्रावधान	3.36	44.70
योग	996.29	452.64

DHOOT & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN 002145C JAIPUR

सम्पत्ति प्लांट और औजार

नोट 9 (अ)

₹ लाखों में

विवरण	सकल ब्लॉक				ह्रास (AMORTIZATION)					नेट ब्लॉक	
	1 अप्रेल 2023 को शेष	बढ़ोतरी	घटोतरी	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	वर्ष के दौरान	बढ़ोतरी / घटोतरी वर्ष के दौरान	कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रभाव	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
टैनजेबल सम्पत्ति											
फ्री होल्ड	28.42	-	-	28.42	-	-	-	-	-	28.42	28.42
लिज होल्ड	245.16	24	-	269.14	-	-	-	-	-	269.14	245.16
संयत्र भवन	1,485.70	-	-	1,485.70	759.45	67.41	-	-	826.86	658.84	726.25
संयंत्र एवं मशीनरी	1,400.40	3.23	-	1,403.64	1,144.03	36.96	-	-	1,180.98	222.65	256.37
फर्नीचर एवं जुडनार	168.98	2.48	-	171.45	134.13	7.81	-	-	141.94	29.51	34.85
अन्य वाहन	7.93	-	-	7.93	7.54	-	-	-	7.54	0.39	0.39
कार्यालय उपकरण	51.71	0.48	-	52.19	47.23	0.61	-	-	47.84	4.35	4.48
गोदाम	2,031.26	-	-	2,031.26	836.75	58.10	-	-	894.85	1,136.41	1,194.51
स्टाफ क्वार्टर	82.33	-	-	82.33	56.98	1.23	-	-	58.21	24.12	25.35
स्टील क्रेट्स	1,072.17	-	-	1,072.17	962.02	11.57	-	-	973.59	98.58	110.15
कम्प्यूटर	72.73	5.88	-	78.62	58.08	9.45	-	-	67.53	11.09	14.65
मोटर कार	76.35	-	-	76.35	71.01	0.73	-	-	71.74	4.61	5.34
कार्यालय भवन	537.72	-	-	537.72	210.15	15.93	-	-	226.08	311.64	327.57
प्रशासनिक भवन	53.54	-	-	53.54	43.72	0.47	-	-	44.19	9.35	9.82
फार्म पर कुआँ	2.26	-	-	2.26	2.26	-	-	-	2.26	0.00	0.00
योग	7,316.67	36.05	-	7,352.72	4,333.34	210.26	-	-	4,543.62	2,809.11	2,983.33
सी.डब्ल्यू.आई.पी.	76.96	-	-	76.96	-	-	-	-	-	76.96	76.96
पिछले वर्ष की	7,275.50	41.17	-	7,316.67	4,105.50	227.84	-	-	4,333.34	2,983.33	3,170.00

नोट (**i**) मूल्य ह्रास के आकलन अधिनियम,2013 कम्पनियों के प्रति अनुसूची द्वितीय के रूप में चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाली कम्पनी द्वारा आयोजित अचल सम्पत्तियों के लिखित नीचे मूल्य में अन्तर और कहा कि पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार **XIV** कम्पनी अधिनियम,1956 की अब दिया गया है। प्रभाव के रूप में लाभ और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की हानि को वर्ष 2015–16 के लेखों में प्रभाव दिया गया। इस तरह के समायोजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अन्तर को सामान्य आरक्षित निधि से चार्ज किया गया है।

नोट (**ii**) प्रारम्भिक राशि के ब्लॉक कर ह्रास शेष रही सम्पत्ति की जीवन पर एवं नये सम्पत्ति पर ह्रास की गणना उनके उपयोग में लेने के योग्य दिनांक से चार्ज किया गया है।

नोट (**iii**) राशि रु. 5,000/– से कम की सम्पत्ति पर 100 प्रतिशत ह्रास चार्ज किया गया है।

DHOOT & ASSOCIATES CA FRN 002140C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 9 ब सम्पत्तियॉ प्लांट और औजार (लगातार)

	विवरण		
स	ह्रास और अमाईटोजेशन लगातार क्रियाओं से सम्बन्धित		
	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
	ह्रास और अमाईटोजेशन वर्ष के लिऐ टेनिजिबल सम्पत्तियों पर नोट 9 अ के अनुसार	210.26	227.84
	Depreciation and amortisation relating to continuing operations	210.26	227.84

नोट 10 रहतियाँ

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रमाणित बीज	4,121.78	2,601.91
(ब) आधार व प्रजनक बीज	420.35	426.30
(स) न्यून आकार एवं अनुउपयुक्त बीज	936.92	1,021.40
(द) रॉ बीज एवं विधायित बीज	11.65	23.62
(य) रूई	-	-
(र) विधायन, रासायनिक एवं पैकिग सामग्री	1,751.58	2,342.21
(ल) परिवहनाधीन सामग्री	1.55	-
योग	7,243.82	6,415.44

नोट 11 व्यापारिक प्राप्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
I. (अ) अविवादित व्यापारिक प्राप्तियॉ		
(i) रक्षित अच्छे माने गऐ	8,230.14	6,136.65
(ii) अरक्षित मूाने गऐ		
(iii) खराब साख वाली प्राप्तियॉ		
(ब) विवादित व्यापारिक प्राप्तियॉ		
(i) रक्षित अच्छे माने गऐ		
(ii) अरक्षित मूाने गऐ		
(iii) खराब साख वाली प्राप्तियॉ		
योग **(I)**	8,230.14	6,136.65
(II) व्यापारिक प्राप्तियॉ के लिए प्रावधान	1,251.44	1,193.51
योग **(I-II)**	6,978.70	4,943.14

Refer Ageing at Note No. (41)C

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 12 नकद और नकद तुल्य

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) हस्तगत रोकड	0.34	0.63
(ब) शेष बैको के पास		
(i) चालू खाते में	141.20	1,055.89
(ii) नकद साख सीमा खाता	242.48	256.88
(iii) संग्रहण खाते में	0.99	0.99
(सी) एफडीआर 12 महीने के भीतर परिपक्व हो रही है	600.00	3,803.34
(स) इयरमाकृड खातों में		
अनपेड लाभांश खाता	7.89	9.06
(द) परिवहनाधीन अन्तरण (रेमीटेन्स)	450.00	-
योग	1,442.90	5,126.79

(ii) शेष बैको के पास – अन्य इयरमाकृड खातों में सम्मिलित रु. 7.89/– लाख (31 मार्च 2023 को रु. 9.06/– लाख) जो की रिपेटरियेशन पर रोक है।

नोट 13 अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) बीज उत्पादकों कों अग्रिम	4,781.50	4,072.90
घटाइऐं : अग्रिम के लिये प्रावधान	107.46	104.81
	4,674.04	3,968.09
(ब) पूर्वदत्त व्यय–अरक्षित अच्छे माने गये	20.14	0.58
	20.14	0.58
(स) सरकारी विभाग के पास शेष अरक्षित अच्छे माने गये		
(i) सरकार से वसूली योग्य अनुदान	5,698.16	3,512.63
(ii) अग्रिम आयकर	793.98	327.76
(iii) टी. डी. एस.	25.75	13.94
(iv) वादकरण के अन्तर्गत जमा	8.87	8.60
(v) आयकर वसूली योग्य	135.45	151.12
	6,662.20	4,014.05
(र) विविध लेनदार डेबिट शेष		
अरक्षित, अच्छे माने गयें	30.89	39.22
घटाइयेः–प्रावधान	6.82	6.47
	24.07	32.75
(ल) अन्य अग्रिम/ वसूली योग्य अरक्षित, अच्छे माने गयें	189.30	270.62
योग	11,569.75	8,286.09

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 14 अन्य चालू सम्पतियाँ

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) एफडीआर पर उद्त ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं	2.19	5.88
(ब) उद्त फार्म आय / अन्य आय	118.16	79.64
योग	120.35	85.52

नोट 15 आय क्रियाओं से

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उत्पादों की बिक्री :		
(i) प्रमाणित बीज	18,098.19	19,410.82
(ii) आधार एवं प्रजनक बीज	1,349.17	1,467.58
(iii) रूई	-	-
(iv) निलामी ब्रिक्री	1,017.12	33.46
(v) विपणन एवं एन.एफ.एस.एम अनुदान	2,560.42	1,990.53
योग	23,024.89	22,902.39

नोट 16 अन्य आय

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज से आय (रेफर नोट (i) नीचे)	25.38	27.59
(ब) अन्य नान आपरेटिगं आय (रेफर नोट (ii) नीचे)	354.73	305.42
योग	380.12	333.01

नोट (i)

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
ब्याज से आय सम्मिलितः		
बैकों से ब्याज :		
बचत खातों पर	21.58	26.52
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	-	-
अन्य ब्याज	3.80	1.07
योग –ब्याज आय	25.38	27.59

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट (**ii**)

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
अन्य नोन आपरेटिग आय सम्मिलितः		
फार्म से आय	226.85	226.85
शास्ति की वसूली	15.08	14.20
अनुक्रंमाक फीस	0.34	0.36
अन्य प्राप्तियाँ	7.97	9.68
बीज बैंक अनुदान का पूनभरर्ण	100.69	48.63
विधायन सामग्री की निलामी	3.81	5.70
कुल अन्य नॉन ऑपरेटिंग आय	354.73	305.42

नोट 17 अ व्यापारिक माल की क्रय

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
प्रमाणित बीज	17,847.27	18,007.72
रॉ बीज	85.32	100.38
आधार एवं प्रजनक बीज	1,767.70	1,604.54
क्रय खर्चे	9.57	18.52
घटाईये : उत्पादन के लिए अनुदान	(3,477.50)	(2,899.88)
योग	16,232.36	16,831.28

नोट 17 ब पूर्ण माल, कार्य प्रगतिधीन ओर व्यापार के स्टॉक में बदलाव

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
स्कन्ध वर्ष के अन्त में	5,492.24	4,073.22
स्कन्ध वर्ष के प्रारम्भ में	4,073.22	3905.04
नेट (बढत)/ घटत	(1,419.02)	(168.18)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 18 कर्मचारियों बेनिफिट खर्चे

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
वेतन एवं भत्तें	1,255.57	1,363.53
पेंशन अंशदान	33.80	26.78
चिकित्सा खर्चं	0.01	0.01
चिकित्सा राहत कोष में अंश दान	8.40	14.07
प्रशिक्षण एवं चयन	-	-
लिवरीज खर्चे	0.25	0.53
एल. आई सी. ग्रुप ग्रेच्युटी	24.24	29.65
नियोक्ता का भविष्य निधि में अशंदान	105.10	104.95
अवकाश नकदीकरण	79.43	16.60
कर्मचारियों को अनुग्रह राशि	5.43	7.76
स्टॉफ वेलफेयर	9.86	17.79
प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को	-	0.21
एनपीएस योगदान	-	-
कर्मचारियों को उपहार	-	0.42
सीपीएफ योगदान सरकारी	-	-
योग	1,522.09	1,582.30

नोट 19 वित्तीय खर्चे

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज खर्चः		
(i) ऋण पर	316.71	92.18
योग	316.71	92.18



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोटः 19 (II)

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान/प्रावधान		
वैधानिक अकेक्षण फीस	1.30	1.30
कर अंकेक्षण फीस	0.65	0.65
वैधानिक अंकेक्षकों को यात्रा भत्ता	1.06	1.35
योग	3.01	3.30
(**ii**) पिछले वर्ष का विवरण (नेट)		
पिछले वर्ष के खर्चे		
(i) हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोटेशन	-	-
(ii) विज्ञापन	2.71	-
(iii) कन्सलटेनसी	-	-
(iv) परीक्षण शुल्क	-	-
(v) श्रमिक ठेकेदार को भुगतान	16.14	0.06
(vi) पेट्रोल एव ंडीजल व्यय	0.40	-
(vii) वाहनों का रख–रखाव	0.16	-
(viii) मुद्रण एवंम लेखन सामग्री	4.49	-
योग	23.91	0.06
पिछले वर्ष की आय		
(i) अधिक प्रावधान रिटर्न बैक	41.20	37.17
(ii) हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोटेशन	-	-
(iii) ह्रास	-	-
योग	41.20	37.17
नेट	(17.29)	(37.11)

नोट 20 अन्य खर्चे

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सी.एस.आर. में योगदान	34.51	31.83
योग	34.51	31.83

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 21 अन्य खर्चे

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
श्रमिकों एवें श्रमिक ठेकदारों को मजदुरी	680.60	545.93
विधायन एवं औटाई व्यय	94.18	58.41
विधायन एवम् पैकिंग सामग्री का उपभोग	1,667.49	917.70
संयंत्रों की मरम्मत एवम् रख रखाव	40.62	47.65
परीक्षण एवम् प्रमाणीकरण खर्चे	201.88	201.57
बिजली व पानी	85.50	77.74
फामर्स खर्चे	0.05	5.13
यात्रा व्यय (निदेशकों के खर्च एवें सिटिगे फीस सम्मलित)	36.46	48.32
डाक, तार एवम् टेलीफोन	10.89	6.60
विज्ञापन	46.19	80.13
बीमा	2.20	67.91
पुस्तक एवम् पत्रिकाऐं	0.82	0.76
किराया, कर व दर	30.23	34.46
मनोंरजन	6.49	8.41
अंकेक्षकों को भुगतान	3.01	3.30
फाईलिंग शुल्क	3.46	2.83
मुद्रण एवम् लेखन सामग्री	49.50	31.59
बिजली व पानी	10.36	5.41
मरम्मत एवम् अनुरक्षण (अन्य)	55.61	66.78
वाहनों की मरम्मत एवम् अनुरक्षण	72.61	78.80
ए.जी.एम. एवम् अन्य सभा व्यय	7.85	11.57
कार्यालय व्यय	25.62	31.01
स्टेट रिनिवल फण्ड में अंशदान	15.19	15.19
सुरक्षा प्रहरी व्यय	277.61	244.10
आन्तरिक अंकेक्षण शुल्क	3.97	3.88
वैधिक व्यय एवम् पेशेवर शुल्क	45.38	20.17
ठेकेदार को भुगतान (ऑपरेटर/डाइवर/सहायक)	102.41	79.45
बीजो का परिवहन, उतराई, चढाई आदि	470.24	481.43
भण्डारण व्यय	122.29	92.25
संवर्धन एवम् प्रचार व्यय	83.01	1.11
क्षतिपुर्ति	1.05	0.28
बैंक प्रभार	4.00	2.84
मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान	-	-
विविध देनदारों एवं ऋण एव अग्रिम की तरफ डुबत ऋण अपलिखित का प्रावधान डूबत ऋण अपलेखन	60.57	86.24
योग	4,317.33	3,358.95

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 22 डैफर्ड टेक्स (दायित्व)/सम्पत्ति

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
नेट डेफर्ड कर (दायित्व) सम्पत्ति वर्ष के प्रारम्भ में	261.73	259.76
जोडिये/घटाये :– डेफर्ड कर प्रभाव वर्ष के दौरान		
कर प्रभाव जिन पर डेफर्ड टैक्स दायित्व बनता है।		
स्थाई सम्पत्तियों पर बुक शेष टैक्स का अन्तर	(47.48)	(58.53)
डेफर्ड जिस पर कर के लिये		
डेफर्ड कर दायित्व का कर पर प्रभाव @ 29.12 प्रतिशत	(13.82)	(17.04)
कर का प्रभाव डेफर्ड कर सम्पत्तियों के लिये		
ग्रेच्यूटी एवं अन्य कर्मचारियेां के लिये प्रावधान	(69.93)	(20.93)
डुबत ऋण एवं अग्रिम के लिये प्रावधान	60.57	86.24
आयकर एक्ट 1961 की धारा 40 (अ) (।), 43 ब के अन्तर्गत डिसअलाइन्स		
स्थाई सम्पत्ति पर टैक्स शेष का अन्तर		
डेफर्ड कर सम्पत्ति का टैक्स पर प्रभाव	(2.72)	19.02
शुद्व डेफर्ड कर (दायित्व)/सम्पत्ति वर्ष के अन्त में	245.18	261.73
कुल रिवर्सल डेफर्ड कर सम्पत्ति का	(16.55)	1.97

नोट 23 अन्य नॉन चालू सम्पत्तियॉ

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	चालू वर्ष 2022–23
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सरकार से वसूली योग्य अनुदान	2.17	2.17
सरकार के पास जमा अमानत राशि	17.67	17.70
योग	19.85	19.87



नोट "24" महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ :

(अ) कम्पनी के बारे में सूचना :–

भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्वेश्य से विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की मदद से राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई एवं इसके दूसरे चरण के तहत् राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड दिनांक 28 मार्च 1978 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् केन्द्र सरकार एवं राजस्थान की राज्य सरकार ओर स्थानीय किसानों की संयुक्त होल्डिंग के साथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापना की गई। कम्पनी ने व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद दिनांक 26 मई 1978 से अपना व्यवसाय शुरू किया। हमारी कम्पनी की कॉपोरेट पहचान संख्या U75132RJ1978SGC001781 है। केन्द्र सरकार और राजस्थान की सरकार एवं स्थानीय किसान कम्पनी के शुरूआती सदस्य थे।

(ब) लेखा नीतियाँ :–

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार** :– निगम के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी और कंपनियों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के संचयी आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए गए हैं। कार्यवाही करना। 2013 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं।

2. **अनुमानों का उपयोगः**– प्रस्तुत अवधि के वित्तीय विवरण में सामान्यतयाः प्रचलित लेखा सिद्वान्तों के आवश्यकता अनुसार प्रबन्धन द्वारा अनुमान मानते हुऐं आय एवं व्यय का प्रभाव एवं इस दिन के वित्तीय विवरण सम्पतियॉ एवं दायित्व मय संदिग्घ दायित्व को लिया गया है। वास्तविक एवं अनुमानित परिणाम के अन्तर को उस अवधि में लिया जाता है, जिसमें परिणाम मालूम हो।

3. **सम्पति प्लॉट एवं औजार** :– स्थायी सम्पतियॉ (राज्य सरकार से प्राप्त मुफ्त भूमि के अलावा) को लागत पर, या निर्माण लागत या पुस्तक मूल्य में से संचित ह्रास एवं इम्पेयरमेन्ट यदि कोई हो तो घटाते हुऐ लिया जाता है।

4. **ऋण लागतः**– कम्पनी ने बैंक से कार्यशील पूँजी के लिये लिमिट ली हुयी है। ऋण लागत को अवधि में खर्चे के रूप में लिया गया है, जिस अवधि में खर्चा हुआ है।

5. **स्टॉकः**–

   (अ) बीजः–

   i) प्रमाणित और आधार बीजों का मूल्य अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून को निर्धारित स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) के आधार पर मुख्य लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

   मूल लागत की गणना :–

   अ) बीजों के स्वयं के उत्पादन के मामले में :– प्राइम लागत में हर 3 साल में एक बार निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य और प्रसंस्करण ओवरहेड शामिल होते हैं।

ब) प्रत्यक्ष निजी आपूर्तिकर्ताओं से बीज की खरीद के मामले में – प्राइम लागत में खरीद मूल्य और पैकिंग सामग्री और खरीद व्यय के रूप में 3% शामिल है।

स) ऐसे मामलों में जहां स्वयं के उत्पादन और प्रत्यक्ष खरीद में स्टॉक का पृथक्करण संभव नहीं है – प्राइम लागत उपरोक्त (ए) और (बी) दोनों के औसत पर निकाली जाती है।

(2) प्रजनक बीजों का मूल्य सब्सिडी, यदि कोई हो, घटाकर खरीद लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया गया है। निगम की उत्पादन नीति के अनुसार ब्रीडर बीज को खुले बाजार में नहीं बेचा जाना चाहिए, इसलिए इस मूल्यांकन के लिए बाजार मूल्य निगम की नीति के अनुसार निर्धारित किया जाता है?

(3) रॉ बीजों का मूल्यांकन क्रय दर पर किया गया है।

(4) अस्वीकृत बीजों का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, जो प्रबंधन द्वारा तय किए गए संबंधित मंडी के अनाज की मंडी दरों का 85 प्रतिशत होता है।

(5) कम आकार के बीजों का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, जो प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार संबंधित मंडी के अनाज की मंडी दरों का 60 प्रतिशत होता है।

(6) कॉटन बीजों प्रमाणित, आधार, रॉ तथा कॉटन लिन्ट (सह उत्पाद) का मूल्यांकन अनुमानित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर किया गया है।

(ब) पैकिंग एवं विधायन सामग्री का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया गया है। इसके अलावा उपयोग/अमानक माल, जिनकी वसूली योग्य मूल्य का पता उस समय लगता है, जबकि उनको निलाम किया जाता है।

(स) इकाईयों के द्वारा स्टॉक रजिस्टर मैन्यूवल संधारित किया जाता है।

6. ह्रास :–

(अ) सिंगल शिफ्ट के आधार पर उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास लगाया गया है।

(ब) वर्ष के दौरान कुछ प्रसंस्करण संयंत्रों ने कुछ दिनों के लिए दोहरी पाली में काम किया है। यह समयबद्ध उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार बीजों की ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। हालाँकि, निगम ने इन प्रसंस्करण संयंत्रों पर केवल एकल पाली के आधार पर लागू दर पर मूल्यह्रास लगाया है।

(स) वर्ष के दौरान जोड़ी गईधनिपटाई गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास स्थापना की वास्तविक तिथि और वर्ष के दौरान उपयोगधनिपटान के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है। उपयोग में लाये जाने की तिथि का अर्थ वह दिन है जिस दिन संपत्ति अर्जित की जाती है और उपयोग में लायी जाती है।

(द) खरीद के वर्ष में व्यक्तिगत रूप से 5000/– रुपये से कम मूल्य वाली संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है। यह नीति पिछले कई वर्षों से चली आ रही है।

7. रेवन्यू :–

(अ) समस्त प्रकार के बीजों की बिक्री को लेखों में बिक्री कर, जीएसटी, मण्डी कर एवं व्यापारिक छूट के अतिरिक्त दर्शायी गई है। कृषि विभाग से प्राप्त विपणन अनुदान को बिक्री का हिस्सा माना गया है।

(ब) सीएसएस अनुदान :– 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुदान का पूर्णभरण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अनुदान की राशि प्रमाणित बीज की बिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है।

(स) कृषि विभाग से प्राप्त विपणन और एनएफएसएम सब्सिडी को बिक्री / राजस्व का हिस्सा माना गया है।

(द) कृषि विभाग से प्राप्त उत्पादन पर सब्सिडी को खरीद से कम कर दिया गया है।

8. क्रय :–

अ) उत्पादन योजना के अनुसार किए गए बीज के उत्पादन को तब ध्यान में रखा जाता है जब बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) से प्रमाणित अंकुरण रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और उसके संबंध में अन्य संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। खरीद की लागत का हिसाब निगम की अनुमोदित खरीद नीति के अनुसार किया जाता है।

ब) बीज उत्पादकोंध्उत्पादकों को संयंत्र में वितरित बीजों के एवज में दी गई अग्रिम राशि खरीद की पहचान / हिसाब लेने के बाद समायोजित की जाती है।

स) कंपनी द्वारा बीज की प्राप्ति पर बीजों की सीधी खरीद का हिसाब लगाया जाता है।

द) कच्चे बीज (मौसमी खरीद) को संबंधित मौसमों के लिए निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए अनुसार निगम द्वारा प्राप्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ढेंचा, तिल और मक्का के बीज कच्चे आधार पर खरीदे जाते हैं।

9. विधायन एवं पैकिंग सामग्री का उपयोग :–

(अ) विधायन एवं पैकिंग सामग्री के उपयोग का समायोजन प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान की गई क्रय को जोड़ते हुये कम्पनी के पास वर्ष के अन्त मे उपलब्ध भौतिक अन्तिम स्टॉक को घटाने के पश्चात प्राप्त शेष के आधार पर किया गया है।

(ब) वर्ष के दौरान क्रय किये गये स्टोर व स्पेयर्स का उपभोग मान लिया है।

10. विक्रय / क्रय की दरों में यदि कोई विवाद होने पर उनका लेखों में समायोजन निपटारा होने वाले वर्ष में किया गया है।

11. कर्मचारी परिलाभ :–

(अ) ग्रेच्यूटीः–

भुगतान के संचालन हेतु कम्पनी द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। ट्रस्ट द्वारा जीवन बीमा निगम के

द्वारा वर्ष 2008–09 में नकद एक्यूमेलेथिन सामूहिक प्रावधायी एवं पॉलिसी के बजाय वर्ष 2008–09 में सामूहिक प्रावधायी एवं नकद एक्यूमेलेथिन पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ब) अवकाश नकदीकरणः–

कम्पनी के द्वारा जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं, और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

12. अनुदान–सहायतार्थ :–

(अ) स्थाई सम्पत्ति विशेष हेतु प्राप्त सहायतार्थ पूंजीगत अनुदान को उपयोग के वर्ष में ही सम्बन्धित स्थायी सम्पत्ति की मूल लागत में से घटाया गया है।

(ब) कृषि विभाग से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य उत्पादन अनुदान का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया गया है।

(स) कृषि विभाग से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य विपणन अनुदान का लेखांकन अनुदान के योग्य प्रमाणित बीजों की वास्तविक बिक्री सम्बन्धित उप निदेशक (कृषि) से प्रमाणन के आधार पर किया गया है।

(द) भारत सरकार से प्राप्त सीड बैंक योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण लागत प्रतिपूर्ति का लेखांकन कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के वर्ष में किया गया है।

(य) कृषि विभाग से प्राप्त बीज उपचार के लिये अनुदान का समायोजन राशि प्राप्त होनें वाले वर्ष में किया जाता है।

13. डैफर्ड कर सम्पत्ति/दायित्व :–

कर लाभ एवं बुक लाभ के समायांतर के लिए डैफर्ड टेक्स का लेखांकन तुलन पत्र की तिथि को कर की दरों एवं लागू होने वाले कानूनों या होने जा रहे कानूनों का प्रयोग करते हुये किया गया है। डैफर्ड कर, सम्पत्तियाँ जो कि उस उचित निश्चितता की सीमा तक बनाई गई है कि वह सम्पत्तियाँ भविष्य में लेखांकित होगी।

14. सम्पत्तियों की हानि :– सम्पत्तियों के पेटे से राशि प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में समीक्षा कर रहे है। अगर वहां कोई है तो वह हानि आन्तरिक/बाह्य कारकों पर आधारित है। जब सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि हानि से अधिक है तो परिसम्पत्ति की पहचान होती है। परिसम्पत्ति की हानि को लाभ–हानि खाते में उसी वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में सम्पत्ति पर हानि होती है। यदि वसूली योग्य राशि का अनुमान में बदलाव होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में हानि के रूप में पहचान होती है।

15. आय प्रति अंश :–

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
1.	साम्य अंशधारियों के लिये ऐक्यूटरूबेलेट आयें।	रू. 16,06,48,984/-	रू. 9,86,27,942/-
2.	अंशो की संख्या	759976	759976
3.	आय प्रति अंश	**211.39**	**129.78**

(स) लेखों पर टिप्पणी :–

16. **दिनांक 31.03.2024 संदिग्ध दायित्व राशि जो प्रावधित नहीं की गई :–**

(1) निम्नलिखित संदिग्ध मागों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
(अ)	अन्य– विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन कार्य करने वाले श्रमिक,बीज उत्पादक,जो कि उपयुक्त न्यायालय/फोरम्स में लम्बित है।	रू. 25,80,59,771/-	रू. 23,76,20,542/-
(ब)	आयकर (विभिन्न निर्धारित वर्ष)	रू. 1,69,44,020/-	रू. 1,66,98,220/-

(2)मैसर्स पी.आर. एंटरप्राइजेज, मेसर्स द्वारका प्रसाद, मेसर्स जे.के. का मुकदमा। एग्रीजेंटिक्स और मेसर्स गौरी शंकर क्रमशः माननीय न्यायालय और मध्यस्थ के समक्ष लंबित हैं। इस समय ब्याज का पता नहीं लगाया जा सकता है इसलिए केवल मूल मांग राशि को आकस्मिक देनदारी के रूप में लिया गया है।

(3)विभिन्न अनुदानों/सब्सिडी या अन्यथा पूंजी खातों पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 115.45 लाख रुपये है, जो कुल अनुबंध मूल्य रुपये का अंतर है। 192.41 लाख और सीडब्ल्यूआईपी रु. 76.96 लाख

17. कराधान :–

वैट, आयकर, जीएसटी जैसे विभिन्न राजस्व कराधान कानूनों के संबंध में जिन देनदारियों पर विवाद चल रहा है, उन्हें आकस्मिक देनदारी के तहत प्रकट किया जाता है, उन्हें अंतिम रूप देने और निपटान के वर्ष में खातों की पुस्तकों में हिसाबध्मान्यता दी जाएगी।

18. ट्रुथफुल लेबल बीज और निगम के स्वामित्व वाले फार्म पर उत्पादित बीज और किसानों को अनुबंध के आधार पर पट्टे पर दिए जाने वाले बीज भी सभी प्रकार के प्रमाणित बीजों की खरीद, बिक्री और समापन स्टॉक में शामिल हैं।

(18 अ) वित्त वर्ष 2022–2023 में उचित दिशानिर्देशों के अभाव में रबी फसल सीजन 2022–23 की सीएसएस सब्सिडी 86,02,000/– रुपये की राशि को रसीद के आधार पर वित्त वर्ष 2023–2024 में बुक किया गया है जो चालू वर्ष की आय का हिस्सा है।

एनएसएफएम से रु.17,28,000/–मार्केटिंग सब्सिडी का दावा और रु. पिछले वित्तीय वर्षों में एनएसएफएम से 6,76,500/– उत्पादन सब्सिडी एनएसएफएम द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। इन राशियों को वर्तमान वित्तीय वर्षों में एनएसएफएम द्वारा स्वीकार और भुगतान किया गया है और रसीद के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में हिसाब लगाया गया है।

19. फार्म में उत्पादन से आय में लीज किराया एवं अन्य विविध फार्म उत्पादन की बिक्री सम्मिलित है।

20. राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को स्थानांतरित संयंत्र व मशीनरी एवं भवन का मूल्यांकन तदर्थ आधार पर किया गया है एवं कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित भूमि को शून्य मूल्य पर लिया गया है। उपरोक्त पर मूल्य ह्रास तदर्थ मूल्य पर चार्ज किया गया है।

21. 53.26 लाख रू. राशि का पूंजिगत कार्य प्रगतिधीन से स्थायी परिसम्पत्ति सकल ब्लाक (प्रशसनिक भवन) वर्ष 1989–90 में स्थानान्तरित किया गया है ऐसे भवन का अधिग्रहण एवं कब्जा कम्पनी द्वारा कर लिया गया है। कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

(21) इमूविवल सम्पत्ति जिसका टाईटल कम्पनी के नाम से नही है। उसक विवरणः–

तुलन पत्र में दिखाया गया	सम्पति का विवरण	सकल मूल्य	टाइटल किसके नाम से है	टाइटल डीड प्रमोटर/निदेशक या कर्मचारी है क्या	सम्पति कब है उसकी तिथि	कम्पनी के नाम से नही होने का कारण
संपत्ति संयंत्र उपकरण	भूमि व भवन प्रशासनिक भवन	रू. 53.54 लाख	राज्य सरकार कृषि विभाग	एजेसी को प्रमोटर राज्य सरकार	वित्तीय वर्ष 1989–90	राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

22. रिलेटेड पार्टी डिस्कलोजरः–

निगम के संबंधित पक्षों के नाम इस प्रकार हैं :–

	निगम में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्ति और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति
अ	श्री धीरज गुर्जर, अध्यक्ष (दिनांक 02.11.2023 तक)
ब	श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक (दिनांक 06.02.2024 तक)
स	श्री ललित कुमार, प्रबन्ध निदेशक (दिनांक 23.02.2024 तक)
द	श्रीमती निमिषा गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक (दिनांक 24.02.2024 से निरन्तर)
य	श्री के.सी. मीणा, महा प्रबन्धक (दिनांक 20.02.2024 तक)
र	श्री रामलाल मीणा, महा प्रबन्धक (दिनांक 01.04.2023 से निरन्तर)
ल	श्री मन मोहन मीणा, वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त) (दिनांक 01.04.2023 से निरन्तर)
व	श्री राकेश मामनानी, कम्पनी सचिव (दिनांक 01.04.2023 से निरन्तर)
	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
	ऐसे उद्यम जिनमें ऊपर वर्णित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित है

पैरा संख्या 9 के ICAI द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 के अनुसार अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्ष के संबंधों और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।



23. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:—

विवरण	निगम में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्ति और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति	ऐसे व्यक्तिगत और कुंजी प्रबंधन व्यक्तिगत कुंजी के रिश्तेदार	ऐसे उद्यम जिनमें ऊपर वर्णित किसी भी व्यक्ति का पर्याप्त हित है	कुल दिनांक 31.03.2024 तक	कुल दिनांक 31.03.2023 तक
प्रबंधकीय पारिश्रमिक / वेतन टीए सहित					
अध्यक्ष	श्री धीरज गुर्जर			15,93,032/-	26,68,326/-
प्रबन्ध निदेशक	श्री जसवन्त सिंह			27,61,980/-	28,45,844/-
प्रबन्ध निदेशक	श्री ललित कुमार			1,03,405/-	-
प्रबन्ध निदेशक	श्रीमती निमिषा गुप्ता			2,80,881/-	-
महा प्रबन्धक	श्री जगपाल सिंह			-	5,45,460/-
महा प्रबन्धक	श्री श्याम सुन्दर चर्तुवेदी			-	3,99,791/-
महा प्रबन्धक	श्री के.सी. मीणा			25,11,530/-	-
महा प्रबन्धक	श्री रामलाल मीणा			2,40,736/-	-
वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	श्री मन मोहन मीणा			20,20,789/-	18,11,761/-
कम्पनी सचिव	श्री राकेश मामनानी			15,39,608/-	14,34,339/-
कुल				**1,10,51,961/-**	**97,09,515/-**

संविदात्मक दायित्वों के तहत वेतन और अन्य देय राशि के भुगतान के अलावा प्रमुख प्रबंधन व्यक्तिगत या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

24. अंकेक्षकों को वर्ष के दौरान भुगतान का विवरण :—

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2024 को	समाप्त वर्ष 31.03.2023 को
1.	वैद्यानिक अंकेक्षण शुल्क	रु. 1,30,000/-	रु. 1,30,000/-
2.	कर अंकेक्षण शुल्क	रु. 65,000/-	रु. 65,000/-
3.	खर्चे पुनर्भरण एवं जीएसटी	रु. 1,05,728/-	रु. 1,34,717/-
	योग	रु. **3,00,728/-**	रु. **3,29,717/-**

25. आई.डी.बी.आई के द्वारा टी.डी.सी. प्रमाण पत्र रू. 53,630 / — गलती से वर्ष 1999—2000 में दो बार जारी कर दिया जो कि विविध लेनदारों अन्य में चालू दायित्व शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है।

26. वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2008–09 कम्पनी ने राज्य नवीनीकनरण कोष में अंशदान नहीं किया हैं क्योंकि राजकीय उपक्रम विभाग के द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं दी गई है। वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा अंश पूंजी का 2 प्रतिशत या 20 लाख रूपये जो भी कम हो की मांग प्राप्त हुई है। इसलिये कम्पनी के द्वारा रू. 15,18,572/– का प्रावधान कर दिया गया है। (पिछले वर्ष 15,18,572/–)

27. (अ) कम्पनी के द्वारा अवकाश नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी वर्ष 2007–08 के दौरान ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2024 निम्न प्रकार से है:–

अवकाश नगदीकरण			
विवरण	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)
पॉलिसी नम्बर	333442	104005517	104003019
मान्यतायें			
बट्टा दर	7.25%	7.25%	7.25%
वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%
दिनांक 31 .03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य			
वर्ष के शुरू में दायित्वों वर्तमान मूल्य	25,840,585.00	627,293.00	10,544,863.00
ब्याज लागत	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
वर्तमान सेवा लागत	258,604.00	36,037.00	706,029.00
देय लाभ	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
वर्ष के अन्त में दायित्वों वर्तमान मूल्य	22,201,327.00	758,127.28	12,279,348.00
दिनांक 31 .03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का उचित मूल्य			
वर्ष के शुरू में दायित्वों उचित मूल्य	24,105,109.00	545,506.00,	8,651,892.78
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	1,860,005.08	49,435.32	799,234.34
अंशदान	3,836,898.92	118,088.40	4,148,434.29
देय लाभ	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-

योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	21,368,634.00	712,971.00	13,286,362.41
कोष स्थिति			
बैलेन्श शीट में दिखायी गई राशि			
वर्ष के अन्त में दायित्वों उचित मूल्य	22,201,327.00	758,127.00	12,279,348.00
वर्ष के अन्त में योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	21,368,634.00	712,971.00	13,286,362.41
बैलेन्श शीट में दिखाये गये कुल सम्पति/दायित्व	(832,693.00)	(45,156.00)	1,007,014.41
लाभ हानि खाते मे दिखाये जाने वाले खर्चें			
चालू सेवा लागत	258,604.00	36,037.00	706,029.00
ब्याज लागत	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
पूंजीगत सम्पतियों पर आय	(1860,005,.08)	(49,435.32)	(799,234.34)
वर्ष में शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि की पहचान की गई	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
लाभ हानि खाते मे दिखाये जाने वाले खर्चें	2,934,116.00	81,458.00	1,248.450.00

(ब) कम्पनी के द्वारा वर्ष 2008–09 में भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप ग्रेच्यूटी कम एश्योरेंश पॉलिसी के बजाय ग्रुप ग्रेच्यूटी कैश अक्यूमलेशन स्कीम पॉलिसी ली गई है, जिसमे सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2024 निम्न प्रकार से हैः–



ग्रुप ग्रेच्युटी			
विवरण	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)
पॉलिसी नम्बर	104005514	63080	104003020
मान्यतायें			
बट्टा दर	7.25%	7.25%	7.25%
वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%
दिनांक 31 .03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य			
वर्ष के शुरू में दायित्वों वर्तमान मूल्य	617,636.00	44,635.680.00	15,318.753.00
ब्याज लागत	441,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
वर्तमान सेवा लागत	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
देय लाभ	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,523.00)
वर्ष के अन्त में दायित्वों वर्तमान मूल्य	695,277.00	32,295,657.00	16,624,499.00
दिनांक 31 .03.2024 को दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का उचित मूल्य			
वर्ष के शुरू में दायित्वों उचित मूल्य	687,125.05	43,404,216.60	13,571,247.24
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	55,887.21	2,808,696.05	1,154,524.43
अंशदान	72,712.75	-	3,960,485.39
देय लाभ	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	815,725.01	30,227,046.65	18,537,326.06
कोष स्थिति	120,448.01	30,227,046.65	1,912,827.06
बैलेन्श शीट में दिखायी गई राशि			
वर्ष के अन्त में दायित्वों उचित मूल्य	695,270.00	32,295,657.00	16,624,499
वर्ष के अन्त में योजनागत परिसंपत्तियों पर व्यय	815,725.01	30,227,046.65	18,537,326.06
बैलेन्श शीट में दिखाये गये कुल सम्पति/दायित्व	120,448.01	(2,068,610.35)	1,912,827.06
लाभ हानि खाते मे दिखाये जाने वाले खर्चे			
चालू सेवा लागत	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
ब्याज लागत	44,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
पूंजीगत सम्पतियों पर आय	(55,887.21)	(2,808,696.05)	(1,154,524.43)
वर्ष में शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि की पहचान की गई	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,530.00)
लाभ हानि खाते मे दिखाये जाने वाले खर्चे	21,754.00	837,147.00	300,153.00

28. ओ. पी. पी. योजना के तहत प्राप्त फार्मो के विकास हेतु अनुदान एवं यू.एन.डी.पी. योजना में प्राप्त फण्ड के अन्तर्गत कम्पनी नोडल ऐजेन्सी की तरह कार्य कर रही है।

29. लाभांशः– रूपयें 75,92,891/–का प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष में राशि रु. 75,92,898/–)

30 नकद एवं नकद तुल्य :–

(अ) राशि रू. 99000/– (गत वर्ष 99000) नगद एवं बैंक शेष (चालू अस्तियाँ) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया है जो कि बैंक एम. टी. (मनी ट्रान्सफर) के माध्यम से कम्पनी की ईकाइयों द्वारा उसके प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित राशि से सम्बन्धित है और वर्ष 1982–83 से 1986–87 के दौरान संग्रहण खाते में उन बैंकों की प्राप्तकर्त्ता शाखाओं के द्वारा 31 मार्च 2024 तक पावती नहीं की। कम्पनी द्वारा 2000–01 में उक्त वसूली के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विरूद्ध सिविलसूट दायर किया लेकिन वर्ष 2003–04 के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा दावा खारीज कर दी गई है, जिसके लिये द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई है। निर्णय अभी लम्बित है।

(ब) कम्पनी अवधि पार चैक को (जो कि पार्टी के द्वारा नहीं लगाये गये) उनको डैड चैक में स्थानान्तरित करती है।

(स) 4,50,00,000/–रुपये की राशि. को नकद और नकद समकक्ष शीर्षक के तहत चेक इन ट्रांजिट के रूप में दिखाया गया है क्योंकि निगम ने दिनांक 31.03.2024 को रुपये की राशि का चेक जारी किया था। एफडीआर में निवेश के लिए 4,50,00,000/– रुपये, जो 03.04.2024 को मंजूरी दे दी गई।

31. लीज पर फार्म :–

(अ) राज्य सरकार के द्वारा कृषि फार्म भूमि पूर्व के वर्षो में लीज–होल्ड आधार पर आवंटित किये गये थे। लीज रेन्ट का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा नहीं किये जाने के कारण कम्पनी के द्वारा लीज रेन्ट का दायित्व लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।

(ब) कम्पनी के द्वारा फार्म के विकास पर किये गये खर्चो को लाभ हानी खाते से चार्ज किया गया है। चाहें वह रेवन्यु या खर्चा हों।

32. कम्पनी के प्रबन्धन के द्वारा वर्ष के दौरान के डुबत ऋण पेटे राशि रु. 60,57,132/– (पिछले वर्ष 86,23,729/) का प्रावधान किया गया है, जिसमें से विविध देनदारों की तरफ रु 57,92,776/– रिवर्ट किये गये है। (पिछले वर्ष 94,60,957/) एवं बीज उत्पादकों की तरफ रु. 2,64,356/– (पिछले वर्ष (-) 8,37,228/) एवं ऋण एवं अग्रिम के पेटे राशि रु. निल (पिछले वर्ष रु. निल) थे।

DHOOT & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN 002145C JAIPUR

विवरण	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 01.04.2023 को	चालू वर्ष (चार्ज) / जमा	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 31.03.2024 को
अ. डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियॉ –अवकाशनकदीकरण	**8,97,751**	**(12,04,693)**	**(3,06,942)**
– डुबत ऋण	**3,80,05,786**	**17,63,836**	**3,97,69,622**
– ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	**3,51,690**	**(4,98,578)**	**(1,46,894)**
योग (अ)	**3,92,55,227**	**60,565**	**3,93,15,786**
ब डैफर्ड टैक्स (दायित्व) / सम्पतियाँ –ह्रास	**(1,20,78,875)**	**(13,82,489)**	**(1,34,61,364)**
स्टेट नवीनीकरण कोष	**(10,02,975)**	**(3,32,964)**	**(13,35,939)**
योग (ब)	**(1,30,81,850)**	**(17,15,453)**	**(1,47,97,303)**
शुद्ध डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) (अ)+(ब)	**2,61,73,377**	**16,54,894**	**2,45,18,483**

35. (अ) निदेशक कृषि लिफ्ट सिंचाई :–

लिफ्ट सिंचाई हेतु रू. 6.06 लाख पत्रांक एफ 4 (2) बजट / प्लान / 89–90 / 22 दिनांक 6.04.1989 के द्वारा दिनांक 07.06.1989 को राशि प्राप्त हुई । राशि रू. 5.93 लाख अभी तक भी उपयोग किये जाने है।

(ब) बाजरा बीज के लिए उत्पादन अनुदान :–

निजी बीज उत्पादकों के द्वारा हाईब्रिड बाजरा बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के द्वारा जारी स्वीकृति पत्रांक एफ (24)(277) / डीए / आरकेवीवाई / 2010–11 / 15569–578 दिनांक 28.03.2011 के द्वारा राशि रु. 307.35 लाख की राशि दी गई थी जो कि अभी तक उपयोग नही हो पाई है। इसलिए इसे अनुदान वापसी योग्य सरकार को चालू दायित्व के अन्तर्गत दिखाया गया है।

36. वर्ष 2006–07 के दौरान रू. 6.26 लाख विभिन्न कृषकों को अच्छी गुणवता का बीज विक्रय करने की वजह से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जो कि मै0 रियल मार्केटिंग जलना एवं मै0 सांई सीडस कारपोरेशन, आन्ध्रप्रदेश के द्वारा सप्लाई किया गया था। निगम द्वारा इन आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध दिनांक 21.05.07 को रू. 27.33 लाख का दावा किया गया। अनिश्चितता के कारण इसको खातों में नहीं लिया गया। न्यायालय के पास अभी तक इस केस का निर्णय लम्बित है।

37. उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र नहीं है जिन पर निगम का बकाया है, जो 31 मार्च 2024 तक 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है। यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जानी आवश्यक है। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है।

38. वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिये रही अनपेड डिवेडेन्ड की राशि क्रमशः रू. 1,20,046 / – एवं 1,19,948 / – (पिछले वर्ष 1,20,046 /) को वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और सुरक्षाकोष में हस्तान्तरित कर दी गयी है।

39. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर निती के पेटे राशि रु. 34,51,409 / – का प्रावधान वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा किया गया है। (पूर्व वर्ष राशि रु. 31,82,648 / –)

(A) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
कम्पनी एक्ट की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियां

		2023-24	2022-23
(a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,	34,51,409/-	31,82,648/-
(b)	किए गए व्यय की राशि,	44,70,102/-	1,92,799/-
(c)	वर्ष के अंत में कमी,	75,86,219/-	29,89,449/-
(d)	पिछले वर्षों की कुल कमी,	3,35,292/-	14,80,553/-
(e)	कमी का कारण,	अनुउपयोग के कारण राशि वापस प्राप्त हो गयी है।	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण
(f)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,	समाज कल्याण	समाज कल्याण
(g)	संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, ई . जी., प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	N/A	N/A
(h)	जहां एक संविदात्मक दायित्व में शामिल होने से उत्पन्न दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाली गतिविधियों को अलग से दिखाया जाना चाहिए।	-	-

40.. विगत वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के आंकडों के तुलनीय बनाने के दृष्टिकोण से जहाँ आवश्यक हो को पुनः ग्रुपिंग/पुनः व्यवस्थित/पुर्नगणना की गई है।

41. विविध देनदार, लेनदार, ऋण एवं अग्रिम, सिक्यूरिटी जमा, चालू दायित्व, अदत्त दायित्व, कृषि विभाग के पास जमा, रिवोलिंग फण्ड एवं बीज बैंक को उनके पुस्तक मूल्यों पर लिया गया है। सम्बन्धित से पुष्टि/मिलान किया जाना लम्बित है।

(अ) 1613 लाख रुपये की राशि को मुकदमेबाजी के तहत माल के लिए विविध लेनदारों के रूप में वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है, जो जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड से संबंधित है। इस मुद्दे के संबंध में एक कानूनी मामला चल रहा है और जिसकी स्थिति अभी भी वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर में लंबित है।

(ब) व्यापारिक देयताऐं आयुवार सारांश

31.03.2024

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	802.41	344.60	267.53	243.97	1658.51

31.03.2023

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	1020.42	438.23	340.21	310.25	2109.11
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	-	-	-	-	-

(स) व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य आयुवार सारांश

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)					योग (रु. लाखों में)
	06 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
31.03.2024						
(i) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	4924.83	1105.06	428.68	520.12	-	6978.69
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	1251.44	1251.44
31.03.2023						
(i) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	2668.54	1232.36				3900.90
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	863.00	179.24	-	1042.24
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियॉ योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	1193.51	1193.51

42. अनुदान उपयोग का विवरणः—

		31.03.2024	31.03.2023
अ	पूँजीगत अनुदान		
1.	इन्फ्रास्ट्रकचर अनुदान (गोदाम)	-	-
2.	सीड् बैंक अनुदान (गोदाम)	-	-
ब	आयगत अनुदान		
1.	उत्पादन अनुदान	34,77,49,815/-	28,99,88,466/-
2.	विपणन अनुदान	25,60,42,770/-	13,42,70,670/-
3.	सी.एस.एस.	8,88,56,392/-	11,54,56,840/-
4.	एन.एफ.एस.एम. (प्रमाणित बीज)	1,00,68,619/-	6,47,81,880/-
5.	सीड् बैंक की व्यवस्था	34,77,49,815/-	48,62,564/-

43. आंकडों को निकटतम लाखों में अंकित किया गया है।

44. (अ) निगम के पास विभिन्न किस्मों का बीज कुल मात्रा 82977 क्विंटल 31.03.2024 को थी (पिछले वर्ष 63932 क्विंटल) जो कि बीज उत्पादकों से लिया गया था एवं जो कि ग्रेडिंग एवं प्रमाणिकरण की प्रक्रिया में था। निगम के द्वारा इसके पेटे बीज अग्रिम राशि रु. 47,81,49,722/— (पिछले वर्ष 40,72,99,175/—) था। किस स्टॉक का स्वामित्व निगम के पास नहीं था।

45. पूर्व अवधि की मदें :—

पिछले वर्ष के आधार पर, पिछले वर्ष की आय राशि रु. (41,20,157/—) (पिछले वर्ष रु. 37,16,416/—) एवं खर्चे राशि रु. (23,91,372/—) (पिछले वर्ष रु. 6,086/—)।

46. सेंगमेन्ट रिर्पोटिंग :— सीड् सेंगमेन्ट ही मुख्य गतिविधि है।

47. आयकर निर्धारण एवं मांगः—

1. कर निर्धारण वर्ष 2017—18 :—

(अ) निर्धारण वर्ष 2017—18 के लिए निगम का आयकर आकलन दिनांक 23.12.2019 के आदेश के तहत किया गया है, जिसमें आयकर मांग 2,18,82,718/— रुपये की अतिरिक्त राशि शामिल की गई है। विभाग द्वारा इस तरह की अतिरिक्त राशि रु. आदेश दिनांक 23.12.2019 द्वारा 1,46,12,053/— रु. निगम ने परिवर्धन को स्वीकार नहीं किया है और सीआईटी (अपील) —ा जयपुर में दिनांक 10.01.2020 को अपील दायर की है। आयकर विभाग द्वारा मांग राशि पिछले वर्षों के रिफंड से रोकी गई।

(ब) अतिरिक्त आदेश धारा 143(3) आर.डब्ल्यू.एस. निर्धारण वर्ष 2017—18 के लिए 263 (धारा 144बी के साथ पढ़ें) दिनांक 29.03.2023 के आदेश के तहत रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 53,70,873/— रुपये की अतिरिक्त आयकर मांग हुई। 18,58,751/— दिनांक 29.03.2023। निगम ने परिवर्धन स्वीकार नहीं किया है और सीआईटी (अपील) — 1, जयपुर दिनांक 21.04.2023 को अपील दायर की है।

2. कर निर्धारण वर्ष 2020–21 :–

निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए आयकर की मांग दिनांक 20.03.2023 के आदेश के तहत की गई है। गलत रिपोर्ट की गई आय की राशि रु. 6,81,211/– आयकर मांग ू.त.ज. विभाग द्वारा ऐसी गलत रिपोर्ट की गई आय में रु. की वृद्धि की गई है। 2,27,416/– आदेश दिनांक 20.03.2023 द्वारा। निगम ने परिवर्धन और दायित्व को स्वीकार नहीं किया है और सीआईटी (अपील) –1, जयपुर दिनांक 17.04.2023 को अपील दायर की है।

3. कर निर्धारण वर्ष 2023–24 :–

आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2023–24 के लिए 2,45,800/– की मांग दिनांक 27.11.2024 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत आदेश द्वारा किया गया है। मामला सलाहकार के साथ चर्चा में है।

विवरण	अंश हर	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023	अन्तर का कारण
स्टॉक टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/औसत स्टॉक	3.37	2.98	बिक्री राजस्व में वृद्धि और अंतिम स्टॉक की सूची में बदलाव पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई है।
व्यापारिक देयतायें टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/औसत व्यापारिक देयतायें	8.62	2.69	पी.वाई. की तुलना में नेट क्रेडिट खरीद कम की जा रही है। और औसत. व्यापार देय भी कम कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उच्च टीपीटीआर हो गया है।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	EBITDA - Capex Debt Service	8.51	16.47	कंपनी ने एसबीआई से सीसी सीमा ले ली है, और वर्ष के दौरान सीसी सीमा के अधिक उपयोग के कारण ब्याज लागत में वृद्धि हुई है और कैपेक्स भी पी . वाई की तुलना में कम मूल्य पर रहा है, जिससे डीएससीआर कम हुआ है।
चालू अनुपात	चालू सम्पत्तियॉ चालू दायित्व	2.85	2.83	वर्तमान अनुपात में परिवर्तन पर्याप्त नहीं है और इस प्रकार किसी विशेष कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है।
ऋण अंश अनुपात	ऋण अंश	-	-	कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक ऋण या किसी प्रकार का डिबेंचर जारी नहीं है, इसलिए ऋण इक्विटी अनुपात लागू नहीं है।

इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद लाभ औसत शेयरधारकों की इक्विटी	8.81	5.80	प्रत्यक्ष व्यय में कमी . और उच्च स्तर पर इन्वेंट्री में बदलाव लाभप्रदता में वृद्धि का प्रमुख कारण है।
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय से)	शुद्ध क्रेडिट बिक्री औसत व्यापार प्राप्य	3.86	5.33	बिक्री में बढ़ा हुआ परिवर्तन औसत में बढ़े हुए परिवर्तन की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार व्यापार प्राप्य के परिणामस्वरूप टीआरटीआर में कमी आई
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय से)	टर्नओवर कार्यशील पूंजी	1.30	1.42	मूवमेंट 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, इसलिए कारण बताने की जरूरत नहीं है.
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद लाभ कुल बिकी	6.97	4.31	प्रत्यक्ष व्यय में कमी . और उच्च स्तर पर इन्वेंट्री में बदलाव लाभप्रदता में वृद्धि का प्रमुख कारण है, साथ ही परिवर्तनीय लागत में वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और बढ़े हुए राजस्व के लिए निश्चित लागत स्थिर रहती है।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	परिचालन लाभ कुल नियोजित पूंजी	0.12	0.08	कुल नियोजित पूंजी में गिरावट होने के कारण ईबीआईटी में बढ़ोतरी .
निवेश पर प्रतिफल	कर के बाद लाभ निवेश का प्रारंभिक मूल्य	2.11	1.30	अनुपात में वृद्धि इस कारण से हुई है कि निवेश का प्रारंभिक मूल्य पिछले वर्षों से स्थिर है और दूसरी ओर लाभ में लगभग 1.6 गुणा वृद्धि हुई है।

49. आयुवार पूँजी कार्य प्रगतिधीन

31.03.2024

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) योजना प्रगति में	-	-	76.96	-	76.96
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-

31.03.2023

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) योजना प्रगति में	-	76.96	-	-	76.96
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-

50. संचालन स्टॉक

	प्रमाणित बीज		आधार एवं प्रजनक बीज		रूई		बेकार एवं न्यून बीज		रॉ/ग्रेडेड बीज	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
प्रारम्भिक स्टॉक										
मात्रा (क्वि.)	47082	89941	7531	13893	-	-	37887	11607		
मूल्य (रू.)	260191192	309221056	42629800	56653950	-	-	102139617	21770550	2361698	2858960
परिवाहनधीन माल										
मात्रा (क्वि.)										
मूल्य (रू.)										
खरीद/जोडा वर्ष के दौरान										
मात्रा (क्वि.)	283276	269731	34810	30187			15129	27248		
मूल्य (रू.)	1446466670	1522674326	176769611	160453630						
कनवर्जन (क्वि.)	3618	4412	2480	5959						
बिक्री										
मात्रा (क्वि.)	266099	291273	30011	33718	-	-	30541	954		
मूल्य (रू.)	2065860750	2140134854	134917125	146757957	-	-	101711570	3345752		
कनवर्जन (क्वि.)	2702	6586	3396	3785						
बेकार (क्वि.)	9819	19150	3129	4959						
अन्तिम स्टॉक										
मात्रा (क्वि.)	55436	47082	8202	7531	-	-	22324	37887		
मूल्य (रू.)	412178218	260191192	42034650	42629800	-	-	93691983	102139617	1164695	2361698
परिवाहनधीन माल										
मात्रा (क्वि.)	50									
मूल्य (रू.)	154600									
कमी (क्वि.)	130	7	83	46	-	-	151	13		

नोटः–

1. वर्ष के दौरान निल क्वि0 कपास क्रय की गई (पिछले वर्ष निलद्ध, जिसमें रूई – निल क्वि. बीज – निल क्वि. और निल क्वि. न्यून बीज (पिछले वर्ष रूई निल बीज निल न्यून बीज निल) उत्पाद बनायें गये। जिसका मूल्य प्रमाणित बीज रॉ कपास एवं अन्य मात्राओं में रॉ/ग्रेडेड बीजों में सम्मलित है।
2. उपरोक्त दर्शायी गई मात्रा 31 मार्च के हिसाब से ली गई है, जबकि इसका मूल्यांकन प्रतिवर्ष 30 जून की स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) के आधार पर किया गया है। मात्रा को क्विन्टलस में पूर्णाकिंत किया गया है।
3. प्रमाणित बीजों के क्रय मूल्य में क्रय व्यय सम्मिलित है, एवं उत्पादन अनुदान घटानें के पश्चात् है।
4. प्रमाणित बीजों के विक्रय मूल्य में विपणन अनुदान सम्मिलित है, एवं व्यापारिक छूट घटानें के पश्चात् है।

(हस्ताक्षर नोट 1 से 24 तक)

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
राकेश मामनानी	मन मोहन मीणा	रामलाल मीणा	फतेह सिंह गुर्जर	निमिषा गुप्ता	राजन विशाल
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	महा प्रबन्धक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
M.No. F8834			DIN No.10538566	DIN No. 10565348	DIN No.05195419

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.12.2024
UDIN- 24400774BKFULH5750

ह0
(अमित शर्मा)
भागीदारी
M.No. 400774

DHOOT & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS CA FRN 002145C JAIPUR

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन
कृते दूत एण्ड एसोसियेटस
चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस्
FRN No. 002145C

बिल न किए गए राजस्व की पुरानी अनुसूची

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए उत्कृष्ट				
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1 से 2 साल	2 से 3 साल	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2024 तक	लागू नही				
31 मार्च, 2023 तक	लागू नही				

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्यवाही

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

या

निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

सम्पति का विवरण	खरीद का वर्ष	राशि (लाखों में)	लाभार्थियों का विवरण	बैलेंस शीट में आइटम का संदर्भ	यदि लेखों में नहीं है तो उसके कारण बताइये	चाहे कार्यवाही लेनदेन के दुष्प्रेरक के रूप में हो या अंतरणकर्ता के रूप में	कार्यवाही की प्रकृति, उसकी स्थिति और उस पर कंपनी का दृष्टिकोण
परिसंम्पतियां 1	लागू नही						
परिसंम्पतियां 2							
परिसंम्पतियां 3							
परिसंम्पतियां 4							
परिसंम्पतियां 5							

बैंकों से उधार

(i) कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण समझौते में हैं। कंपनी के खाते की पुस्तकों के साथ।

तिमाही अवधि		लेखा पुस्तकों के अनुसार (लाखों में)	बैंक में भेजे गये विवरण अनुसार (लाखों में)	अन्तर (लाखों में)	कारण
30 जून 2023					
अन्तिम स्टॉक		5143.60	5100.00	43.60	
व्यापारिक देनदार		3836.54	3800.00	36.54	
व्यापारिक लेनदार		3391.04	3400.00	-8.96	
30 सितम्बर 2023					
अन्तिम स्टॉक		7465.12	7500.00	-34.88	
व्यापारिक देनदार		4339.74	4300.00	39.74	
व्यापारिक लेनदार		4206.80	4200.00	6.80	

30 दिसम्बर 2023					
अन्तिम स्टॉक		4363.83	4300.00	63.83	
व्यापारिक देनदार		11007.53	11000.00	7.53	
व्यापारिक लेनदार		3479.44	3500.00	-20.56	
31 मार्च 2024					
अन्तिम स्टॉक *		7243.82	4500.00	2743.82	
व्यापारिक देनदार		6978.70	6900.00	78.70	
व्यापारिक लेनदार		1658.00	1600.00	58.00	

* बैंक रिटर्न उद्देश्य के लिए प्रमाणित बीजों और फाउंडेशन बीजों को लिया जाता है।

(ii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। या

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

बैंक, वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाताओं का नाम	घोषणा की तिथि	डिफॉल्ट का विवरण	उस पर कंपनी का दृष्टिकोण या टिप्पणियाँ
बैक 1			
वित्तीय संस्थान			डिफॉल्ट नही
अन्य ऋणदाता			

हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन–देन नहीं था।

या

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ निम्नलिखित लेनदेन हैं।

हटाई गई कंपनी का नाम और लेनदेन की प्रकृति	बकाया राशि (लाखों में)	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
कम्पनी 1		
प्रतिभूतियों में निवेश		
देनदार		लागू नही
लेनदार		
हटायी गयी कम्पनी द्वारा दारित शेयर		
अन्य बकाया शेष (विशेष प्रकृति)		

कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है और तदनुसार, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन विचाराधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है। या

कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन नहीं किया है और निर्दिष्ट परतों से परे कंपनियों का विवरण निम्नलिखित विवरण के अनुसार है।

कम्पनी का नाम	कम्पनी का **CIN**	सम्बन्ध	धारण की सीमा
कम्पनी 1			लागू नही
कम्पनी 2			

व्यवस्था की योजना

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की कोई योजना नहीं है। **लागू नहीं**

या

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की एक योजना (यहां विवरण निर्दिष्ट करें) को मंजूरी दे दी गई है और ऐसी व्यवस्था की योजना के प्रभाव को खाते की किताबों में दर्ज किया गया है। कंपनी की योजना के अनुसार और भारतीय लेखा मानकोंध्लेखा मानकों के अनुसार (अनुचित रिपोर्टिंग ढांचे को हटा दें) **लागू नहीं**

मध्यस्थों को अग्रिम या ऋण या निवेश और मध्यस्थों से धन की प्राप्ति

कंपनी ने समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की है (चाहे वह हो) लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया) कि मध्यस्थ (प) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या (पप) कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा या अंतिम लाभार्थियों को पसंद करें या उनकी ओर से। **लागू नहीं**

कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड नहीं मिला है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (प) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या (पप) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।

लागू नहीं

मध्यस्थों को अग्रिम या ऋण या निवेश और मध्यस्थों से धन की प्राप्ति

कंपनी ने समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की है (चाहे वह हो) लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया) कि मध्यस्थ (प) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या (पप) कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा या अंतिम लाभार्थियों को पसंद करें या उनकी ओर से। **लागू नहीं**

अघोषित आय

कंपनी का कोई भी लेन–देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे किसी भी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो। **लागू नहीं**

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए, इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते हैं। या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश किया और संबंधित खुलासे इस प्रकार हैं

विवरण	राशि (लाखों में)
क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि	
रिपोर्टिंग तिथि पर धारित मुद्रा की राशि	
क्रिप्टो करेंसी/आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम	

ह0	ह0	ह0	ह0	ह0	ह0
राकेश मामनानी	मन मोहन मीणा	रामलाल मीणा	फतेह सिंह गुर्जर	निमिषा गुप्ता	राजन विशाल
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	महाप्रबन्धक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
M.No. F8834			**DIN No.10538566**	**DIN No.10565348**	**DIN No.05195419**

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.12.2024
UDIN : 24400774BKFULH5750

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन
कृते धूत एण्ड एसोसियेटस
चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस
FRN No. 002145C

ह0
सीए अमित शर्मा
भागीदारी
M.No. 400774

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

AUDITOR'S REPORT

To The Members of
RAJASTHAN STATE SEED CORPORATION LIMITED

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **Rajasthan State Seed Corporation Limited (here in after referred as "the Corporation)**, which comprise the balance sheet as at 31st March 2024, and the statement of Profit and Loss and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effect of the matter(s) described in the *Basis for Qualified Opinion* section, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March,2024, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified opinion

We draw attention to the matters described as under, the effect of the misstatements and possible effects of undetected misstatement on the standalone financial statement due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence which are material, but not pervasive either individually or in aggregate.

(i) As detailed in Para 1 of Annexure I of this Audit Report Regarding not obtaining balance confirmation and not following procedure of reconciliation of trade receivables, trade payables, loans and advances and other liabilities etc.

(ii) As detailed in Para 2 of Annexure I of this Audit Report regarding non-identification and disclosure of details as required by Section 22 of MSMED Act 2006.

(iii) As detailed in Para 3 of Annexure I of this Audit Report regarding short booking/accounting of Outstanding Liability.

(iv) As detailed in Para 4 of Annexure I of this Audit Report regarding adjustment of unrecoverable debtors from Revenue from Operations –Sales.

(v) As detailed in Para 5 of Annexure I of this Audit Report regarding adjustment of liability no longer payable from Purchase of Stock in Trade.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(vi) As detailed in Para 6 of Annexure I of this Audit Report regarding Bank Balances

(vii) As detailed in Para 7 of Annexure I of this Audit Report regarding Prior Period Income/Expenses

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing (SAs) specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to following matters related with the financial statements:

1. Refer to Note No. 3 of Balance Sheet in respect of Other Long-term Liabilities which includes Revolving Fund for Drought Prone Area for Rs.260 Lakhs, the company has not maintained separate account for their utilization. Therefore, we are unable to comment on the utilization of the same as necessary documents were not available with the company.

2. The company has stated in Para No. 14 of Note No.-A of "Significant Accounting Policies & Notes on Accounts" that the management has reviewed as on balance sheet date about impairment of assets as per Accounting Standard – 28. However, in the absence of procedure and valuation adopted for impairment of Property, plant & equipment by the company, we are unable to comment whether any impairment loss has remained un-assessed or un-provided for in accordance with Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets".

3. Refer para no. 41 of Note No. - C of "Significant Accounting Policies & Notes on Accounts" in respect of Sundry Debtors, Creditors, Loans & Advances, Security Deposits, Current Liabilities, Outstanding Liabilities, Deposit with Agriculture Department and Revolving fund with seed banks are subject to confirmations and necessary adjustments upon reconciliation. The company has not complied with the requirements of SA 505 (Revised) – "External Confirmations", in absence of the same; we are unable to comment about the impact thereof on the financial statements.

   Our Opinion is not modified in respect of these matters.



DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

Other Matter

1. Accounting Entries for transfer of Inventory from one unit to another (IUT) is being done for quantity only without taking into effect the monetary value for such transfers. This practice is being followed from previous years. Therefore profitability of the individual units could not be determined.

Our Opinion is not modified in respect of these other matters.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon.

The Corporation's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexure to Board's Report but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Board's Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and describe actions applicable in the applicable laws and regulations.

Responsibility of Management for Standalone Financial Statements

The Corporation's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors is also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

As required by Section143(3) of Act, we report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except for the matters as stated in the *Basis for Qualified Opinion* section of this audit report.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books except for the matters stated in the paragraph (i) VI below on reporting under Rule 11(g).

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

c) The balance sheet, the statement of profit and loss, and the cash flow statement dealt with by this report agree with the books of account.

d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended., **except for the effects and possible effects of the matter described in the basis for qualified opinion paragraph, for AS-5 (Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies)**, **AS-10 (Property, Plant and Equipment), AS-29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)** as detailed above & in Annexure 1 of this audit report.

e) Being a Government Corporation, pursuant to the Notification NO. GSR 463 (E) dated 05.06.2015 issued by Government of India; provisions of section 164(2) of the Companies Act 2013 are not applicable to the corporation.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in 'Annexure D'.

g) Being a Government Corporation, pursuant to the Notification NO. GSR 463 (E) dated 05.06.2015 issued by Government of India; provisions of section 197 of the Companies Act 2013 are not applicable to the corporation.

h) The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above. The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the paragraph (b) above on reporting under section 143(3)(b) of the Act and paragraph (f)VI below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   a) The Corporation did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.

   b) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation.

   c) (i) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

Corporation to or in any other person(s) or entity(es), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Corporation ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ii) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Corporation from any person(s) or entity(es), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Corporation shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(iii) Based on such audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

d) For the FY 2023-2024 Dividend of Rs 72, 92,891/-has been proposed by the Corporation.

e) Based on our examination which included test checks and information given to us, the Corporation is having a feature of recording audit trail (edit log) facility throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software. Consequently, the corporation has complied with the provisions related to audit trail and reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014.

As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN-002145C

sd/-
Amit Sharma
Partner
Membership No-400774
Place-Jaipur
Date- 17-12-2024
UDIN- 24400774BKFULH5750

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

The Annexure-A referred to in our Independent Auditors Report to the members of the Corporation of the financial statement for the year ended March 31, 2024, we report that's:

(i) In respect of Property, Plant & Equipment

(a) (A) The Corporation has not maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Corporation has not maintained proper records showing full Particulars of intangible assets.

(b) The Property, Plant and Equipment's are physically verified by the management in a phased program designed to cover all the assets every years, which in our opinion, is reasonable having regards to the size of the Corporation and nature of its assets. However as per our opinion method followed by them is not reliable. As per the lists of Property, Plant and Equipment's received from various units- certain items of Property, Plant and Equipment's have been marked as "unserviceable", but the Corporation has neither made any disclosure nor made any adjustment in value in respect of such unserviceable fixed assets.

(c) The title deeds of all the immovable properties (other than properties where the Corporation is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the corporation except for Alwar & Durgapura Units for which documents are not held on records hence we are unable to comment regarding these . Further title deeds of the immovable properties being administrative building situated at Jaipur as reported in notes to accounts para no. (21 A) of Note No.-C of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts" are not held in the name of the corporation, details as under-

(d)

Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of item of Property	Gross Carrying Value	Title deeds held in the name of	whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant , Equipment	Land & Building - Administrative Building	Rs. 53.54 Lakhs	State Govt. -Agriculture Dept.	Agency of the Promoter - State Govt.	F.Y.1989-90	The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Company is still pending.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(e) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets during the year. Accordingly, the reporting under Clause 3(i)(d) of the Order is not applicable to the Corporation.

(f) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Corporation, there are no proceedings have been initiated or are pending against the Corporation for holding any benami property under the Benami

Transactions (Prohibition) Act,1988 (45 of 1988) and rules made the reunder.

(ii) In respect of Inventory:

(a) The Corporation is maintaining proper records of inventory; physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and in our opinion, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate and no discrepancies were observed.

(b) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Corporation, the Corporation has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets & collateral security of Plant & Machinery. On test check basis as per the records made available to us for verification the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company.

(iii) In respect of loan granted:

According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not made investments in, nor provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties during the year. Accordingly, provisions of clause 3(iii)(a), 3(iii)(b), 3(iii)(c), 3(iii)(d), 3(iii)(e) and 3(iii)(f) of the Order are not applicable to the Corporation.

(iv) In respect of compliance of section 185 and 186 of The Companies Act, 2013:

According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records, in respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.

(v) In respect of public deposits:

The Corporation has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits covered under sections 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Accordingly, clause 3(v) of the Order is not applicable.

(vi) In respect of cost records:

According to the information and explanations given to us The Central Government has not prescribed for maintenance of cost records under section 148 (1) of the Companies Act, 2013.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(vii) In respect of statutory dues:

(a) Corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory due to the appropriate authorities. However according to the information and explanations given to us there are outstanding statutory dues pertaining to Krishi Kalyan Cess & Mandi tax as on 31st of March 2024 for a period of more than six months from the date they became payable amounting to Rs.14.93 lacks.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, there is no statutory dues referred to in sub-clause (a) that have not been deposited on account of any dispute except following:

S. No.	Name of the Statute	Nature of the disputed statutory dues	Period to which the amount relates	Forum where Dispute is Pending	Gross disputed amount (Ra. in Lacs)	Amount deposited under protest/ adjusted by Tax Authorities (Rs. In Lacs)	Amount not deposited (Rs In Lacs)
1	Income Tax	Income Tax	AY 2017-18	CIT Appeals –I Jaipur	146.12	146.12	NIL
2	Income Tax	Income Tax	AY 2017-18	CIT Appeals –I Jaipur & High Court of Rajasthan	18.59	NIL	18.58
3	Income Tax	Income Tax	AY 2020-21	CIT Appeals –I Jaipur	2.27	2.27	NIL

(viii) In respect of undisclosed income :

According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(ix) In respect of repayment of loan :

(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

(c) According to the information and explanations given to us by the management, the Corporation has not obtained term loans during the year.

(d) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Corporation, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term purposes by the Corporation.

(e) The Corporation does not hold any investment in any subsidiary, associate or joint venture (as defined under the Act) during the year ended 31 March 2024. Accordingly, clause 3(ix)(e) is not applicable.

(f) The Corporation does not hold any investment in any subsidiary, associate or joint venture (as defined under the Act) during the year ended 31 March 2024. Accordingly, clause 3(ix)(f) is not applicable.

(x) In respect of funds raised through IPO/ EPO/ Debt finance:

(a) The Corporation has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, the Corporation has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

(xi) In respect of fraud reporting :

(a) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the corporation, no material fraud by the Corporation or on the Corporation by its officers or employees was noticed or reported during the year.

(b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.

(c) According to the information and explanations given to us by the management, no whistle-blower complaints had been received by the Corporation.

(xii) In respect of Nidhi Company :

The Corporation is not a Nidhi Company. Accordingly, clause 3(xii)(a), 3(xii)(b) and 3(xii)(c) of the Order is not applicable.

(xiii) In respect of transactions with related parties :

In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, where applicable and the details have been disclosed in the standalone financial statements, as required by the applicable accounting standards.

(xiv) In respect of internal audit system :

(a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures, the Corporation has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Corporation issued till date for the period under audit.

(xv) In respect of non cash transactions:

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Corporation has not entered any non-cash transactions with directors or persons connected with him and hence, provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Corporation.

(xvi) In respect of compliance of section 451A of the RBI Act, 1934:

(a) In our Opinion and based on our examination, the Corporation is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934). Accordingly, clause 3(xvi)(a) of the Order is not applicable.

(b) In our Opinion and based on our examination, the Corporation has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clause 3(xvi)(b) of the Order is not applicable.

(c) In our Opinion and based on our examination, the Corporation is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(d) According to the information and explanations given by the management, the Group does not have any CIC as part of the Group.

(xvii) Based on our examination, the Corporation has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

(xviii) In respect of resignation of statutory auditors:

There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

(xix) In respect of any material uncertainty to meet liability:

According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that Corporation is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Corporation. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Corporation as and when they fall due.

(xx) In respect of unspent amount under section 135(5) of The Companies Act, 2013

Based on our examination, the provision of section 135 is applicable on the Corporation.

(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Corporation, in respect of other than ongoing projects, the Corporation has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act, except in respect of following;

Financial year*	Amount unspent on CSR activities "other than Ongoing Projects" Rs.	Amount Transferred to Fund specified in Sch. VII within 6 months from the end of the Financial Year	Amount Transferred after the due date (specify the date of deposit)
2022-23	1700	NIL	NIL

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

(*For Current year and for the previous year/(s) for which the amount remains unspent)

(a) The Corporation does not have ongoing projects under section 135 of the Companies Act. Accordingly, paragraphs 3(xx)(b) of the Order are not applicable.

(b) The Corporation is not required to prepare Consolidate financial statement hence this clause is not applicable.

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN-002145C

sd/-
Amit Sharma
Partner
Membership No-400774
Place-Jaipur
Date- 17-12-2024
UDIN- 24400774BKFULH5750

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

Annexure – I - referred to in Audit Report of Rajasthan State Seed Corporation Limited Jaipur for the year ended on 31st March 2024

1. In reference to Note No. 3 (Other Long Term Liabilities) Note No. 6 (Trade payables), Note No.7 (Other current liabilities), 23 (Other Non-Current Assets) Note No 11 (Trade Receivables) Note No 13 (Short Term Loans & advances) of Standalone Financial Statements, The Corporation has not followed any procedure to obtain confirmation for their balance featured in a particular day in the Books of Accounts and not conducted any procedure from reconciliation of balances appearing under these heads viz., Other Long Term Liabilities, Trade payables, Other current liabilities, Other Non-Current Assets, Trade Receivables, Short Term Loans & advances etc., whose final confirmation/ reconciliation may affect our disclosure, therefore, we are unable to comment about the extent of realization of such advances / dues, due to uncertainty involved.

2. We refer to Note No. 6 of Financial Statements where corporation has stated regarding disclosure on MSME "The identification of micro, small and medium enterprise suppliers as defined under the provisions of "Micro, small and medium enterprises Act, 2006" is based on Management's knowledge of their status. There are no dues to micro, small and medium enterprises as on March 31, 2023, or March 31, 2024". However, the Corporation has not maintained adequate records for identification of all Micro and Small Enterprises. Due to non-identification of all Micro and Small Enterprises by the entity and non-provision for interest payable if any u/s 16 of MSMED Act thereof, and non-disclosure of details as required by Section 22 of MSMED Act 2006 in current reporting year as well as previous reporting year the impact of overstatement of profit and understatement of trade payables / current liabilities is not ascertainable.

3. We refer to Note No. 7 Other Current Liabilities –Outstanding Liabilities Rs.696.80 Lacks of Financial Statements. The corporation has not accounted for Outstanding Liabilities amounting to Rs. 4.28 Lacks therefore Expenses and Other Current Liabilities have been understated and Profit for the year and Reserves and Surplus respectively have been overstated by Rs 4.28 lacks

4. We refer to Note No. 15 Revenue from Operations Rs. 23,024.89 Lacks of Financial Statements. The corporation has accounted a sum of Rs 47.24 Lacks being non recoverable debtors as Sales Return and adjusted the same from Revenue from Operations. Material /Stock related to this is also not received back from the respective debtors. Accordingly Revenue from Operations –Sales and Trade Receivables is understated by Rs 47.24 Lacks

5. We refer to Note No. 17 Purchase of Stock in Trade Rs. 16232.36 Lacks of Financial Statements. The corporation has accounted a sum of Rs 32.46 Lacks being liability no longer payable as Purchase Return and adjusted the same from Purchase of Stock in Trade. Material /Stock related to this is also not returned back to the respective supplier. Accordingly Purchase of Stock in Trade and Other Income is understated by Rs 32.46Lacks

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

6. We refer to Note No. 12 Cash & Cash Equivalents Rs. 1442.90 Lacks of Financial Statements. In this balance the corporation has included bank balances of Rs.1.29 Lacks (credit balance) for which bank statements are not held on records therefore we are unable to comment about the same.

7. We refer to Note No. 17 Purchase of Stock in Trade Rs.16232.36 Lacks of Financial Statements. In this balance a sum of Rs 6.76 Lacks being Subsidy for Production has been adjusted (reduced) pertaining to financial years 2022-23 which is not in accordance with AS-5 (Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies) which prescribed that all items of income and expenses which are recognized in a period should be included in the determination of net profit or loss for the period. Accordingly current year Purchase of Stock in Trade is understated and Net Profit for the current period is overstated by Rs 6.76 Lacks

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN-002145C

sd/-
Amit Sharma
Partner
Membership No-400774
Place-Jaipur
Date- 17-12-2024
UDIN- 24400774BKFULH5750

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5) OF COMPANIES ACT 2013

Annexure-B

S. No.	General Directions	Remarks
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing o f accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Books of Accounts are maintained in Tally Accounting Software however Stock Registers are maintained manually. Further as informed to us Back Up System for records is not in place.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. made by lender to the company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case ,lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of the lender company)	There has been no restructuring and waiver /write off of debts by the lender.
3	Whether funds (Grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Govt. or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	The corporation is maintaining separate ledger accounts for funds (Grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from State Govt. or its agencies. However the corporation had not made available/provided terms and conditions /scheme details except for Production & Marketing Subsidy hence we are unable to comment regarding proper accounting or utilization of funds (Grants/subsidy etc.)

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN-002145C

sd/-
Amit Sharma
Partner
Membership No-400774
Place-Jaipur
Date- 17-12-2024
UDIN- 24400774BKFULH5750



DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5) OF COMPANIES ACT 2013

Annexure C

S. No.	Company/Sector Specific Directions (Sub-directions)	Remarks
1	Whether physical verific ation and valuation of standing crops /trees was done at the end of the financial year in accordance with the standard industry practices?	The corporation does not had any standing crops /trees. As informed to us physical verification of crop under cultiva tion at Farms/Seed Growers is conducted for expected yields as per production plan. The corporation has no policy for valuation of the standing crops.
2	Whether the stock of seeds , packing/certification materials and other items on the basis of stock reco rds after adjustment of shortage/excess found on physical verification and whether due consideration has been given for deterioration in the quality of old stocks which may result into overvaluation of stock?	The corporation is maintaining stock records manually. As informed the corporation has a practise of conducting physical verification of stocks and fit/unfit stocks are considered and valued for preparation of financial statements. As per this practise short/deteriorated stock, if any, gets adjusted in books of accounts.
3	Whether the company has an effective mechanism for disbursement of loans/subsidies /agro inputs and agriculture machineries to beneficiaries and recovery thereof (loans) along with interest, if any, from beneficiaries?	As informed to us subsidies related to Seeds have been disbursed in accordance with the policy issued by Government.

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN-002145C

sd/-
Amit Sharma
Partner
Membership No-400774
Place-Jaipur
Date- 17-12-2024
UDIN- 24400774BKFULH5750



DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

Report on Internal Financial Controls with reference to standalone financial statements
Annexure 'D'

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Rajasthan State Seed Corporation Limited ("the Corporation") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

DHOOT & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

F-3, Ramesh Marg,
C-Scheme, Jaipur - 302 001
Phone : 0141-2222236, 40007133
E-mail : dhoot_asso@yahoo.co.in

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation's internal financial controls system over financial reporting except the matter(s) described in the Basis for Qualified Opinion section of our audit report.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation.
2. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Corporation; and
3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Corporation has, in all material respects except the matter(s) described in the Basis for Qualified Opinion section, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31 ,2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN-002145C
sd/-
Amit Sharma
Partner
Membership No-400774
Place-Jaipur
Date- 17-12-2024
UDIN- 24400774BKFULH5750



RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED
ANENXURE "A" TO DIRECTORS REPORT

REPLY TO AUDITOR'S REPORT 2023-24

Audit Report (Basis for Qualified opinion)

1. Para no 1 of Annexure 1- Balance confirmation is sought from the respected parties. It is worth mentioning here that parties are mostly government departments/ PSUs/co-operative societies, etc. Further, We are pursuing for balance confirmation/ Reconciliation with all Parties/ Vendor/Supplier etc.
2. Para no 2 of Annexure 1- Most of the MSMEs have not submitted the disclosure in this regard. The company assured to maintain this information from next year.
3. Para no 3 of Annexure 1- We assure you of taking care of providing all out -standing liabilities in next year after reconciliation.
4. Para no 4 of Annexure 1- This being an accounting error will be rectified in next year after reconciliation.
5. Para no 5 of Annexure 1- This being an accounting error will be rectified in next year after reconciliation..
6. Para no 6 of Annexure 1- The amount of Rs. 1.29 lacs would be further reconciled & adjusted in next F.Y.
7. Para no 7 of Annexure 1-As per accounting policies maintained at note no. 10 of notes of accounts subsidy of production has been adjusted in the year in which dispute settled since the same had crystallized in current year, accordingly, the same was adjusted.

(Emphasis of Matter)

1. Revolving fund of Rs. 2.60 Crore was made available to RSSC in the Year 1995 for the basic purpose of Seed Production Programme in DPAP area of the State. This amount has been shown in current liabilities at Note No.-3 and it is refundable to Government as and when demanded.
2. At present no impair able assets as on 31.03.2024 as per A.S. 28. In future if any assets exist impairable. We will follow norms as per A.S. 28.
3. These are continuous/running account we are trying for receiving conformation.

Other Matters

1. The company is following same practice since beginning. As per accounting policy & practices of the Corporation. Individual unit's Profit & Loss Accounts Statement is not prepared as a part of Annual Report / Financial Statement. Stock Transfers are therefore not recorded at monetary value. For internal reporting, individual profit & loss are/and /or may be calculated but the same is not part of accounts of the Corporation.

   The Annexure referred to in Independent Auditors Report to the members of the Corporation of the financial statement for the year ended March 31, 2024

   - In respect to the other matters Statement of fact needs no comments.

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

(i) In respect of Property, Plant & Equipment-

(a) (A) The Corporation has maintained records of PPE in old Format mainly at HO and units. We are updating the same as per new format..

(b) As per PV report Unserviceable property and other items of the corporation have been marked and appropriate disclosure in the PV Report have been made. Adjustment in the value is subject to auction and sale of the property.

(c)(d) The Above mentioned property transferred by the state govt. to the company has been valued on Ad-hoc basis and land transferred by the State Govt. to co. is valued at NIL.

(e) (f) (i) Statement of fact needs no comments.
(ii) to (vi) Statement of fact needs no comments
(vii) (a) All the liabilities related to Krishi Kalyan Cess & Mandi Tax has duly been deposited .
(viii) to (xx) Statement of fact needs no comments.

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024

(Amount In ₹ Lakhs)

	Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period 2023-24	Figures as at the end of previous reporting period 2022-23
I.	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Shareholders' Funds			
	(a) Share Capital	1	759.29	759.29
	(b) Reserves and Surplus	2	18,219.51	16,688.95
	(c) Money Received Against Share Warrants		-	-
			18,978.80	17,448.25
2	Share Application Money Pending Allotment		-	-
3	Non-Current Liabilities			
	(a) Long-Term Borrowings		-	-
	(b) Deferred Tax Liabilities (Net)		-	-
	(c) Other Long-Term Liabilities	3	1,912.12	1,912.12
	(d) Long-Term Provisions	4	0.35	53.74
			1,912.47	1,965.86
4	Current Liabilities			
	(a) Short-Term Borrowings	5	-	-
	(b) Trade Payables			
	(A) Total Outstanding Dues of Micro & Small Enterprises			
	(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	6	1,658.51	2,109.11
	(c) Other Current Liabilities	7	6,960.56	6,223.02
	(d) Short-Term Provisions	8	996.28	452.64
			9,615.35	8,784.77
	TOTAL		30,506.62	28,198.87
II	ASSETS			
1	Non-Current Assets			
	(a) Property Plants & Equipments and Intangible Assets			
	(i) Tangible Property, Plant and Equipment	9A	2,809.11	2,983.33
	(ii) Intangible assets			
	(iii) Capital Work in Progress	9B	76.96	76.96
	(b) Non-Current Investments		-	-
	(c) Deferred Tax Assets (Net)	22	245.18	261.73
	(d) Long-Term Loans and Advances			
	(e) Other Non-Current Assets	23	19.85	19.87
			3,151.10	3,341.89
2	Current Assets			
	(a) Current Investments		-	-
	(b) Inventories	10	7,243.82	6,415.44
	(c) Trade Receivables	11	6,978.70	4,943.14
	(d) Cash and Cash Equivalents	12	1,442.90	5,126.79
	(e) Short-Term Loans and Advances	13	11,569.75	8,286.09
	(f) Other Current Assets	14	120.35	85.52
			27,355.52	24,856.98
	TOTAL		30,506.62	28,198.87
	Summary of significant accounting policies are as per Note No. 24. The accompanying notes are an integral part of the standalone financial statements	24		

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
Rakesh Mamnani	Man Mohan Meena	Ramlal Meena	Fateh Singh Gurjar	Nimisha Gupta	Rajan Vishal
Company Secertary	Sr. Manager (Fin.)	General Manager	Director	Managing Director	Chairman
M.No. F8834			DIN No.10538566	DIN No.10565348	DIN No.05195419

Place : Jaipur
Date : 17-12-2024
UDIN : 24400774BKFULH5750

As per our separate report of even date annexed hereto,
For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 002145C
sd/-
CA Amit Sharma
(Partner)
M.No. 400774



RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

STANDALONE PROFIT & LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

(Amount In ₹ Lakhs)

	Particulars	Note No.	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the previous reporting period 2022-23
A I	Revenue From Operations (Net)	15	23,024.89	22,902.39
II	Other Income	16	380.12	333.01
III	TOTAL INCOME (I+II)		23,405.01	23,235.40
IV	Expenses			
	(a) Cost of Material Consumed		-	-
	(b) Purchase of Stock-in-Trade	17A	16,232.36	16,831.28
	(c) Changes in Inventories of Finish Goods, Work in progress and Stock-in-Trade	17B	-1,419.02	-168.18
	(d) Employee Benefits Expenses	18	1,522.09	1,582.30
	(e) Finance Cost	19	316.71	92.18
	(f) CSR Expenses	20	34.51	31.83
	(g) Depreciation and Amortisation Expenses	9B	210.26	227.84
	(h) Other Expenses	21	4,317.33	3,358.95
	TOTAL EXPENSES		21,214.25	21,956.20
V	Earnings Before Exceptional & Extraordinary Items, Tax (EBIT) (III - IV)		2,190.76	1,279.20
VI	Exceptional Items		-	-
VII	Profit / (Loss) Before Extraordinary Items and Tax (V - VI)		2,190.76	1,279.20
VIII	Extraordinary items		-	-
IX	Profit before Prior Period Items and Tax (VII - VIII)		2,190.76	1,279.20
X	Prior Period Income/(Expense)	19 (iii)	17.29	37.11
XI	Profit / (Loss) before Tax (IX- X)		2,208.04	1,316.31
XII	Tax Expense:			
	(a) Current Tax		585.00	332.00
	(b) Prior Period Income Tax		-	-
	(c) Deferred tax Liability/(Asset)	21	16.55	-1.97
XIII	Profit / (Loss) for the period from continuing operations (XI - XII)		1,606.49	986.28
B.XIV	DISCONTINUING OPERATIONS			
(i)	Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (Before Tax)		-	-
(ii)	Gain / (Loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
(iii)	Add / (Less): Tax Expense of Discontinuing Operations		-	-
	(a) On Ordinary Activities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
	(b) On gain / (loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities		-	-
XV	Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (XIV(i) ± XIV(ii) ± XIV(iii))		-	-
	TOTAL OPERATIONS		-	-
XVI	Profit / (Loss) for the Year (XIII- XV)		1,606.49	986.28
C.	Earnings per share (of 211.39 each):			
	(a) Basic			
	Continuing operations		211.39	129.78
	Total operations		211.39	129.78
	(b) Diluted			
	Continuing operations		211.39	129.78
	Total operations		211.39	129.78
XVII	Earnings per share (excluding extraordinary items) (of 211.39 each):			
	(a) Basic			
	Continuing operations		211.39	129.78
	Total operations		211.39	129.78
	(b) Diluted			
	Continuing operations		211.39	129.78
	Total operations		211.39	129.78
	Summary of significant accounting policies are as per Note No. 24	24		
	The accompanying notes are an integral part of the standalone financial statements			

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
Rakesh Mamnani	Man Mohan Meena	Ramlal Meena	Fateh Singh Gurjar	Nimisha Gupta	Rajan Vishal
Company Secertary	Sr. Manager (Fin.)	General Manager	Director	Managing Director	Chairman
M.No. F8834			DIN No.10538566	DIN No.10565348	DIN No.05195419

Place : Jaipur
Date :17-12-2024
UDIN : 24400774BKFULH5750

As per our separate report of even date annexed hereto,
For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 002145C

sd/-
CA Amit Sharma
(Partner)
M.No. 400774



RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur-302005

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

www.rajseeds.org, e-mail- csrajseeds@gmail.com, Tel-0141-2227665, 2227514

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Amount In ₹ Lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2024	For the year ended 31.03.2023
A. (A) CASH FLOW FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss) before Tax	2,208.04	1,316.31
Adjustments for :		
Depreciation	210.26	227.84
Excess Income Tax Provision/Demand related to previous year	-	-
Depreciation/Amortization adjustments related to previous year	-	-
Interest income	-25.38	-27.59
Interest & Finance Charges	316.71	92.18
Bad debts written off	60.57	86.24
Income relating to earlier years		
Operating Profit before working capital changes	**2,770.21**	**1,694.99**
Movement in Working Capital:-		
(Increase)/ Decrease in Sundry Debtors	-2,093.49	-1,395.11
(Increase)/ Decrease in Inventories	-828.39	-1,663.94
(Increase)/ Decrease in Loans & Advances	-3,321.14	1,068.99
Increase/(Decrease) in Trade and Other Payables & Provisions	246.76	981.03
Cash from/(used in) Operating Activities	**-3,226.05**	**685.96**
Taxes Paid & Adjustment	-	726.00
NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES	**-3,226.05**	**-40.04**
B. (B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Acquisition of Property, Plant and Equipment	-36.05	-118.13
Increase/ (Decrease) in Non Current Assets	0.03	0.39
Increase/ (Decrease) in Non Current liabilities	-53.39	-36.12
Interest Received	25.38	27.59
NET CASH FROM/ (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	**-64.03**	**-126.26**
C. (C) CASH FLOW FROM/ (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from Share Capital	-	-
Dividend paid	-77.10	-74.71
Interest paid	-316.71	-92.18
NET CASH FROM/ (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	**-393.81**	**-166.89**
Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**-3,683.89**	**-333.18**
Opening Cash and Cash equivalents	**5,126.79**	**5,459.94**
Closing Cash and Cash equivalents	**1,442.90**	**5,126.79**

Note- Cash and Cash equivalents Includs Rs. 7.89 Lakhs- (previous year Rs. 9.06 Lakhs) on account of unclaimed dividend, and Rs. 0.99 Lakhs (Previous year Rs. 0.99 Lakhs) on account of collection a/c which are not available for use by the company.

Notes to the Cash Flow Statment

Particulars	(Amount In ₹ Lakhs)
1. Components of cash and cash equivalents	
Cash on hand	0.34
Remittance in Transit	450.00
Balances with banks	
In current and cash credit accounts	392.56
Fixed Deposits with banks	600.00
Personal Deposit Account	-
As per the Balance Sheet	**1,442.90**

2. Cash flows of continuing and discontinuing operations are:	Continuing Operations		Discontinuing Operations	
	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023
Net cash from / (used in) operating activities	(3,226.05)	(40.04)	-	-
Net cash from / (used in) investing activities	(64.03)	(126.26)	-	-
Net cash from / (used in) financing activities	-393.81	-166.89	-	-
(Figures in brackets represents outflow)	(3,683.89)	(333.19)	-	-

Summary of significant accounting policies are as per Note No. 1
The accompanying notes are an integral part of the standalone financial statements

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
Rakesh Mamnani	Man Mohan Meena	Ramlal Meena	Fateh Singh Gurjar	Nimisha Gupta	Rajan Vishal
Company Secertary	Sr. Manager (Fin.)	General Manager	Director	Managing Director	Chairman
M.No. F8834			DIN No.10538566	DIN No.10565348	DIN No. 05195419

Place : Jaipur
Date : 17-12-2024
UDIN : 24400774BKFULH5750

As per our separate report of even date annexed hereto,
For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 002145C
sd/-
CA Amit Sharma
M.No. 400774

DHOOT & ASSOCIATES CA FRN 002145C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 1 Share capital

₹ in Lakhs

	PARTICULARS	OPENING BALANCE	ADDITIONS	DEDUCTIONS	CLOSING BALANCE
	AUTHORISED SHARE CAPITAL				
	3900000 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	3900.00	-	-	3900.00
	100000 PREFERENCE SHARES OF RS.100 EACH.	100.00	-	-	100.00
	ISSUED SHARE CAPITAL		-	-	-
	849543 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	849.54	-	-	849.54
	SUBSCRIBED AND FULLY PAID-UP CAPITAL		-	-	-
	759981 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	759.98	-	-	759.98
Less:	CALLS UNPAID*	0.69	-	-	0.69
Less:	FORFEITED SHARES	-	-	-	-
	TOTAL	759.29	-	-	759.29

* Calls Unpaid on 870 (Previous Year 875) Equity Shares.

A) Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period

	As on 31 March 2024		As on 31 March 2023	
TYPE OF SHARES	NO. OF SHARES	₹ in Lakhs	NO. OF SHARES	₹ in Lakhs
Equity shares				
Shares outstanding at the beginning of the period	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
Shares issued during the period	-	-	-	
Shares outstanding at the end of the period	7,59,976.00	759.98	7,59,976.00	759.98
Preference Shares				
Shares outstanding at the beginning of the period	-	-	-	-
Shares redeemed during the period	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the period	-			

B) Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

The name of the shareholder's holding more than 5% shares as on the balance sheet date is given below:

		As at 31st March 2024		As at 31st March 2023	
Sr No.	Name of the shareholder	No. of shares held	% Of shares held	No. of shares held	% Of shares held
1	GOVERNMENT OF RAJASTHAN STATE	6,33,000.00	83.37%	6,33,000.00	83.37%
2	NATIONAL SEEDS CORPORATION NEW DELHI	1,13,930.00	15.00%	1,13,930.00	15.00%
	Total	7,46,930.00	98.37%	7,46,930.00	98.37%

(III) LISTS OF SHARES HELD BY PROMOTERS

Sr No.	Name of the Promoter	No. of shares held	% Of shares held	% of Change During the Year
1	GOVERNMENT OF RAJASTHAN STATE	6,33,000.00	83.37%	-
2	NATIONAL SEEDS CORPORATION NEW DELHI	1,13,930.00	15.00%	-
	Total	746930.00	98.37%	-

(IV) RIGHT AND RESTRICTION ON EQUITY SHARES

Right and restriction on Equity Shares The Company has only one class of Equity Shares having a face value of '100/- per share which are issued and subscribed. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the share holders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of the winding up of the Company, the holder of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of the Company in proportion to the number of equity shares held by the shareholders and the amount paid up thereon.



Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 2 Reserves and Surplus

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Capital Reserve		
Opening Balance	0.45	0.45
Add: Additions During the Year	-	-
Less: Utilised / Transferred During The Year	-	-
Closing Balance	0.45	0.45
(b) General Reserve		
Opening Balance	0.17	0.17
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit and Loss	-	-
Less: Utilised / Transferred During the Year for:	-	-
Issuing Bonus Shares	-	-
Others	-	-
Closing Balance	0.17	0.17
(c) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening Balance	16,688.33	15,777.98
Add: Profit / (Loss) for the Year	1,606.49	986.28
Less: Income Tax Demand For Earlier Years	-	-
Add: Income Tax Refund/ Excess Provision Return Back For Earlier Years	-	-
Less : Dividends Proposed to be Distributed to Equity Shareholders	75.93	75.93
Closing Balance	18,218.89	16,688.33
Total	18,219.51	16,688.95

Note 3 Other Long-Term Liabilities

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Deposit of Agriculture Department	18.14	18.14
(ii) Revolving Fund For Drought Prone Area	260.00	260.00
(iii) Revolving Fund for Seed Bank	8.62	8.62
(iv) Sundry Creditors for Goods (Under Litigation)	1,613.85	1,613.85
(v) Interest Payable Against AG para	10.97	10.97
(vi) Sundry Creditors for others	0.54	0.54
Total	1,912.12	1,912.12

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 4 Long-Term Provisions

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Provision for Employee Benefits:		
(i) Provision for Group Gratuity Scheme	0.35	22.92
(ii) Provision for Leave Encashment	-	30.82
Total	0.35	53.74

Note 5 Short-Term Borrowings

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash Credit Primary Security :- Hypothecation of entire current assets, present and future comprising. Collateral Security :- Hypothecation of plant & Machinery of Rs. 5.25 crore.	-	-
Total	-	-

Note 6 Trade Payables

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(A) Total Outstanding Dues of Micro & Small Enterprises		
(B) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		
Payables for expenses/purchases O/s due to Micro, Small and Medium Enterprise		
Other Trade Payable		
Trade payables (Sundry Creditors)	1,658.51	2,109.11
Total	1,658.51	2,109.11

Refer Ageing at Note No. (41)B



Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 7 Other Current Liabilities

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Unpaid Dividends	7.89	9.06
(ii) Other Payables	-	-
(i) Sundry Creditors For Expenses	512.82	925.33
(ii) Sundry Creditors for Others	738.44	770.14
(iii) Sundry Creditors for Capital Goods	21.41	21.49
(iv) Outstanding Liabilities	696.80	534.42
(v) Subsidy Advance	249.67	249.67
(vi) Subsidy Refundable to Govt.	1,067.10	1,065.34
(vii) Subsidy under Central Sector Scheme	-	-
(vii) Advances from Customers Against Seed & Others	14.79	14.79
(viii) Seed Growers having Credit Balances	369.92	330.66
(ix) Sundry Debtors having Credit Balance	754.58	832.58
(x) Security Deposits Dealers, Suppliers, Contractors & Wholesellers	824.13	767.34
(xi) Provision for EMD & Security Deposit	-	0.34
(xii) Infrastructure Development Subsidy (GOI)	1,694.25	694.25
(xiii) Advances to Employees	-	-
Unsecured, Considered Good	8.76	7.61
Total	6,960.56	6,223.02

Note 8 Short-Term Provisions

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Provision :		
(i) Provision for Income Tax	917.00	332.00
(ii) Provision for Proposed Equity Dividend	75.93	75.93
(iii) Provision for CSR	3.36	44.70
Total	996.29	452.64



PROPERTY PLANTS AND EQUIPMENTS

Note 9 A

₹ in Lakhs

	GROSS BLOCK				DEPRECIATION / AMORTIZATION					NET BLOCK	
Particulars	As at April 1, 2023	Addition during the year	Ded/Adj during the year	As at March 31, 2024	Upto March 31, 2023	For the year	Ded/Adj during the year	Effect on Dep. as per Co. Act, 2013	Upto March 31, 2024	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
PROPERTY PLANTS & EQUIPMEMNTS											
FREEHOLD LAND	28.42	-	-	28.42	-	-	-	-	-	28.42	28.42
LEASEHOLD	245.16	24	-	269.14	-	-	-	-	-	269.14	245.16
PROCESSING BUILDINGS	1,485.70	-	-	1,485.70	759.45	67.41	-	-	826.86	658.84	726.25
PLANT AND EQUIPMENTS	1,400.40	3.23	-	1,403.64	1,144.03	36.96	-	-	1,180.98	222.65	256.37
FURNITURE & FIXTURES	168.98	2.48	-	171.45	134.13	7.81	-	-	141.94	29.51	34.85
OTHER VEHICLES	7.93	-	-	7.93	7.54	-	-	-	7.54	0.39	0.39
OFFICE EQUIPMENT	51.71	0.48	-	52.19	47.23	0.61	-	-	47.84	4.35	4.48
GODOWN	2,031.26	-	-	2,031.26	836.75	58.10	-	-	894.85	1,136.41	1,194.51
STAFF QUARTER	82.33	-	-	82.33	56.98	1.23	-	-	58.21	24.12	25.35
STEEL CRATES	1,072.17	-	-	1,072.17	962.02	11.57	-	-	973.59	98.58	110.15
COMPUTER	72.73	5.88	-	78.62	58.08	9.45	-	-	67.53	11.09	14.65
MOTOR CAR	76.35	-	-	76.35	71.01	0.73	-	-	71.74	4.61	5.34
OFFICE BUILDING	537.72	-	-	537.72	210.15	15.93	-	-	226.08	311.64	327.57
ADMINISTRATIVE BUILDING	53.54	-	-	53.54	43.72	0.47	-	-	44.19	9.35	9.82
WELL AT FARM	2.26	-	-	2.26	2.26	-	-	-	2.26	0.00	0.00
TOTAL :	7,316.67	36.05	-	7,352.72	4,333.34	210.26	-	-	4,543.62	2,809.11	2,983.33
CWIP	76.96	-	-	76.96	-	-	-	-	-	76.96	76.96
PREVIOUS YEAR TOTAL	7,275.50	41.17	-	7,316.67	4,105.50	227.84	-	-	4,333.34	2,983.33	3,170.00

Note (i)
The difference in Written Down Value of Fixed Assets held by the company arising due to estimation of depreciation charged as per Schedule II of Companies Act, 2013 and that already charged to Profit & Loss Account of preceeding financial years as per Schedule XIV of Companies Act, 1956 has given effect in previous FY 2015-16. The difference arising consequent to such adjustment was charged off to General Reserves.

Note (ii)
Depreciation calculated on the opening value of block is on the basis of remaining life of asset and addition in value of asset is treated as new assets and life of such is taken as life of fresh asset and depreciation calculated on the basis of days of Availaible for use.

Note (iii)
Depreciation on assets having value less than 5000 is charged @ 100%



Note 9B Property Plants & Equipments (contd.)

	Particulars		
C.	Depreciation and amortisation relating to continuing operations:		
	Particulars	Figures As At 31.03.2024	Figures As At 31.03.2023
		₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
	Depreciation and amortisation for the year on tangible assets as per Note 9 A	210.26	227.84
	Depreciation and amortisation relating to continuing operations	210.26	227.84

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 10 Inventories

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Certified Seed	4,121.78	2,601.91
(b) Foundation & Breeder Seed	420.35	426.30
(c) Undersize & Rejected Seed	936.92	1,021.40
(d) Raw Seed and Graded Seed	11.65	23.62
(e) Cotton Lint	-	-
(f) Processing, Chemical & Packing Material	1,751.58	2,342.21
(g) Stock in Transit	1.55	-
Total	7,243.82	6,415.44

Note 11 Trade Receivables

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
I. (a) Undisputed Trade Receivable		
(i) Considered good	8,230.14	6,136.65
(ii) Which have significant increase in credit risk and considered doubtful		
(iii) Credit impaired		
(b) Disputed Trade Receivable		
(i) Considered good		
(ii) Which have significant increase in credit risk and considered doubtful		
(iii) Credit impaired		
TOTAL(I)	8,230.14	6,136.65
(II) Provision for doubtful receivables	1,251.44	1,193.51
TOTAL (I-II)	6,978.70	4,943.14

Refer Ageing at Note No. (41)C

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 12 Cash and Cash Equivalents

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash in Hand	0.34	0.63
(b) Balances with schedule Banks		
(i) In Current Accounts	141.20	1,055.89
(ii) In Cash Credit Limit Account	242.48	256.88
(iii) In Collection Account	0.99	0.99
(c) FDR maturing within 12 months	600.00	3,803.34
(d) In Earmarked Accounts		
- Unpaid Dividend Accounts	7.89	9.06
(e) Remittance in Transit	450.00	-
Total	1,442.90	5,126.79

(ii) Balances with banks-other earmarked accounts include Rs. 7.89 Lakhs (As at 31 March,2023 Rs. 9.06 Lakhs) Which have restriction on repatriation.

Note 13 Short-Term Loans and Advances

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Advance to Seed Growers	4,781.50	4,072.90
Less: Provision for Advances	107.46	104.81
	4,674.04	3,968.09
(b) Prepaid Expenses - Unsecured, Considered Good	20.14	0.58
	20.14	0.58
(c) Balances with Government Authorities		
Unsecured, Considered Good		
(i) Subsidy Recoverable from Government	5,698.16	3,512.63
(ii) Advance Income Tax	793.98	327.76
(iii) T.D.S.	25.75	13.94
(iv) Deposit Under Litigation	8.87	8.60
(v) Income tax recoverable	135.45	151.12
	6,662.20	4,014.05
(d) Sundry Creditors having Debit Balances		
Unsecured, Considered Good	30.89	39.22
Less: Provision	6.82	6.47
	24.07	32.75
(e) Others Advances/ Recoverable		
Unsecured, Considered Good	189.30	270.62
Total	11,569.75	8,286.09

DHOOT & ASSOCIATES CA FRN 002145C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 14 Other Current Assets

Particulars	Figures as at March 31, 2024	Figures as at March 31, 2023
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Accured But not Reciceved On FDR	2.19	5.88
(b) Accrued Farm Income/Other Income	118.16	79.64
Total	120.35	85.52

Note 15 Revenue from Operations

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Sale of Products:		
(i) Certified Seeds	18,098.19	19,410.82
(ii) Foundation & Breeder Seed	1,349.17	1,467.58
(iii) Cotton Lint	-	-
(iv) Auction Sale	1,017.12	33.46
(v) Marketing & NFSM Subsidy	2,560.42	1,990.53
Total	23,024.89	22,902.39

Note 16 Other Income

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a)Interest Income (Refer Note (i) below)	25.38	27.59
(b)Other Non-Operating Income (Refer Note (ii) below)	354.73	305.42
Total	380.12	333.01

Note (i)

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Interest Income Comprises:		
Interest from Banks on:		
Bank FDR's Accounts	21.58	26.52
Interest on Staff Loan	-	-
Other Interest	3.80	1.07
Total - Interest Income	25.38	27.59

DHOOT & ASSOCIATES CA FRN 002146C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note (ii)

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Other Non-Operating Income Comprises:		
Income From Farms	226.85	226.85
Recovery From Penalty	15.08	14.20
Enrollment Fees	0.34	0.36
Other Receipts	7.97	9.68
Reimbursement of Maintenance Seed Bank Subsidy	100.69	48.63
Auction of Processing Material	3.81	5.70
Total Other Non-Operating Income	354.73	305.42

Note 17 A Purchase of Stock-in-Trade

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Certified Seed	17,847.27	18,007.72
Raw Seed	85.32	100.38
Foundation & Breeder Seed	1,767.70	1,604.54
Purchase Expenses	9.57	18.52
Less: Subsidy for Production	(3,477.50)	(2,899.88)
Total	16,232.36	16,831.28

Note 17 B Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-Trade

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Inventories at the End of the Year:	5,492.24	4,073.22
Inventories at the Beginning of the Year:	4,073.22	3905.04
Net (Increase) / Decrease	(1,419.02)	(168.18)



Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 18 Employee Benefit Expenses

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Salary & Allowances	1,255.57	1,363.53
Pension Contribution	33.80	26.78
Medical Expenses	0.01	0.01
Contribution to Medicai Relief Fund	8.40	14.07
Training & Recruitment	-	-
Liveries Expenses	0.25	0.53
LIC Goup Gratuity Plan	24.24	29.65
Employers Contribution to PF	105.10	104.95
Leave Encashment	79.43	16.60
EX Gratia to Staff	5.43	7.76
Staff Welfare	9.86	17.79
Incentive to Staff	-	0.21
NPS Contribution	-	-
Gift to Staff	-	0.42
CPF Contribution to Govt.	-	-
Total	1,522.09	1,582.30

Note 19 Finance Cost

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
(a) Interest Expense on:	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Borrowings - CC Limit	316.71	92.18
Total	316.71	92.18

DHOOT & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN 002140C JAIPUR

Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Notes: 19 (ii)

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Payments/Provisions for Statutory Auditors		
Statutory Audit Fees	1.30	1.30
Tax Audit Fees	0.65	0.65
T. A. to Statutory Auditors	1.06	1.35
Total	3.01	3.30
(ii) Details of Prior Period Items (net)		
Prior Period Expenses		
(i) H&T	-	-
(ii) Advertisements	2.71	-
(iii) Consultancy	-	-
(iv) Testing Fees	-	-
(v) Payment to Labour Contract	16.14	0.06
(vi) Petrol/Disel Exp.	0.40	-
(vii) R&M of Vehicle	0.16	-
(viii) Printing & Stationary	4.49	-
Total	23.91	0.06
Prior Period Income		
(i)Excess Provision Written Back	41.20	37.17
(ii) H & T	-	-
(iii) Depreciation	-	-
Total	41.20	37.17
Net	(17.29)	(37.11)

Note 20 Other expenses

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Contribution to CSR	34.51	31.83
Total	34.51	31.83



Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 21 Other expenses

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Wages to Labour & Labour Contractor	680.60	545.93
Processing & Ginning	94.18	58.41
Consumption of Packing & Processing Materials	1,667.49	917.70
Running & Maintenance of Plant	40.62	47.65
Testing & Certification charges	201.88	201.57
Power and Water	85.50	77.74
Farm Expenses	0.05	5.13
Travelling Expenses (Including Director Exp & Sitting Fees)	36.46	48.32
Postage Telegram & Telephones	10.89	6.60
Advertisement	46.19	80.13
Insurance	2.20	67.91
Books & Periodicals	0.82	0.76
Rent,Rates and taxes	30.23	34.46
Entertainment	6.49	8.41
Payment to Auditors	3.01	3.30
Filling Fees	3.46	2.83
Printing and stationery	49.50	31.59
Light and Water	10.36	5.41
Repairs & Maintenance others	55.61	66.78
Repairs & Maintenance vehicles	72.61	78.80
A.G.M. & Other Meeting Expenses	7.85	11.57
Office Expenses	25.62	31.01
Contribution to State Renewal fund	15.19	15.19
Security Guard Expenses	277.61	244.10
Internal Audit fees	3.97	3.88
Legal and Professional	45.38	20.17
Payment to Contractor (operator/ Driver/Astt.)	102.41	79.45
Handling & Transportation of Seed	470.24	481.43
Storage Charges	122.29	92.25
Promotion & Publicity Expenses	83.01	1.11
Compensation	1.05	0.28
Bank Charges	4.00	2.84
Donation to CMRF	-	-
Provision for Doubtful Trade & Other Receivables, Loans & Advances (net)	60.57	86.24
Total	4,317.33	3,358.95



Notes to Standalone Financial Statements for the year ended 31st March 2024

Note 22 Deferred Tax (Liability) / Asset

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the beginning of year	261.73	259.76
Add/Less: deferred tax effect during the year		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets	(47.48)	(58.53)
On Expenditure Deferred in the Books but Allowable for Tax Purposes		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability @29.12%	(13.82)	(17.04)
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets		
Provision for Compensated Absences, Gratuity and Other Employee Benefits	(69.93)	(20.93)
Provision for Doubtful Debts / Advances	60.57	86.24
Disallowances under Section 40(a)(i), 43B of the Income Tax Act, 1961		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets	(2.72)	19.02
Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the end of Year	245.18	261.73
Total Reversal of Deferred Tax Assets	(16.55)	1.97

Note 23 Other Non-Current Assets

Particulars	Figures for the current reporting period 2023-24	Figures for the current reporting period 2022-23
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Subsidy Recoverable From Government	2.17	2.17
Security Deposits from Government	17.67	17.70
Total	19.85	19.87



Rajasthan State Seed Corporation Limited
Note "24" Significant Accounting Policies & Notes on Accounts.
FY-2023-2024

A. COMPANY INFORMATION:-

Government of India with the aim of increasing the agricultural production incorporated National Seed Corporation Ltd with the help of World Bank's International Development Agency and under its second phase "Rajasthan State Seeds Corporation Limited was incorporated on dated 28th March, 1978 under The Companies Act, 1956 as a Public Limited Company with the joint holding of Central Government, Government of Rajasthan and Local Farmers. After receiving the Commencement of Business Certificate, the Company started its business operation with effect from 26th May, 1978. The Corporate Identification Number of our Company is U75132RJ1978SGC001781. The Central Government, Govt. of Rajasthan and the Local Farmers are the initial subscribers of the company.

B. ACCOUNTING POLICIES:-

(1) Basis of Preparation of Financial Statements: -The financial statements of the Corporation have been prepared under the historical cost convention on accrual basis of accounting in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India and the relevant provisions of the Companies Act. 2013 including Accounting Standards notified there under.

(2) Use of Estimates:-The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles which requires the management to make estimates and assumptions that affect the income and expenditure during the reporting period and the assets and liabilities including contingent liabilities at the date of financial statements. The differences between actual results and estimates are recognized in the period in which results are known.

(3) Property Plant & Equipment: - Property, Plant and Equipment (other than land acquired free from State Government) are carried at the cost of acquisition or construction or book value less accumulated depreciation and impairment, if any.

(4) Borrowing Costs: -Corporations availing working capital limit from bank. Borrowing Costs are recognized as expense in the period in which these are incurred.

(5) Inventories:-

(a) Seeds:-

I) Certified and Foundation Seeds are valued on the basis of status report (fit/ unfit) determined on 30th June of next financial year at prime cost or market price whichever is lower.

Calculation of Prime Cost –

a) In case of Own Production of Seeds - Prime Cost comprises of purchase price plus processing overheads fixed by the Board of Directors of the Corporation once in every 3 years.

b) In case of Purchase of Seeds from Direct/Private Suppliers- Prime Cost comprises purchase price and packing material plus 3% as purchase expenses.

c) In cases where segregation of stock in Own Production & Direct Purchase is not possible - Prime Cost is arrived on average of both above (a) and (b)

(ii) Breeder seeds have been valued at Purchase Cost reduced by subsidy if any or market price whichever is lower. As per Production Policy of the Corporation Breeder Seed is not to be sold in open market, therefore Market Price for this valuation is determined as as per policy of the Corporation?

(iii) Raw seeds have been valued at their procurement price.

(iii) Rejected Seeds are valued at estimated realisable value which is arrived at 85% of Mandi Rates of Grain of respective Mandi as decided by the management

(iv) Undersized seeds are valued at estimated realisable value which is arrived at 60% of Mandi Rates of Grain of respective Mandi as decided by the management

(v) Cotton seeds including certified, foundation and raw seeds are valued at cost or at net realisable value, whichever is lower and in case of cotton lint (a by- product) are valued at estimated cost.

(b) Packing & Processing Material are valued at cost except for used/rejected material which is not valued as its realisable value/cost will be known only at the time of its disposal.

(c) The units are in a practice of maintaining stock records in a manual register only

(d) Due to peculiar nature of the business Net Realizable Value cannot be determined hence Market Price as per policy of the corporation has been considered for Stock valuation purposes

(6) Depreciation:-

a) Depreciation has been charged on Property Plant & Equipment as per the provisions of Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013 based on useful life and residual value on Single shift basis.

b) During the year few processing plants have operated in double shifts for few number of days. This is done for grading of seeds as per time bound production programme. However, the Corporation has charged depreciation on these processing plants at the rate applicable to single shift basis only.

c) Depreciation on the assets added/disposed of during the year is provided on pro-rata basis with reference to the actual date of installation and being put to use/disposal during the year. Date put to use means the day on which assets is acquired and put to use.

d) Asset having value of less than Rs 5000/- individually have been depreciated fully in the year of purchase. This policy is being followed from various last previous years.

(7) Revenue Recognition:-

a) Sale of all kinds of Seeds have been accounted for after deducting/netting there from the amount of GST, Mandi Tax, Trade Discount, etc.

b) Centrally Sponsored Scheme (CSS) Subsidy: - Subsidy on Sale of Certified Seed is recoverable in the ratio of 60%: 40% from Central Government & State Government respectively. This subsidy has been included as a part of Sale of Certified Seed.
c) Marketing and NFSM subsidy receivable from the Department of Agriculture has been considered as a part of sale/revenue.
d) Subsidy on Production receivable from the Department of Agriculture has been reduced from Purchases.

(8) Purchase:-

a) Production of Seed undertaken as per production plan is accounted when certified germination reports from Seed testing Laboratories (STL) has been received and other related formalities in respect thereof are completed. Cost of Purchase is accounted for as per the approved Purchase Policy of the Corporation.
b) Advances given to seed Growers/Producers against seeds delivered at plant are adjusted after purchases is recognized/accounted for.
c) Direct purchases of seeds is accounted on receipt of seeds by the Company.
d) Raw seeds (seasonal procurement) is accounted for receipts by the Corporation as decided by the Board of Directors for respective Seasons. Dhencha, Til and Maize Seeds are purchased on Raw Basis.

(9) Consumption of the Packing and Processing Materials:-

(a) Consumption of the packing and processing materials is booked on the basis of actual consumption as per Stock Registers.
(b) Stores & Spares are treated as consumed & charged in Profit & Loss Account in the year in which they are purchased.

(10) The adjustment of disputes, if any, in respect of sales/purchases prices are accounted for in the year in which they are settled.

(11) Employee Benefit :-

(a) Gratuity:-

The Corporation has created a Trust to Administer the Gratuity Payment. The Trust in turn has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation of India. Premium paid by the Corporation to Life Insurance Corporation of India is recognised as Expenditure. Gratuity Payment to respective employee is managed by Trust.

(b) Leave Encashment:-

The Corporation has taken Leave Encashment -cum-Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation of India. Premium paid by the Corporation to Life Insurance Corporation of India is recognised as Expenditure.

JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

(12) Grants in Aid:-

(a) Capital Grant-in-Aid received for the purpose of acquiring the specific fixed assets has been deducted from the original cost of such fixed assets.

(b) Production subsidy received/receivable from The Director of Agriculture is accounted for as per the actual production obtained from the seed growers during the year.

(c) Marketing subsidy received /receivable from The Director of Agriculture is accounted for on the basis of actual sales of certified seeds as considered eligible for subsidy after verification done by the concerned Deputy Director (Agriculture), Govt. of Rajasthan.

(d) Reimbursement of maintenance cost received from Government of India under the Seed Bank Scheme is accounted for in the year of its sanction by The Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.

(e) Subsidy received from Director of Agriculture for the purpose of treatment of seeds is accounted for in the year of its receipt.

(13) Deferred Tax Assets/Liabilities:
Deferred tax being the difference between tax profit and book profit is accounted for using the tax rates and laws for the time being in force or subsequent enacted law as on the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized to the extent there is a reasonable certainty that those assets shall be realized in future.

(14) Impairment of Assets: -
The brought forward amount of assets is reviewed as on each Balance Sheet date. If there is any indication of their impairment based on internal/external factors, such asset is considered as impaired and accounted for accordingly. An impairment loss is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which such asset is identified as impaired.

(15) Earnings per share:-

S.No	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Earnings attributable to the equity share holder	Rs. 16,06,48,984/-	Rs. 9,86,27,942/-
2	Number of Shares	759976	759976
3	Earnings Per Share	**211.39**	**129.78**

C. Notes on Accounts:

(16) Contingent Liabilities as on 31.03.2024 not provided for :(i) Provision has not been made in respect of below mentioned disputed demands: -

	Particulars	Current Year	Previous year
(a)	Legal cases and others mainly related to dispute raised by daily workers working at different locations, seed growers etc., as p ending before appropriate courts/forums	**Rs. 25,80,59,771/-**	**Rs. 23,76,20,542/-**
(b)	Income Tax (various Assessment Years)	**Rs 1,69,44,020/-**	**Rs 1,66,98,220/-**

(ii) Litigation of M/s P.R. Enterprises, M/s Dwarka Prasad, M/s J.K. Agrigentics and M/S Gouri Shankar is pending before Hon'ble court and arbitrator respectively. Interest cannot be ascertained at this point of time hence only original demand amounts have been taken as contingent liability.

(iii) Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Accounts against various grants/subsidy or otherwise are at Rs.115.45Lakhs which is a difference of the total contract value of Rs. 192.41 Lakhs and the CWIP of Rs. 76.96 Lakhs.

(17) Taxation:-
In respect of various revenue taxation laws such as VAT, Income Tax, GST the liabilities which are under dispute are disclosed under contingent liability, the same shall be accounted/recognised in books of accounts in the year of their finalization and settlement.

(18) Truthful Label Seeds and Seeds produced at farm owned by the Corporation and given on lease to farmers on contract basis in also included in Purchase, sale & closing stock of all kinds of certified seeds.

(18A) In absence of proper guidelines in FY 2022-2023 the CSS Subsidy of Rabi Crop Season 2022-23 amounting to Rs.86,02,000/-has been booked in FY 2023-2024 on receipt basis which form part of current year income.

Claim of Rs.17,28,000/-Marketing subsidy from NSFM and Rs. 6,76,500/- Production subsidy from NSFM was not accepted NSFM in previous financial years. These amounts have been accepted and paid by NSFM in current financial years recognised and accounted for in current financial year on receipt basis.

(19) Income from farms includes Leased Rent and sale of miscellaneous farm produce so obtained.

(20) Plant & Machinery& Buildings transferred by the State Govt. to the Corporation have been valued on ad-hoc estimated basis. Notional Value and shown in the books of account accordingly. The depreciation on the same has been charged on such cost**.** The land transferred by the State Government to the Corporation is valued at Nil.

(21) A sum of Rs. 53.26 lakh has been transferred from Capital Works in Progress to Fixed Assets (Administrative Building) in the year 1989 - 1990, acquisition of such building and the possession of the same has been taken over by the Company. The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Corporation is still pending.

(21 A) Disclosure with respect to the Title Deed of immovable property not held in the name of the Company:

Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of item of Property	Gross Carrying Value	Title deeds held in the name of	whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property plant equipment	Land & Building - Administrative Building	Rs. 53.54 Lakhs	State Govt. - Agriculture Dept.	Agency of the Promoter - State Govt.	F.Y. 1989-90	The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Corporation is still pending.

(22) Related party disclosure:-

The name of the related parties of the corporation is as under- .

I	**Individuals and Key Management personal having substantial interest in the Corporation**
A	Sh. Dheeraj Gurjar, Chairman (upto 02.11.2023)
B	Sh. Jaswant Singh, Managing Director (upto 06.02.2024)
C	Sh. Lalit Kumar, Managing Director (upto 23.02.2024)
D	Smt. Nimisha Gupta, Managing Director (wef 24.02.2024 to Contd.)
E	Sh. K.C. Meena, General Manager (upto 20.02.2024)
F	Sh. Ramlal Meena, General Manager (wef 01.04.2023 to Contd.)
G	Sh. Man Mohan Meena, Senior Manager (Finance) (wef 01.04.2023 to Contd.)
H	Sh. Rakesh Mamnani, Company Secretary (wef 01.04.2023 to Contd.)
I	**Relative of Such individual and Key Management personal Key *****
II	**Enterprises in which any person described above have substantial interest ****

***** No disclosure is required, regarding related party relationship with other state controlled enterprises and transactions with such enterprises as per Para no. 9 of Accounting Standard 18 issued by the ICAI.***



(23) The details of Transaction with related parties are as follows:-

Particulars	Individuals and Key Management personal having substantial interest in the Corporation**	Relative of Such individual and Key Management personal Key **	Enterprises in which any person described above have substantial interest **	Total as at 31.03.2024 (Rs.)	Total as at 31.03.2023 (Rs.)
Managerial Remuneration / Salary Including TA					
Chairman	Sh. Dheeraj Gurjar			15,93,032/-	26,68,326/-
Managing Director	Sh. Jaswant Singh			27,61,980/-	28,45,844/-
Managing Director	Sh. Lalit Kumar			1,03,405/-	-
Managing Director	Smt. Nimisha Gupta			2,80,881/-	-
General Manager	Jagpal Singh			-	5,45,460/-
General Manager	Shyam Sunder Chaturvedi			-	3,99,791/-
General Manager	Sh.K.C. Meena			25,11,530/-	-
General Manager	Sh. Ramlal Meena			2,40,736/-	-
Senior Manager (Finance)	Sh. Man Mohan Meena			20,20,789/-	18,11,761/-
Company Secretary	Sh. Rakesh Mamnani			15,39,608/-	14,34,339/-
Total				**1,10,51,961/-**	**97,09,515/-**

** No transaction has taken place with key management personal or their relatives other than payment of salary and other dues under contractual obligations.

(24) Detail of payments of Remuneration to the Auditors during the year:

		31.03.2024 (Rs.)	31.03.2023 (Rs.)
1.	Statutory Audit Fee	1,30,000/-	1,30,000/-
2.	Tax Audit Fee	65,000/-	65,000/-
3.	GST and Reimbursement of Expenses	1,05,728/-	1,34,717
	Total	**3,00,728/-**	**Rs. 3,29,717/-**

(25) IDBI has wrongly issued T.D.S. Certificate twice at Rs.53,630/- in the year 1999-2000 which was taken in to accounts, has been shown as Sundry Creditors (others)under the head Current Liabilities.

(26) During the period of financial year 2003-04 to 2008-09 the Corporation did not contribute any fund towards State Renewal Fund as no such demand being raised by Bureau of Public Enterprises. From the Financial Year 2009-2010 BPE has raised demand of 2% of Share Capital or 20.00 Lakh whichever is lower. Hence the Corporation in this respect has made a provision of Rs.15,18,578/- during the year.(Previous Year Rs.15,18,572/-)

(27) (a) The Corporation has taken Leave Encashment-cum-Assurance Policy in the year 2007-08 in respect of leave encashment as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The liability up to year ended 31.03.2024 is Determination by the Life Insurance Corporation details as under -

Leave Encashment			
Particulars	**Amount (Rs.)**	**Amount (Rs.)**	**Amount (Rs.)**
Policy No.	**333442**	**104005517**	**104003019**
Assumptions			
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%
Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%
Table showing changes in present value of obligation as on 31/03/2024			
Present value of obligations as at beginning of year	25,840,585.00	627,293.00	10,544,863.00
Interest Cost	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
Current Service Cost	258,604.00	36,037.00	706,029.00
Benefit Paid	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
Actuarial (Gain)/Loss on obligations	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
Present value of obligations as at end of year	**22,201,327.00**	**758,127.28**	**12,279,348.00**
Table showing changes in fair value of plan assets as on 31/03/2024			
Fair value of plan assets as at beginning of year	24,105,109.00	545,506.00	8,651,892.78
Expended on plan assets	1,860,005.08	49,435.32	799,234.34
Contribution	3,836,898.92	118,088.40	4,148,434.29
Benefit Paid	(8,433,379.00)	(58.72)	(313,199.00)
Actuarial (Gain)/Loss on plan assets	-	-	-
Fair Value of Plan Assets as at end of year	**21,368,634.00**	**712,971.00**	**13,286,362.41**
Funded status			
The amounts to be recognized in the Balance Sheet			
Present value of obligations as at end of year	22,201,327.00	758,127.00	12,279,348.00
Fair Value of Plan Assets as at end of year	21,368,634.00	712,971.00	13,286,362.41
Net asset/(liability) recognized in Balance Sheet	(832,693.00)	(45,156.00)	1,007,014.41
Expenses Recognized in statement of Profit and Loss			
Current Service Cost	258,604.00	36,037.00	706,029.00
Interest Cost	1,873,442.00	45,479.00	764,503.00
Return on plan assets	(1,860,005.08)	(49,435.32)	(799,234.34)
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	2,662,075.00	49,377.00	577,152.00
Expenses recognized in Profit and Loss account	2,934,116.00	81,458.00	1,248,450.00

(b) The Corporation has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy in respect of Gratuity as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The Liability up to 31.03.2024 as determined by the Life Insurance Corporation as under- .

Group Gratuity			
Particulars	**Amount (Rs.)**	**Amount (Rs.)**	**Amount (Rs.)**
Policy No.	**104005514**	**63080**	**104003020**
Assumptions			
Discount Rate	7.25%	7.25%	7.25%
Salary Escalation	7.00%	7.00%	7.00%
Table showing changes in present value of obligation as on 31/03/2024			
Present value of obligations as at beginning of year	617,636.00	44,635,680.00	15,318,753.00
Interest Cost	44,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
Current Service Cost	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
Benefit Paid	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
Actuarial (Gain)/Loss on obligations	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,523.00)
Present value of obligations as at end of year	**695,277.00**	**32,295,657.00**	**16,624,499.00**
Table showing changes in fair value of plan assets as on 31/03/2024			
Fair value of plan assets as at beginning of year	687,125.05	43,404,216.60	13,571,247.24
Expended on plan assets	55,887.21	2,808,696.05	1,154,524.43
Contribution	72,712.75	-	3,960,485.39
Benefit Paid	-	(15,985,866.00)	(148,931.00)
Actuarial (Gain)/Loss on plan assets	-	-	-
Fair Value of Plan Assets as at end of year	**815,725.01**	**30,227,046.65**	**18,537,326.06**
Funded status	120,448.01	30,227,046.65	1,912,827.06
The amounts to be recognized in the Balance Sheet			
Present value of obligations as at end of year	695,270.00	32,295,657.00	16,624,499.00
Fair Value of Plan Assets as at end of year	815,725.01	30,227,046.65	18,537,326.06
Net asset/(liability) recognized in Balance Sheet	120,448.01	(2,068,610.35)	1,912,827.06
Expenses Recognized in statement of Profit and Loss			
Current Service Cost	48,507.00	1,060,689.00	1,318,590.00
Interest Cost	44,779.00	3,236,087.00	1,110,610.00
Return on plan assets	(55,887.21)	(2,808,696.05)	(1,154,524.43)
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	(15,645.00)	(650,933.00)	(974,530.00)
Expenses recognized in Profit and Loss account	21,754.00	837,147.00	300,153.00

(28) Subsidy received against Farm Development under OPP Scheme and funds received under UNDP Scheme are managed by the Corporation as Nodal agency.

(29) Dividend:-
Provision for Dividend have been made in the book of account at Rs. 75,92,891/-(Previous Year Rs. 75,92,898/-)

(30) Cash and Cash Equivalents:-

a) A Sum of Rs. 99,000/-(previous year Rs. 99,000/-) shown under the head "Cash & Bank Balances (Current assets)" which is in respect of the amount transferred by a unit of the Corporation to its Head Office through Bank M.T. (Money Transfers) and Collection Account during the year 1982-83 to1986-87 has not been acknowledged by the Transferee Branches of such banks till March 31, 2024.In the year 2000-01 the Corporation filed a civil suit against the State Bank of Bikaner & Jaipur for the purpose of recovery of the amount but claim was rejected by the Hon'ble Civil Court, Jaipur in the year 2003-2004 for which second appeal has been filed before to Hon'ble High Court. The decision is awaited.

b) The Corporation transfers amount of expired cheques (which are not lodged/claimed by parties) to Dead Cheque ledger account.

c) A Sum of Rs. 4,50,00,000/- is shown as Cheque in Transit under the head Cash & Cash equivalents since the Corporation had issued a cheque dated 31.03.2024 amounting to Rs. 4,50,00,000/- for the Investment in FDR which got cleared on 03.04.2024.

(31) Farm on lease:-

(a) Agriculture farms land was allotted by Government of Rajasthan in earlier year on leasehold basis. In the absence of determination of amount of lease rent by Government of Rajasthan, the Corporation has not provided any such lease rent liability in its books of account.

(b) Expenses incurred by the Corporation for the purpose of their development of Farms taken on lease, have been charged to Statement of Profit & Loss being considered as revenue expenditure.

(32) The Corporation has provided a sum of Rs.60,57,132/- (PY Rs. 86,23,729/-) as provision for bad-debts in the year under consideration out of which Rs. 57,92,776/- has been Provided for bad-debts (PY Rs. 94,60,957/-) pertains to Sundry debtors & Rs. 2,64,356/- has been Provided (PY Rs. (-) 8,37,228/-) pertains to Advances to Seed Grower.

(33) The Corporation is making provision for debtors and Seeds Growers aged more than 3 years treating as doubtful. The Corporation is following this practice for making provision of doubtful debts for past years on regular basis.

(34) In accordance with the Accounting Standard-22 (AS-22) regarding "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, which become mandatory from 1.4.2002, the cumulative tax effects of significant timing differences, that resulted in Deferred Tax Assets & Liabilities are as under -:

Particulars		Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 01.04.2023	Current year (Charge)/ Credit	Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 31.3.2024
A.	Deferred Tax Assets			
	–Leave Encashment	8,97,751	(12,04,693)	(3,06,942)
	- Bad-Debts	3,80,05,786	17,63,836	3,97,69,622
	- Provision for Gratuity	3,51,690	(4,98,578)	(1,46,894)
Total (A)		3,92,55,227	60,565	3,93,15,786
B.	Deferred Tax (Liability)/ Assets	(1,20,78,875)	(13,82,489)	(1,34,61,364)
	- Depreciation	(10,02,975)	(3,32,964)	(13,35,939)
	- State Renewal Fund			
Total (B)		(1,30,81,850)	(17,15,453)	(1,47,97,303)
Net Deferred Tax Assets/ (Liability) (A+B)		2,61,73,377	16,54,894	2,45,18,483

(35) **A. DAG Lift Irrigation:-**
Vide sanction letter no.F.4(2), Budget/Plan/ 89-90/22 dated 6.04.1989, an amount of Rs.6.06 lakh received on 7.06.1989 for lift irrigation. The amount of Rs. 5.93 lakh is yet to be utilized.

B. Bajra Seed Production Subsidy:-
Vide sanction no. F.(24)(277)/DA/RKVY/2010-11/15569-578 dt. 28.03.2011, an amount of Rs. 307.35 Lakhs received for hybrid Bajra Seed Production through private seed producers. The amount of Rs. 307.35 Lakhs is not utilized. Hence this amount has been shown as subsidy refundable to govt. under current liabilities.

(36) In the year 2006-07 an amount of Rs. 6.26 lakh paid to various farmers as Compensation due to supply of poor quality of seeds, which was supplied to RSSCL by M/s Real Marketing, Jalna and M/s Sai Seeds Corporation, Andhra Pradesh. Corporation has filed suits before the appropriate court and lodged a claim of Rs. 27.33 lakh on dated 21.05.07 against the above suppliers. Necessary accounting treatment will be passed when any award is pronounced by the court.

(37) There is no mechanism to identified Micro and Small Enterprises to whom the Corporation owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at 31st March 2024. This Information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of the information available with the Company.

(38) Unpaid dividend amount for the financial year 2014-15& 2015-16 amounting to Rs. 1,20,046/-& Rs. 1,19,948/- has been transferred to Investor Education and Protection fund during the year.(Previous Year Rs. 1,20,046/-).

(39) As per Sec 135 (5) of Companies Act, 2013,the Corporation has made the provision for CSR of Rs. 34,51,409/- during the year.(Previous Year Rs. 31,82,648 /-)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Where the Corporation covered under section 135 of the companies act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities:-

		2023-2024	2022-2023
(a)	Amount required to be spent by the Corporation during the year in accordance with Section 135 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014	34,51,409/-	31,82,648/-
	Amount unspent/ (excess spent) carried forward from earlier years	44,70,102/-	14,82,253/-
(b)	Amount of expenditure incurred,	75,86,219/-	1,92,799/-
(c)	Shortfall at the end of the year,	3,35,292/-	44,70,102/-
(e)	Reason for shortfall,	Amount Received back due to non utilisation.	Due To Proposal Not Received
(f)	Nature of CSR activities,	Social Welfare	Social Welfare
(g)	Details of related party transactions, e. g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	N/A	N/A
(h)	Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately.	-	-

(40) The figures for the previous year have been regrouped/re-arranged where ever necessary to make them comparable with those of the current year.

(41) Sundry Debtors, Creditors, Loans & Advances, Security Deposits, Current Liabilities, Outstanding Liabilities, Deposit with Agriculture Department and Revolving fund with seed banks have been taken at their book value irrespective of the fact that confirmation/ reconciliation of such accounts is still awaited.

a. A sum of Rs. 1613 Lacks is shown under the head current liabilities as Sundry Creditors for goods under litigation, which is related to JK Agri Genetics Limited. A legal case in respect of this issue is ongoing and status of which is still pending in the Commercial Court, Jaipur.

b. Trade Payables ageing Summary

31.03.2024

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	-	-	-	-	-
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	802.41	344.60	267.53	243.97	1658.51

31.03.2023

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	1020.42	438.23	340.21	310.25	2109.11
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

c. Trade Receivable Ageing Summary

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment(Rs. in Lakhs)					Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
31.03.2024						
(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	4924.83	1105.06	428.68	520.12	-	6978.69
(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1251.44	1251.44
31.03.2023						
(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	2668.54	1232.36				3900.90
(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	863.00	179.24	-	1042.24
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1193.51	1193.51

(42) Details of Grant utilization

(Amount in Rs.)

		31.03.2024 (Rs.)	31.03.2023 (Rs.)
A	**Capital Subsidy**		
1	Infrastructure Subsidy (Godown)	-	-
2.	Seed Bank Subsidy (Godown)	-	-
B	**Revenue Subsidy**		
1.	Production Subsidy	34,77,49,815/-	28,99,88,466/-
2.	Marketing Subsidy (NFSM+RKVY)	25,60,42,770/-	19,90,52,550/-
3.	CSS (GOI + State Govt.)	8,88,56,392/-	11,54,56,840/-
5.	Maintenance of seed bank	1,00,68,619/-	48,62,564/-

(43) The figures have been rounded off to a nearest rupee lakhs.

(44) The Corporation is holding stock of seeds of various types to in Total to 82977 Qtls as on 31.03.2024 (PY 63932 Qtls) is supplied by seeds growers and is in process of grading and Certification. The Corporation had made advance against seeds of Rs. 47,81,49,722/- (PY 40,72,99,175/-) to the seed growers on this account. The ownership of this stock is not of the corporation.

(45) Prior period items:-
As per past practice, prior period income amounting to Rs. (41,20,157/-) (PY Rs. 37,16,416/-) and expenses amounting to Rs. (23,91,372/-) (PY Rs. 6,086/-)

(46) Segment Reporting: The main activity is only Seed Segment**.**

(47) Income Tax Assessments and Demands

1. **Assessment Year: 2017-18**

a. The Income Tax Assessment of the corporation for the AY 2017-18 is made vide order dated 23.12.2019 making additions of Rs. 2,18,82,718/-. Income tax demand w.r.t. such addition has been raised by the department amounting to Rs. 1,46,12,053/- vide order dated 23.12.2019. The Corporation has not accepted the additions and has filed an appeal with the CIT (Appeals) – I, Jaipur dated 10.01.2020. The demand amount with held by the Income Tax department from Refund of earlier years.

b. Additional order u/s 143(3) r.w.s. 263 (read with section 144B) for the AY 2017-18 is made vide order dated 29.03.2023 making additions of Rs. 53,70,873/- resulting in additional Income tax demand amounting to Rs. 18,58,751/- dated 29.03.2023.The Corporation has not accepted the additions and has filed an appeal with the CIT (Appeals) – 1, Jaipur dated 21.04.2023.

2. **Assessment Year 2020-21**

The Income Tax demand for the AY 2020-21 is made vide order dated 20.03.2023 w.r.t. the Mis-reported Income amounting to Rs. 6,81,211/-. Income tax demand w.r.t. such mis reported income

has been raised by the department amounting to Rs. 2,27,416/- vide order dated 20.03.2023. The Corporation has not accepted the additions and the liability and has filed an appeal with the CIT (Appeals) – 1, Jaipur dated 17.04.2023.

3. **Assessment Year 2023-24**

The Income Tax Demand of Rs. 2, 45,800/- for the AY 2023-24 is made vide order date 27.11.2024 u/s 143(1) of income tax act, 1961. The matter is under discussion with the consultant.

(48) Accounting Ratios

S. No.	Particular	Numerator / Denominator	March 31, 2024	March 31, 2023	Reason for Movements
(a)	Inventory Turnover Ratio	Turnover/Average Inventory	3.37	2.98	Increase in Sales Revenue and Change in Inventory of Closing Stock is higher than previous year resulting in increase in Stock Turnover Ratio.
(b)	Trade Payable Turnover Ratio	Net Credit Purchase/Avg. Trade Payables	8.62	2.69	Net Credit Purchase is being reduced as compared to P.Y. and Avg. Trade Payables has also been reduced thus resulting in Higher TPTR.
(c)	Debt Service Coverage Ratio	EBITDA - Capex / Debt Service	8.51	16.47	Company has taken the CC limit from SBI, and during the year due to higher utilization of the CC limit interest cost has been increased & Capex has also been on a lesser value compare to P.Y thus lower DSCR.
(d)	Current Ratio	Current Assets / Current Liabilities	2.85	2.83	Change in the Current ratio is not substantial and thus any specific reason can't be ascertained.
(e)	Debt-Equity Ratio	Debt / Equity	-	-	The company does not have any long term loan and any kind of debenture issued thus debt equity ratio not applicable.
(f)	Return on Equity Ratio	Profit After Tax / Average Shareholders' Equity	8.81	5.80	Decrease in Direct Exp. and change in inventory on higher level are the major reason for increased profitability.
(g)	Trade Receivables turnover ratio (in times	Net Credit Sales / Average Trade Receivables	3.86	5.33	Increased Change in sales is much lessor then the Increased change in Avg. Trade Receivables thus resulted in the decreased TRTR

(h)	Net capital turnover ratio (in times)	Turnover / Working Capital	1.30	1.42	Movement is not more than 25%, so that reason is not required to be disclosed.
(i)	Net profit ratio	Profit After Tax / Total Sales	6.97	4.31	Decrease in Direct Exp. and change in inventory on higher level are the major reason for increased profitability as well as increase in variable cost is not so significant and Fixed Cost remains constant for the increased revenue
(j)	Return on Capital employed	Operating Profit / Total Capital Employed	0.12	0.08	Decline in Total Cap. Employed in compare to Increased EBIT resulted in Increased ROCE.
(k)	Return on investment.	Profit After Tax/Initial Value of Investment	2.11	1.30	The ratio is increased due to the reason that Initial Value of the Investment is constant for the past years and on the other hand Profit has been increased approx. 1.6 times.

49. Ageing Summary of Capital Work in Progress:

31.03.2024

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress	-	-	76.96	-	76.96
(ii)Project temporarily Suspended	-	-	-	-	-

31.03.2023

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress	-	76.96	-	-	76.96
(ii) Project temporarily Suspended	-	-	-	-	-

50. Movement of Stock -

	Certified Seeds		F/s & B/s Seeds		Cotton Lint		Rejected & U/size		Raw/Graded Seed	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
Opening Stock										
Qty.(Qtls.)	47082	89941	7531	13893	-	-	37887	11607		
Value(Rs.)	260191192	309221056	42629800	56653950	-	-	102139617	21770550	2361698	2858960
Stock in Transit										
Qty (Qtls)										
Value (Rs.)										
Purchases /added during the year:										
Qty.(Qtls)	283276	269731	34810	30187			15129	27248		
Value(Rs.)	1446466670	1522674326	176769611	160453630						
Conversion.(Qtls)	3618	4412	2480	5959						
Sales:										
Qty.(Qtls)	266099	291273	30011	33718	-	-	30541	954		
Value(Rs.)	2065860750	2140134854	134917125	146757957	-	-	101711570	3345752		
Conversion.(Qtls)	2702	6586	3396	3785						
Rejected .(Qtls)	9819	19150	3129	4959						
Closing Stock										
Qty(Qtls.)	55436	47082	8202	7531	-	-	22324	37887		
Value(Rs.)	412178218	260191192	42034650	42629800	-	-	93691983	102139617	1164695	2361698
Stock in Transit:										
Qty.(Qtls.)	50									
Valu e(Rs.)	154600									
Shortage.(Qtls)	130	7	83	46	-	-	151	13		

Note:-

1. Nil Raw Cotton purchased during the year(Previous year Nil), out of this Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc.Nil (Previous year Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc. Nil) products have been manufactured. Value has been included in certified seed of above Raw Cotton and other varieties of Raw /Graded Seed.
2. Quantities mentioned above are taken as on 31st March, whereas the valuation of the same has been done as per the status report (fit/unfit) as on 30th June every year. Quantity has been rounded off in Qtls.
3. Purchases value of certified seed includes purchases expenses and after deducting production subsidy.
4. Sales value of certified seed includes marketing subsidy & after deduction of trade discount.

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
RakeshMamnani	Man Mohan Meena	Ramlal Meena	Fateh Singh Gurjar	Nimisha Gupta	Rajan Vishal
Company Secertary	Sr. Manager (Fin.)	General Manager	Director	Managing Director	Chairman
M.No. F8834			DIN No.10538566	DIN No. 10565348	DIN No.05195419

As per our separate report of even date annexed hereto,
For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 002145C

Place : Jaipur
Date : 17-12-2024
UDIN : 24400774BKFULH5750

DHOOT & ASSOCIATES CA FRN 002145C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

sd/-
(Amit Sharma)
Partner
M.No. 400774

Ageing Schedule of Unbilled Revenue

Particulars	Outstanding for following periods				
	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
As at March 31, 2024	NOT APPLICABLE				
As at March 31, 2023	NOT APPLICABLE				

Proceedings under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder

There are no proceedings initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder
OR
There are proceedings initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder in respect of the following properties

Details of the property	Year of acquisition	Amount (Rs.in Lakhs)	Details of beneficiaries	Reference to item in the Balance Sheet	If not in books, reasons for the same	Whether proceedings as an abetter of the transaction or as the transferor	Nature of proceedings, status of same and company's view on same
Property1	NOT APPLICABLE						
Property2							
Property3							
Property4							
Property5							

Borrowings from banks

(i) The Company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company.

Quarter ended		As per financials (Rs.Lakhs)	As per returns filed with banks (Rs.Lakhs)	Difference (Rs.Lakhs)	Reason
30-Jun-23					
Inventories		5143.60	5100.00	43.60	
Trade Receivables		3836.54	3800.00	36.54	
Trade Payables		3391.04	3400.00	-8.96	
30-Sep-23					
Inventories		7465.12	7500.00	-34.88	
Trade Receivables		4339.74	4300.00	39.74	
Trade Payables		4206.80	4200.00	6.80	
31-Dec-23					
Inventories		4363.83	4300.00	63.83	
Trade Receivables		11007.53	11000.00	7.53	
Trade Payables		3479.44	3500.00	-20.56	
31-Mar-24					
Inventories*		7243.82	4500.00	2743.82	
Trade Receivables		6978.70	6900.00	78.70	
Trade Payables		1658.00	1600.00	58.00	

*Inventory of certified seeds and & Foundation Seed taken for Bank return purpose.

The Company is not declared as wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lenders.

OR

(ii) The Company is declared as wilful defaulter by the following banks, financial Institution and other lenders:

Name of the bank, financial institution and other lenders	Date of declaration	Details of default	Company's view or remarks thereon
Bank1			
Financial Institution1			No Default
Other lender1			

Relationship with Struck off Companies

The Company did not have any transactions with Companies struck off under Section 248 of Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 considering the information available with the Company.

OR

The Company have the following transactions with Companies struck off under Section 248 of Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 based on the information available with the Company.

Name of struck off Company and nature of transaction	Balance outstanding (Rs. In Lakhs)	Relationship with the Struck off company, if any,	
Company1			
Investments in securities			
Receivables		NOT APPLICABLE	
Payables			
Shares held by stuck off company			
Other outstanding balances (to specify nature)			

Compliance with number of layers of companies

The Company do not have any parent company and accordingly, compliance with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable for the year under consideration.

OR

The Company has not complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 and the details of companies beyond the specified layers are as per the following details

Name of the company	CIN of the company	Relationship	Extent of holding
Company1			NA
Company2			

Scheme of arrangements

There are no Scheme of Arrangements approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the year. NOT APPLICABLE

OR

During the year, a scheme of arrangements (here specify details) has been approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 and the effect of such Scheme of Arrangements have been accounted for in the books of account of the Company in accordance with the Scheme and in accordance with the Indian accounting standards/ accounting standards (strike off the inapplicable reporting framework)

Scheme of arrangements

There are no Scheme of Arrangements approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the year. **NOT APPLICABLE**

OR

During the year, a scheme of arrangements (here specify details) has been approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 and the effect of such Scheme of Arrangements have been accounted for in the books of account of the Company in accordance with the Scheme and in accordance with the Indian accounting standards/ accounting standards (strike off the inapplicable reporting framework) **NOT APPLICABLE**

Advance or loan or investment to intermediaries and receipt of funds from intermediaries

The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries. **NOT APPLICABLE**

Advance or loan or investment to intermediaries and receipt of funds from intermediaries

The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries. **NOT APPLICABLE**

Undisclosed Income

The Company do not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years. **NOT APPLICABLE**

DHOOT & ASSOCIATES CA FRN 002140C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Details of Crypto Currency or Virtual Currency

The Company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence, disclosures relating to it are not applicable.

OR

The Company traded or invested in Crypto Currency or virtual currency during the financial year and the related disclosures as follows

Particulars	**Amount (Rs. in Lakhs)**
Profit or loss on transactions involving Crypto currency or Virtual Currency	
Amount of currency held as at the reporting date	
Deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in Crypto Currency/ virtual currency	

sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-	sd/-
Rakesh Mamnani Company Secertary M.No. F8834	Man Mohan Meena Sr. Manager (Fin.)	Ramlal Meena General Manager	Fateh Singh Gurjar Director DIN No. 10538566	Nimisha Gupta Managing Director DIN No.10565348	Rajan Vishal Chairman DIN No.05195419

Place : Jaipur
Date : 17-12-2024
UDIN : 24400774BKFULH5750

As per our separate report of even date annexed hereto,
For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 002145C



sd/-
CA Amit Sharma
(Partner)
M.No. 400774

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN- U75132RJ1978SGC001781
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड़, जयपुर–302005
Tel- 0141-2227665, 2227514, Fax No. 0141-2227944, www.rajseeds.org

प्रतिनिधी–पत्र (PROXY FORM)

मैं/हम ..... (सदस्य/सदस्यों का नाम) निवासी ..... (सदस्य/सदस्यों का पता) जिले का/के रहने वाला हूँ/वाले हैं राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का/के सदस्य होने के नाते ..... (Proxy का नाम) निवासी .... (Proxy का पता) को अपनी अनुपस्थिति में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ/करते है, जो कम्पनी की 46वीं वार्षिक साधारण सभा में, सोमवार दिनाँक 30 दिसम्बर, 2024 को मध्यान्ह् पश्चात् 12:15 बजे होगी तथा उसकी किसी स्थगित बैठक में मेरे/हमारे स्थान पर भाग लेगा और मत देगा।

साक्षी रूप में मैं/हम ..... (दिन) ..... (तिथि) को हस्ताक्षर करता हूँ/ करते है। श्री ..... (साक्षी का नाम) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर ..... रु0 1/– का रेवेन्यू टिकिट चिपकाए .....

टिप्पणियॉ :

1. प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. प्रतिनिधि परिपत्र 1/– रूपये की रेवेन्यू टिकिट के आरपार वैध हस्ताक्षरों सहित बैठक का जो समय निश्चित किया गया है उससे कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005 पर जमा करवाना अनिवार्य है।

ATTENDANCE SLIP
Forty Fifth Annual General Meeting on
30th Day of December, 2024 at 12:15 P.M.

Registered Folio no.

Name of Shareholder/ Proxy

No. of Shares Held

I Certify that I am a member/proxy for the member of the company.

I hereby record my presence at Forty Sixth Annual General Meeting at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM) Durgapura, Jaipur -302018 (Rajasthan), on Monday, 30th Day of December, 2024 at 12:15 P.M.

_____
Signature of Member/ Proxy

NOTES: Please fill up this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall.

Form No. MGT-11
Proxy form
[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:	
Name of the company:	
Registered office:	

Name of the member(s):
Registered address:
Email Id:
Folio No./Client Id:
DP ID:

I/We, being the member (s) of ……. shares of the above named company, hereby appoint

1.Name:
Address:
E-mail Id:

Signature: , or failing him

2.Name:
Address:
E-mail Id:
Signature: , or failing him

3.Name:
Address:
E-mail Id:
Signature: , or failing him

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Forty Sixth Annual General Meeting of the company, to be held on the Monday, 30th Day of December, 2024 at 12:15 PM at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM) Durgapura, Jaipur -302018 (Rajasthan), and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.	Particulars
1.	
2.	
3.	

Signed this…… day of…… 20…

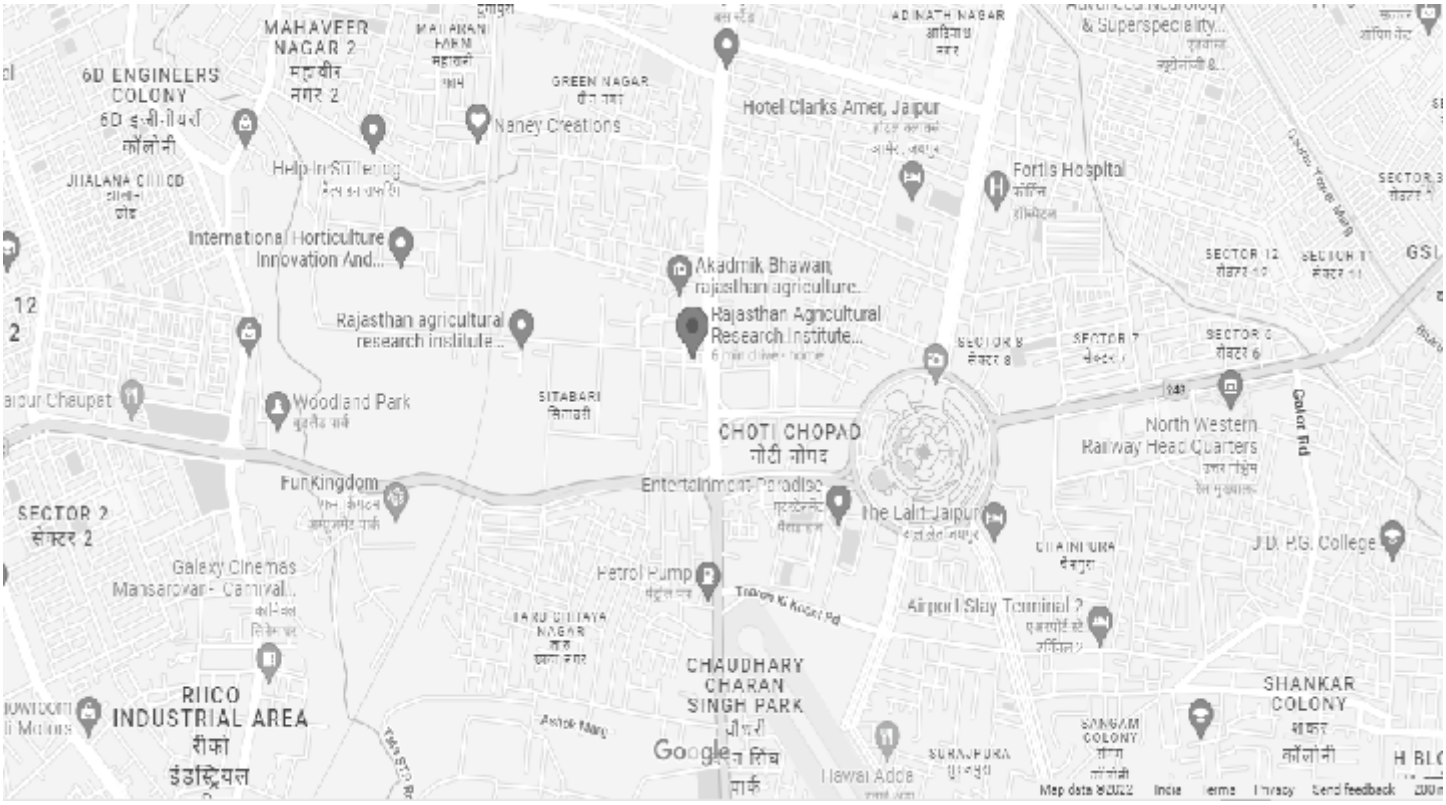
Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix Revenue Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ROUTE MAP OF 46TH ANNUAL GENERAL MEETING:



राज सीड्स

if Undelivered please return to
RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781
Tel-0141-2227665, 2227514
www-rajseeds.org

राजसीड्स/उ.बी.सा./2023-24/दिसम्बर 2024/4500